DRAFT NOTIFICATION ON THE ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS PRIVATE UNIVERSITY REGULATION, 2026

PREAMBLE

In exercise of the powers conferred by Article 240 of the Constitution of India, which empowers the President of India to promulgate regulations for the peace, progress and good governance of certain Union Territories, including the Union Territory of the Andaman and Nicobar Islands, and in view of the need to expand access to quality higher education, promote research and innovation, and ensure equitable educational opportunities within the Islands;

And whereas it is expedient to provide a comprehensive legal framework for the establishment, incorporation, regulation, supervision and maintenance of standards of private universities in the said Union Territory;

Now, therefore, the following Regulation is hereby made:-

1. Short title, extent and commencement

(1) This Regulation may be called **'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026.**

(2) It shall extend to the entire territorial jurisdiction of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, including all districts, islands, and notified areas falling under its Administrative control.

(3) It shall come into force on such date as the Administrator may, by notification published in the Official Gazette, appoint, and different dates may be appointed for different provisions of this Regulation.

2. Definitions

In this Regulation, unless the context otherwise requires:-

a. "Administrator" means the Lieutenant Governor of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands on behalf of the President of India;

b. 'Academic Council' means the Academic Council of a Private University constituted under section 28;

c. 'AICTE' means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the All India Council for Technical Education Regulation, 1987;

d. 'BCI' means the Bar Council of India established under section 4 of the Advocates Regulation, 1961;

e. 'Deans and Directors' means the Head of Department or an Institution, a Centre or a School, or the person appointed for the purpose to Regulation as such in his absence;

f. 'Chancellor', 'Vice-Chancellor' and 'Pro-Vice-Chancellor' means, respectively, the chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro-Vice-Chancellor of a Private University.

g. 'Department' means a Department of Studies of a Private University and includes a teacher or any other member of the staff of the Private University;
h. 'Employee' means any person appointed by a Private University and includes a teacher of any other member of the staff of the private University;
i. 'Executive Council' means the Executive Council of a Private University constituted under section 27;
j. 'Government' means the Andaman and Nicobar Administration;
k. 'Green field University' means starting of a University afresh without any consideration to any existing educational institutions or anything related to such institutions;
l. 'hostel' means a unit of residence for students of a Private University maintained or recognized by the Private University;
m. 'Institution' means a college or an institution established or maintained by or associated with or constituent to a Private University in accordance with this Regulation and the Statutes;
n. 'Management Committee' means the committee constituted by the sponsoring body for the purposes of this Regulation;
o. 'NMC' means the National Medical Commission constituted under the National Medical Commission Act, 2019;
p. 'multidisciplinary' means study in the Departments of Humanities and Social Science, Science, Engineering and Technology, Architecture, Medical, Dental, Nursing, Pharmacy, Physiotherapy, Allied Health Sciences, Education, Law Agriculture, Veterinary and other branches of knowledge.
q. 'NCTE means the National Council for Teacher Education established under the National Council for Teacher Education Regulation, 1993.
r. 'VCI' means the Veterinary Council of India established under the provisions of the Indian Veterinary Council Act, 1984.
s. 'PCI' means Pharmacy Council of India constituted under section 4 of the Pharmacy Regulation, 1948;
t. 'Registrar', 'Controller of Examinations', 'Finance Officer' means respectively, the Registrar, the Controller of Examinations and the Finance Officer of a Private University.
u. 'Regulatory Body; means and includes a body such as UGC, AICTE, NCTE, NMC, PCI, ICAR, BCI established for maintenance of standards of higher education.
v. 'Rules' means rules made under these regulations;
w. 'UGC' means the University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Regulation, 1956;
x. 'Evaluation Committee' means an Evaluation Committee constituted to evaluate the proposals received for the establishment of a Private Universities;
y. 'Faculty' means the faculty of the University consisting of some Department;
z. 'Main Campus' means the main campus of the private University situated in Andaman and Nicobar Islands;
aa. 'Off-campus' Centre/ Campus' means a Centre/ Campus established, operated and maintained by the Private University as its constituent unit outside the main campus

within the jurisdiction of the Andaman and Nicobar Islands with the prior approval of University Grants Commission and the Andaman and Nicobar Administration;

bb. 'Regulations' means the Regulation of the University made under the provisions of these Regulations.

cc. 'Union Territory' means a centre established and maintained or recognized by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students used in the context of distance education with the prior approval of University Grants Commission and the Andaman and Nicobar Administration;

dd. 'student' means any person enrolled in the University for any degree, diploma or other course, including research conducted by the University;

ee. 'teacher' means a Professor, Associate Professor, Assistant Professor/ Reader or any other person, appointed as per qualification prescribed by the Regulatory Body, required to impart education or to guide for research or to render guidance in any other form to the students studying in the University;

ff. "Prescribed" means prescribed by the Regulations made by the Administrator under the provisions of this Regulation;

gg. "Sponsoring Body" means a Society registered under the Societies Registration Regulation, 1860, or a Public Charitable Trust, or a company incorporated under section 8 of the Companies Regulation, 2013, whose primary objective includes promotion of education and which seeks to establish a University under this Regulation;

hh. "University" means a private university established, incorporated, and recognized under the provisions of this Regulation, and includes all its constituent schools, departments, centres, and institutions;

ii. 'NAAC' means National Assessment and Accreditation Council was established in 1994 by the University Grants Commission; and

jj. 'NBA' means National Board of Accreditation was established in 1994 by the All India Council for Technical Education (AICTE).

3. Establishment of Private University: -

(1) The Andaman and Nicobar Administration may permit the establishment of a Private University, by any sponsoring body, by inclusion of the name of the Private University, its location, and the details of the sponsoring body in the Schedule III (List of the New Private Universities after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026').

(2) The Private University shall be a multidisciplinary University. Its location shall be within the Andaman and Nicobar Islands.

(3) The Private University shall be a body corporate, shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(4) The Private University shall be of the unitary type and shall not have power to affiliate or recognize any college or institution.

(5) The Private University may establish constituent colleges, regional centres, additional campuses and study centres at such places in the UT of Andaman and Nicobar Islands as it deems fit subject to approval from Andaman and Nicobar Administration and compliant with the norms of UGC and other regulatory bodies.

4. Conditions for establishment of Private University: - For the purpose of establishing a Private University under this Regulation, the sponsoring body shall fulfill the following conditions, namely: -

(a) have lawful possession, whether by ownership, lease or any other legally enforceable right of occupancy for a term of not less than **thirty years**, of such land and built-up space as is adequate for the approved academic programmes, student strength, research activities and support facilities of the Private University, and compliant with applicable planning, zoning, building, fire safety, environmental and other statutory requirements; provided that no quantitative minimum in respect of land area or built-up space shall be prescribed under this Regulation;

(b) construct and/or maintain, on the land referred to in clause (a), academic buildings, laboratories, libraries, digital resources, equipment, student amenities and administrative facilities that are adequate for the approved programmes, student enrolment and research activities of the Private University; provided that such facilities may be shared with other educational institutions or accessed through arrangements with public authorities or other persons, including for the use of parks, playgrounds, sports complexes, auditoria, research facilities, libraries, hostels or other support infrastructure, under a memorandum of understanding, license, lease or other legally enforceable agreement. No quantitative minimum relating to books, journals, equipment, computers, classroom size or built-up area shall be prescribed under this Regulation, except where expressly required by a central statutory regulatory authority;

(c) appoint teachers for the purposes of teaching as per the standards laid down by the UGC;

(d) such other conditions as may be required by the Government to be fulfilled before the establishment of the Private University; and

(e) the Private University shall make provisions for reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the UT of Andaman and Nicobar Islands to the extent of at least fifty percent of the total number of non-teaching posts of the University. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the Andaman and Nicobar Administration time to time.

5. Application for establishment of Private University: -

Any sponsoring body desirous to have a Private University established under this Regulation, shall make an application to the Andaman and Nicobar Administration through the specified portal, containing an outline of the purpose and vision of the proposed Private University, the project report in such manner containing such

particulars along with a **fee of rupees one lakh (01 Lakh)** as may be prescribed in this regulations.

6. Project Report: -

(1) The project report shall, in addition to the particulars as may be prescribed in section-5, contain the following, namely: -

a. justification regarding the necessity of establishment of the proposed Private University;
b. the details of the sponsoring body along with copies of its registration certificate under the Indian Trusts Regulation, 1882 (Central Regulation 2 of 1882) or the Societies Registration Regulation, 1860 or Union Territory Societies Registration Act, 1975 the Companies Regulation, 2013, (Central Regulation 13 of 2013) as the case may be, and whether minority (religious or linguistic)
c. the track record, experience and domain expertise in the proposed disciplines;
d. the name, location and headquarters of the proposed Private University;
e. the objectives of the Private University;
f. availability of academic facilities including teaching and non-teaching staff, if any, at the disposal of the sponsoring body;
g. the details of plans for campus development such as, construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of equipment for starting the Private University;
h. the phased outlays of capital expenditure and its sources of finance;
i. the nature and type of programmes and courses of study, research and innovation proposed to be undertaken by the Private University;
j. the nature of facilities proposed to be started;
k. the scheme of mobilizing resources and the cost of capital thereto and the manner of repayment to such sources;
l. projected detailed financial statements and key operating ratios with a detailed break-up of sources of revenues generated internally;
m. the system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the Private University;
n. the system proposed for appointment of teachers and other employees in the Private University;
o. the nature of specialized teaching, training or research activities to be undertaken by the Private University including those related to the local needs, so as to fulfil its objects;
p. the details of play grounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extra-curricular activities like National Cadet Corps and National Service Scheme;
q. proposed approach and initial plans for academic and research excellence, including accreditations to be sought and academic auditing;

r. the concessions or rebates in fees and scholarships, if any, to be granted by the Private University to the students from economically or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and differently abled students;
s. commitment to align itself with the Andaman and Nicobar Administration policies such as Industrial and Investment Promotion Policy, Start-up Policy, Energy Policy, Health Policy Mining Policy, etc. which require interaction and association with higher education institutions;
t. commitment to follow the norms of the regulatory bodies;
u. such other details as the sponsoring body may like to give; and
v. such other details as may be decided by the Andaman and Nicobar Administration from time to time.

A checklist containing key components of the project report is attached as **Annexure-1** for the ready reference of the Expert Committee at the time of evaluation of the proposals submitted by the sponsoring bodies.

(2) In addition to complying with the provisions as prescribed in the section-6(1), an existing educational institution applying for Private University status through its Sponsoring Body, will be treated as a fresh application and the application process remains as per the provisions under this Regulation, however, it is expected to meet the following additional eligibility/compliance criteria:-

a. the institution shall submit audited accounts for last five financial years;
b. the institution shall be duly approved by the competent statutory regulatory bodies or councils. Provided that, where the institution is, at the time of making the application, affiliated to any private University in the Andaman and Nicobar Islands, it shall mandatorily obtain a No Objection Certificate (NOC) from the concerned University prior to submission of such application;
c. the institution must also have approval for their academic programs from respective regulatory bodies like UGC, AICTE, NMC, DCI, NCTE, BCI, INC, VCI or any other relevant regulatory authority, as applicable;
d. at the time of applying, the institution must possess necessary academic and physical infrastructure as prescribed by respective statutory/ regulatory bodies concerned.

(3) An application made by the existing educational institution for the status of Private University shall comply to the conditions, application, and processes for establishment as mentioned under section-3, section-4, section-5, and section-6 (1) & 6(2). Notwithstanding anything mentioned in the above-mentioned sections, the existing institution shall continue to function as is, basis their existing affiliation and approval still a period of four years after the issuance of LoI or the passing of the last batch, whichever is earlier.

7. Expert Committee: -

(1) The Government shall constitute an Expert Committee, which will be a permanent body, to examine the application and proposals for setting up a new Private University received from the sponsoring body. The Expert Committee shall be the responsible body to make rules, in conformity with the provisions of this Regulation, if and when required, and to carry out any related tasks. The Government may revisit the constitution, and responsibilities of the Expert Committee from time to time and make changes, as it deems fit.

(2) The composition of the Expert Committee shall be as follows: -

a.	The Secretary, Education	- Chairperson
b.	The Deputy Commissioner, Concerned District	- Member
c.	The Director, Higher Education	- Member
d.	The Executive Engineer, APWD (to be nominated by CE, APWD)	- Member
e.	The Senior Accounts Officer, Finance Department, Secretariat	- Member
f.	The Deputy Secretary, Law Department, Secretariat	- Member
g.	The Deputy Secretary, Higher Education, Secretariat	- Member

The Chairperson may nominate special invitee member(s), if required.

3. The Chairman and Members shall be eligible for such sitting fees and allowances, as may be prescribed in the regulations.
4. The Expert Committee shall examine the proposal with reference to the following: -

    a. financial soundness and assets of the sponsoring body and its ability to setup the infrastructure of the proposed Private University;
    b. background of the sponsoring body such as experience in the field of education, its credibility and general reputation;
    c. potential of the courses to be offered which are not only of conventional nature but also in tune with the contemporary requirements of emerging branches of learning;
    d. appropriateness of the objectives of the proposed Private University against the overall goals and objectives of the Andaman and Nicobar Islands; and
    e. any other Regulation or that the Expert Committee may deem appropriate.

5. The Expert Committee, while considering the proposal and the project report, may call for such other information from the sponsoring body as it thinks proper for the purpose.
6. The Expert Committee shall make a recommendation on the establishment of Private University to the Government within sixty days from the date of its constitution. It may seek additional information only once, within thirty days of constitution, and the period taken by the sponsoring body to respond shall be excluded.

8. Letter of Intent & Compliances: -

(1) Within thirty days of receipt of the recommendation of the Expert Committee, the Government shall issue a Letter of Intent, or a reasoned order of rejection, or a single deficiency memorandum identifying all curable deficiencies. The sponsoring body shall be given not less than thirty days to cure such deficiencies.

(2) The Government reserves the right to accept or not to accept the evaluation report of the Expert Committee. The decision of the Government in this regard shall be final.

(3) The Government shall inform the sponsoring body about its decision through a Letter of Intent, a Letter of Regret, or a letter seeking modified proposal or additional information, as the case may be. Amendment to Schedule.

9. Establishment and inclusion in the Schedule:-

(1) The Government, if satisfied, after considering the compliance report submitted under Section 4 that the sponsoring body has complied with the provisions of sub-section (4) of Section 8, and with the approval of the Ministry of Education, may amend **schedule-III** for inclusion of the name of the new Private University. A notification will be published in the Andaman and Nicobar Gazette permitting the new Private University to be incorporated with such name, location, and jurisdiction.

(2) Names of the new Private Universities to be established under this Regulation shall be included in the Schedule-III.

(3) After the publication of notification in the Andaman and Nicobar Gazette, the Government will issue a letter of incorporation **(Annexure-3)** to the sponsoring body, which shall specify the conditions to be fulfilled by the newly incorporated Private University for the commencement of its regular operations such as students' admissions, running the courses, awarding the degrees etc.

(4) The said notification in section-9(1) and the said letter of incorporation in section-9(3) will be sent to UGC and Ministry of Education, Government of India for information.

(5) The sponsoring body, will be required to fulfill the conditions of the Letter of Incorporation mentioned in sections-9(3), within a period of two (2) years, as stated below:

   a. The sponsoring body will be required to make an application to UGC to enlist the newly incorporated Private University in the UGC List of Authorized Universities;

   b. The Private University must meet the norms, notification, regulations and guidelines as laid down by UGC from time to time, offer all academic and non-formal courses as per UGC guidelines on the same, adhere to the nomenclature of degrees and programs as specified by the UGC and set up statutes, regulations, rules, ordinances and constitute authorities like The Governing Council, The Executive Council, The Academic Council and

Finance Committee, etc. as mentioned in Section 24 to deal with governance, academic, administration and financial issues, etc.;

c. The Private University shall maintain standards, higher than the minimum, of instruction, academic and physical infrastructure, qualifications of teachers, etc. as prescribed for higher education institutions by the Regulatory body concerned, such as All India Council for Technical Education (AICTE), National Medical Commission(NMC), Dental Council of India (DCI), National Council for Teachers Education(NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC),etc. and shall obtain their approval for running various programs of study as applicable; and

(6) The Private University shall not admit any college or institution to the privilege of affiliation.

(7) It is mandatory for the Private University to get itself assessed by NAAC/NBA within six years of its commencement or on the date of first eligibility (for the accreditation), whichever is earlier and will also have to fulfill all other requirements / criteria laid down by various regulatory bodies as applicable.

10. Commencement of Private University: -

(1) Every Private University shall commence to exercise its function on such date as the Government may, by notification, specify in this behalf.

(2) The Government shall issue a notification under sub-section (1) only after receipt of an affidavit along with documents from the sponsoring body to the effect that all the conditions referred to in this Act have been fulfilled and after the Government is satisfied in this behalf.

11. Grants and Financial Assistance: -

Every Private University shall be a self-financing University and shall neither make a demand nor shall be entitled to any maintenance, grant-in-aid or any other financial assistance from the Government:

Provided that this shall not prohibit a Private University from applying for research projects or any other academic projects which may or may not entail financial grantor financial support from any other source.

Provided that this shall not prohibit a Private University from applying to Government to avail the benefits of under any policy of the Government.

12. Objectives of Private University: -

(1) The Private University shall act in a manner such that it aligns itself with the National Education Policy (NEP), 2020 and as amended from time to time.

(2) The objectives of a Private University shall be to disseminate and advance education, knowledge and skill by providing instructional, research and extension of facilities in such branches of learning as it may deem fit and the Private University shall endeavour to provide to students and teachers the necessary atmosphere and facilities for the promotion of,-

a. innovations in education leading to restructuring of courses, new methods of teaching, training and learning including on-line learning, blended learning, continuing education and such other modes and integrated and wholesome development of personality;
b. studies in various disciplines;
c. inter-disciplinary studies;
d. national integration, secularism, social equity and engineering of international understanding and ethics;
e. educational programmes for diplomas, degrees and post-graduate courses, doctorate degrees and post-doctoral programmes and to maintain high standards of education; and
f. collaboration with national and global institutions, and creation of capabilities for upgrading programmes to the global standards, subject to the guidelines of the UGC and other regulatory bodies.

13. Powers of Private University: -

Every Private University shall have the following powers, namely: -

a. to provide for instructions in such branches of learning as the Private University may, from time to time, determine and to make provisions for research and for the advancement and dissemination and application of knowledge and skills.
b. to impart and promote the study of humanities and social sciences, science, engineering and technology, management, law, medical and allied sciences and any other professional courses through in-campus, off-campus, and satellite centres or by distance educational programmes.
c. to honour educational stalwarts and persons of academic eminence with the decoration of professor Emeritus.
d. to grant, subject to such conditions as the Private University may determine, diplomas or certificates to, and confer degrees or other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on persons, and to withdraw any such diplomas, certificates, degrees or other academic distinctions for good and sufficient cause.
e. to confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed.
f. to provide education and training including correspondence and such other courses, to such persons who are not members of the Private University, as it may determine.

g. to institute Directorships, Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships, and other teaching or academic posts required by the Private University and to make appointments for the same.
h. to create administrative, ministerial and other posts and to make appointments thereto.
i. to appoint or engage persons of eminence working in any other University or Organisation permanently or for a specified period.
j. to co-operate, collaborate or associate with any other University or Authority or Institution in India and abroad in such manner and for such purpose as the Private University may determine.
k. to establish and maintain schools, centres, utilized laboratories or other units for research and instructions as are in the opinion of the Private University, necessary for the furtherance of its objects.
l. to institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes.
m. to establish and maintain and supervise residences, hostels within the Private University and promote the health and general welfare activities for students and staff.
n. to make provisions for research and consultancy, and for that purpose to enter into such arrangements with other institutions or bodies as the Private University may deem necessary.
o. to declare a centre, an institution, a department, or school, as the case may be, in accordance with the statutes.
p. to determine standards for admission into the Private University, which may include examination, evaluation or any other method of testing.
q. to prescribe, demand and receive payment of fees and other charges.
r. to make such arrangements in respect of the residence, discipline and teaching of women and other disadvantaged students as the Private University may deem fit.
s. to regulate and enforce discipline amongst the employees and students of the Private University and take such disciplinary measures in this regard as may deem necessary by the Private University.
t. to make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the Private University.
u. to receive donations and to acquire, hold, manage and dispose through sale or lease or rent of any property, movable or immovable for the welfare of the Private University subject to the Section 4(1) of the Regulation.
v. to borrow without security or by way of hypothecation or mortgage against the property of the Private University with the approval of the sponsoring body subject to the Section 4(1) of the Regulation.
w. to appoint either on contract or otherwise, visiting professors, emeritus professors, consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the Private University.
x. to organise and to undertake extra-mural studies and extension service.

y. to do all such other Regulations and things as may be necessary, incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Private University, inconformity with the provisions of this Regulation.

14. Admission & Fees: -

(1) Every Private University shall, subject to the provisions of this Regulation and the relevant statutes and regulations of the UGC and other regulatory bodies, as the case may be, be open to all persons irrespective of gender, class and creed.

(2) Nothing contained in sub-section(1) shall require a Private University:-

i. to admit to any course of study any person who does not possess the prescribed academic qualification or standard;

ii. to retain on the rolls of the Private University any student whose academic record is below the minimum standard required for the award of a degree or other academic distinction;

iii. to admit any person or retain any student whose conduct is prejudicial to the interest of the Private University or the rights and privileges of other students and teachers; and

iv. to retain on rolls of the Private University any student who fails to remit necessary fees as prescribed for the course.

(3) Subject to the provisions of sub-sections (1) and (2) and the standard admission process of the Private University as may be prescribed, the Private University shall reserve twenty-five percent

(4) of seats in each course of study for the students domiciled in the UT of Andaman and Nicobar Islands. The category-based reservation of seats within the mandate of twenty-five percent seats reserved for students domiciled in the UT of Andaman and Nicobar Islands shall be regulated by the laws and orders of the UT of Andaman and Nicobar Administration from time to time.

(5) The Private University shall conduct its admission through an online transparent admission process.

(6) The Private University may, from time to time, prepare its fee structure and send it for approval of the Governing Council constituted for the purpose under section-26.

(7) The Governing Council shall consider the fee structure prepared by the university and if it is satisfied that the proposed fee is: -

i. Sufficient for-

a. generating resources for meeting the recurring expenditure of the university; and

b. the savings required for the further development of the university; and

ii. not unreasonably excessive, it may approve the fee structure.

(8) The fee structure approved by the Governing Council under sub-section (5) shall remain in force for three years and the University shall be titled to charge fees in accordance with such fees structure.

(9) The Private University shall not charge any fees, by whatever name called, other than that for which it is entitled under sub- section (5).

(10) The Private University shall communicate prescribed fee structure to the Government. The Government shall be entitled to ensure that the prescribed fee does not entail profiteering or charging of capitation fee.

(11) The Private University shall allow merit scholarship to at least five percent of the total strength, to the students from economically or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes.

15. Officers of Private University: -The following shall be the officers of a Private University, namely: -

a. The Chancellor;
b. The Vice-Chancellor;
c. The Pro-Vice-Chancellor;
d. The Registrar;
e. The Deans and Directors;
f. The Finance Officer/Accounts Officer;
g. The Controller of Examinations.; and
h. Such other persons as may be declared by the statutes to be officers of the Private University.

16. Chancellor:-

(1) The Chancellor shall be appointed by the Management Committee for a period of three years, as may be prescribed.

(2) The Chancellor shall, by virtue of his office, be the Head of the Private University and shall constitute an interim Executive Council. The interim Executive Council so constituted shall cease to exist on the constitution of the Executive Council under section 26.

(3) The Chancellor may in writing under his hand addressed to the Management Committee, resign his office.

(4) The Chancellor shall have the powers to call for any information or record

17. Vice-Chancellor: -

(1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the Private University and shall be appointed by the Chancellor from a panel of three names recommended by a Search-cum-Selection Committee constituted for the purpose, and shall hold office for a term of three years.

Provided that, a Vice-Chancellor shall continue to hold the office even after expiry of his term till a new Vice-Chancellor joins. However, in any case, this period shall not exceed 01 year.

(2) The qualifications of the Vice-Chancellor shall be in accordance with the University Grants Commission (Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other

Academic Staff in Universities and Colleges and other Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education) Regulations, 2018.

(3) The procedure for composition of Search-cum-Selection-Committee (SCSC) for the selection of Vice- Chancellor shall be as under—

a. a nominee of the Chancellor, who shall be a reputed academician as the Chairperson of the Committee;

b. a nominee of the Chairman, University Grants Commission; and

c. an academician, with not less than ten years' service as Professor, nominated by the Executive Council.

(4) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the Private University and shall exercise general superintendence and control over the affairs of the Private University and shall execute the decisions of various authorities of the Private University.

(5) The Vice-Chancellor shall preside at the convocation of the Private University in the absence of the Chancellor.

(6) If in the opinion of the Vice-Chancellor it is necessary to take immediate action on any matter for which powers are conferred on any other authority by or under this Regulation, he may take such action as he deems necessary, and shall at the earliest opportunity thereafter report his action to such officer or authority as would have in the ordinary course dealt with the matter:

Provided that if in the opinion of the concerned officer or authority such action should not have been taken by the Vice-Chancellor then such case shall be referred to the Chancellor, whose decision thereon shall be final:

Provided further that where any such action taken by the Vice-Chancellor affects any person in the service of the university, such person shall be entitled to prefer, within three months from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Governing Council. The decision of the Governing Council shall be communicated to the person concerned within a maximum period of three months from the date of appeal.

7. If, in the opinion of the Vice-Chancellor any decision of any authority of the Private University is not in conformity with the powers conferred by this Regulation, Statutes, Ordinances or Regulations made there under, or is likely to be prejudicial to the interest of the Private University, he shall request the concerned authority to revise its decision. In case the authority refuses to revise such decision wholly or partly or fails to take any decision within fifteen days, then such matter shall be referred to the Chancellor and his decision thereon shall be final, which will be reported to the Governing Council for ratification.

8. The Vice-Chancellor shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

9. If the office of the Vice-Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he or she is unable to perform his or her duties due to ill health or any other cause, the Pro-Vice- Chancellor shall perform the duties of the Vice-Chancellor;

Provided that if the Pro-Vice-Chancellor is unavailable, the Chancellor shall appoint the senior most Professor who shall perform the duties of the Vice-Chancellor, until a new Vice-Chancellor assumes office or the existing Vice-Chancellor resumes the duties of his or her office, as the case may be.

10. The Vice-Chancellor shall be the *ex-officio* Chairperson of the Executive Council, the Academic Council and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees to the students.
11. The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the Private University, but shall not be entitled to vote unless he or she is a member of such authority or body.
12. It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that these regulations are duly observed and implemented and he or she shall have all the powers necessary to ensure such implementation.
13. The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the Private University, and he or she may delegate any such powers to such person or persons, as he or she may deems fit.

18. Pro-Vice-Chancellor:-

(1) On the recommendation of the Vice-chancellor, the Executive Council shall appoint a Professor as Pro-Vice-Chancellor to discharge the duties of the Pro-Vice-Chancellor in addition to his or her duties as a Professor;

Provided further that where the recommendation of the Vice-Chancellor is not accepted by the Executive Council, the matter shall be referred to the chancellor, who may either appoint the Professor recommended by the Vice-Chancellor or ask the Vice-Chancellor to recommend name of another Professor for re-consideration by the Executive Council.

(2). The term of office of the Pro-Vice-Chancellor shall be such as may be decided by the Executive Council, but it shall not, in any case, exceed three years or until the expiration of the term of office of the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

Provided that the Pro-Vice-Chancellor whose term of office has expired shall be eligible for re-appointment by following the procedure prescribed for the appointment of Pro-Vice-Chancellor:

Provided further that the Pro-Vice-Chancellor shall, while discharging the duties of the Vice-Chancellor, continue in office, notwithstanding the expiration of his or her term of office as Pro-Vice-Chancellor, until the Vice-Chancellor resumes office or a new Vice-Chancellor assumes office, as the case may be:

Provided also that, in any case, the Pro-Vice-Chancellor shall retire on attaining the age of sixty-five years.

(3). The Pro-Vice-Chancellor shall have the powers and duties as may be prescribed by the regulations of the Private University.

(4). The Pro-Vice-Chancellor shall assist the Vice-Chancellor in respect of such matters as may be specified by the Vice-Chancellor on this behalf, from time to time, and shall also exercise such powers and perform such duties as may be assigned or delegated to him by the Vice-Chancellor.

19. Registrar: -

(1) The Registrar shall be a whole time salaried officer of the Private University and shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the selection committee consisting of the following:-

i. Vice-Chancellor - Chairman;
ii. one nominee of the Chancellor;
iii. two members of the Executive Council nominated by it; and
iv. one expert not in the service of the University to be nominated by the Executive Council.

(2) The holder of the post of Registrar shall possess the qualifications by the UGC.

(3) The Registrar shall hold office for a term of three years from the date of assuming office and shall be eligible for re-appointment for a second term by following the procedure prescribed for Registrar;

(4) All such Regulations shall be signed, and all documents and records shall be authenticated by the Registrar on behalf of the Private University.

(5) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence, or any other cause, unable to perform the duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(6) The Registrar shall be ex-officio Secretary of the Executive Council and the Academic Council, but shall not be deemed to a member of any of these authorities.

(7) The Registrar shall be directly responsible to the Vice-Chancellor and work under his or her direction.

(8) The Registrar shall have the power to take disciplinary action against employees, excluding teachers and other academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose on them the penalty of censure or the withholding of increment;

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him or her.

(9) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Register imposing any of the penalties specified in the regulations.

(10) It shall be the duty of the Registrar:-

a. to be the custodian of the records, the common seal, and such other property of the Private University as the Executive Council shall commit to his or her charge;
b. to issue all notices convening meetings of the Executive Council, the Academic Council, and ay Committees appointed by those authorities;
c. to keep the minutes of all the meetings of the Executive Council, the Academic Council, and any Committees appointed by those authorities.
d. to conduct the official correspondence between the Executive Council and the Academic Council;
e. to supply to the Chancellor copies of the agenda of the meetings of the authorities of the Private University as soon as they are issued and the minutes of such meetings;
f. to represent the Private University in suits or proceedings by or against the University, sign powers of attorney and verify pleadings or depute his or her representative for the purpose;
g. to perform such other duties as may be specified in the rules of the Private University or as may be required from time to time by the Executive Council or the Vice-Chancellor as the case may be;
h. to enter into an agreement, sign documents, and authenticate records on behalf of the Private University.
i. to make arrangements to safeguard and maintain the buildings, gardens, office, canteen, cars and other vehicles, laboratories, libraries, reading room, equipment and other properties of the Private University; and
j. to conduct the official correspondence on behalf of the authorities of the Private University.

(11) If at any time upon representation made or otherwise, and after making such inquiry as may be deemed necessary, the situation so warrants that the continuance of the Registrar is not in the interest of the Private University, the Vice-Chancellor may request the Chancellor, in writing stating the reasons therein, for the removal of the Registrar:

Provided that before taking an action under this sub-section, the Registrar shall be given an opportunity of being heard.

20. Deans and Directors/ Head of Departments:-

I. Dean:-

1. The Dean shall be the academic head of the Faculty or Centre and shall be responsible for academic leadership, coordination, and maintenance of standards of teaching, research, and academic administration.

2. The selection of the Dean shall ordinarily be made by the Vice-Chancellor on the basis of recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose or such other mechanism as may be prescribed by the Statutes or Regulations of the University.
3. Every Dean of the faculty shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the faculty, by rotation, for a period of two years;

   Provided that if there is only one Professor or no Professor in a school or faculty, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the faculty.

4. The Selection Committee shall assess the suitability of eligible candidates on the basis of academic merit, teaching and research experience, administrative capability, leadership qualities, and integrity.
5. When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by the senior-most Professor or Associate Professor,.as the case may be.
6. The Dean shall be the Head of the faculty or entre and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the school or faculty or centre and shall have such other functions as may be prescribed by the regulations of the Private University.
7. The Dean shall have the right to present and speak at any meeting of the committees of the faculty or centre, as the case may be, but shall not have the right to vote there unless he/ she is a member thereof.
8. The Dean shall be responsible for—
   (a) academic planning and development of the Faculty;
   (b) supervision and coordination of Departments and academic programmes;
   (c) implementation of academic policies, Statutes, Ordinances, and Regulations;
   (d) promotion of research, innovation, consultancy, and academic collaboration;
   (e) maintenance of discipline, quality assurance, and academic standards;
   (f) preparation of academic reports, development plans, and other documents as required by the University; and
   (g) performance of such other functions as may be assigned by the Vice-Chancellor or prescribed by the Statutes or Regulations of the University.

II. Directors/ Head of Departments:-

a. The Director shall be the administrative and academic head of the concerned Institute, Centre, Directorate, Campus, School, or unit and shall function under the supervision, direction, and control of the Vice-Chancellor.
b. Every Director shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the faculty, by rotation, for a period of two years;

Provided that if there is only one Professor or no Professor in a school or faculty, the Director shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the faculty.

c. Where the office of the Director is vacant, or where the Director is unable to perform the duties of the office by reason of illness, absence or any other cause, the Vice-Chancellor may appoint a suitable person to discharge the functions of the Director until regular arrangements are made.
d. The Director shall have the right to be present and to speak at any meeting of the committees or bodies relating to the concerned School, Centre, Institute, Directorate or unit, but shall not be entitled to vote there at unless he or she is a member thereof.
e. The selection of the Director shall be made by the Vice-Chancellor on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose or in such manner as may be prescribed by the Statutes or Regulations of the University.
f. The Selection Committee shall consider academic qualifications, professional competence, administrative experience, leadership ability, and domain expertise.
g. The Director shall be responsible for—
   i. administration and management of the concerned unit;
   ii. implementation of academic, administrative, financial, and policy decisions of the University;
   iii. promotion of teaching, training, research, innovation, skill development, consultancy, and outreach activities;
   iv. preparation and execution of development plans, budgets, and annual reports; (e) coordination with statutory bodies, regulatory authorities, industry, and other institutions;
   v. maintenance of discipline, quality standards, and operational efficiency;
   vi. supervision of faculty, staff, and students attached to the unit; and
   vii. performance of such other duties as may be assigned by the Vice-Chancellor or prescribed by the Statutes or Regulations of the University.

21. Finance Officer/ Accounts Officer: -

1. The Finance Officer/ Accounts Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried officer of the Private University.

   Provided that, the Finance Officer shall retire on attaining the age of 60 years.

2. The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.
3. The When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his or her

office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

4. The Finance Officer shall be the ex-officio Secretary of the Finance Committee.
5. The Finance Officer shall –
   a. exercise general supervision over the funds of the Private University and shall advise it as regards its financial policy; and
   b. perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be prescribed by the rules of the Private University.
6. Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall –

   a. ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and non-recurring expenditures for a year are not exceeded and that all amounts of money are expended on the purpose for which they are granted or allotted;
   b. be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the Private University and for their presentation to the Executive Council;
   c. keep a constant watch on the state of the cash and bank balance and on the state of investments;
   d. watch the progress of the collection of revenue and advice on the methods of collection employed;
   e. ensure that the registers of buildings, land, furniture, and equipment are maintained and up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, departments, schools, faculties, centers and specialised laboratories;
   f. bring to the notice of the Vice-Chancellor un-authorized expenditure and other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault;
   g. call for from any office, department, school, faculty, centre, laboratory, etc. maintained by the Private University any information or returns that he or she may consider necessary for the performance of his or her duties; and
   h. work under the direction of the Vice-Chancellor and shall be responsible to the Executive Council through the Vice-Chancellor.

22. Controller of Examinations: -

(1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a selection committee constituted for the purpose and he or she shall be a whole-time salaried Officer of the Private University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of 03 years and shall be eligible for re-appointment for next term.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examination shall be such as may be prescribed by the Executive Council from time to time.

(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the

duties of his or her office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Examination shall arrange for and superintend the examinations of the Private University in the manner as may be prescribed by the prescribed the regulations of the Private University.

(6) The Controller of Examinations shall be a permanent invitee to the Academic Council.

(7) The Controller of Examinations shall ensure that all the specific directions of the Executive Council, Academic Council and Vice-Chancellor in respect of examination and evaluation are complied with.

23. Other Officers: -The manner of appointment and powers and duties of the other officers of a Private University shall be such as may be prescribed.

Authorities of Private University: -

(1) The following shall be the authorities of the Private University, namely: -

a. The Governing Council;
b. The Executive Council;
c. The Academic Council;
d. Finance Committee;
e. Planning Board; and
f. Board of Faculties, Admission Committee, Examination Committee &such other authorities as may be created by the Statutes shall be the authorities of the Private University.

(2) The term of the nominated members of the Governing Council and the Executive Council shall be three years. No nominated member shall be nominated for more than two consecutive terms.

24. The Governing Council: -

(1) The Governing Council of the university shall consist of the following, namely: -

a. the Chancellor;
b. the Vice-Chancellor;
c. three eminent persons nominated by the sponsoring body out of whom at least one shall be noted educationist;
d. three distinguished persons nominated by the Visitor out of a panel of six names submitted by the Government; and
e. one representative of the Government, not below the rank of Deputy Secretary.

(2) The Chancellor shall be the *ex-officio* Chairman of the Governing Council.

(3) The Governing Council shall be the highest authority of the university. All the movable and immovable property of the university shall vest in the Governing Council. It shall have following powers, namely: -

a. to provide general superintendence and directions and to control functioning of the Private University by using all such powers as are provided by this Regulation or the Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;
b. to review the decisions of other authorities of the Private University in case they are not in conformity with the provisions of this Regulation, or the Statutes, Ordinances or Regulations made thereunder;
c. to approve the budget and annual report of the Private University;
d. to lay down the policies to be followed by the Private University;
e. to recommend to the sponsoring body about the voluntary liquidation of the Private University if a situation arises when smooth functioning of the Private University is not possible; and
f. such other powers as may be prescribed by the Statutes.

(4) The Governing Council shall meet at least three times in a calendar year.

(5) The quorum for meetings of the Governing Council shall be five (5).

25. The Executive Council: –

(1) The Executive Council shall be the chief executive body of a Private University.

(2) The Executive Council shall consist of not more than ten members, namely, the following members: -
a. the Vice-Chancellor;
b. two representatives nominated by the sponsoring body;
c. two representatives nominated by the UT Government of Andaman and Nicobar Administration
d. two senior most professors of the Private University by rotation; and
e. two senior most teachers of the Private University, other than in sub-section (2)(d), by rotation.

(3) The Vice-Chancellor shall be the *ex-officio* Chairperson of the Executive Council.

(4) The Executive Council shall meet at least once in every two months.

(5) The quorum for meetings of the Executive Council shall be five (5).

(6) The Executive Council shall have the power of management and administration of the Private University.

(7) The Executive Council shall be the final decision-making body of the Private University in respect of every matter of the University, including academic, administrative, personnel, financial and development matters.

(8) Subject to the provisions of these regulations of the Private University, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—
a. to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff, including Chairs, as may be necessary, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the said purpose and to fill up temporary vacancies therein;

b. to regulate and enforce discipline amongst the employees of the institution in accordance with the Regulations of the Private University.

c. to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Professor of Practice, Consultants, Scholars, etc., and determine the terms and conditions of such appointments;

d. to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the regulations of the Private University;

e. to make regulations for the Private University; and

26. The Academic Council:-

(1) The Academic Council shall be the principal academic body of the Private University and shall, subject to the provisions of this Regulation, Statutes, Ordinances and Regulation, co-ordinate and exercise general supervision over the academic policies of the Private University.

(2) The composition of the Academic Council shall be as under—

i. Vice Chancellor - Chairperson;

ii. Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);

iii. Deans of faculties of the schools and Directors/ Head of Departments or centres;

iv. up to 02 Professors (excluding those who are Deans of schools and Directors of departments or centres) by rotation, to be nominated by the Vice-Chancellor giving due regard to the representation of different schools or departments or centres;

v. up to 02 Associate Professors from departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

vi. up to 02 Assistant Professors from the departments or centres other than the heads of the departments or centres, by rotation, to be appointed by the Vice-Chancellor;

vii. 02 persons of repute from amongst the educationists or experts for their specialised knowledge, who are not in the service of the Private University, nominated by the Vice-Chancellor; and

viii. the Registrar, who shall be the *ex-officio* Secretary of the Academic Council.

(3) The representation of different categories shall be through rotation and not through an election and the term of members, other than the ex-officio members, shall be three years and the Controller of Examination shall be the permanent invitee to the meetings of the Academic Council.

(4) Subject to the provisions of these regulations of the Private University, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:—

a. to exercise general supervision over the academic policies of the Private University and to give directions regarding methods of instruction, co-ordination of teaching among departments or faculties or schools or centers, evaluation of research and improvement of academic standards;

b. to bring about and promote inter-departmental, inter-faculty, inter-school, inter-center co-ordination and to establish or appoint such committees or boards, as may be deemed necessary for the purpose;
c. to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a department or faculty or school or centre or the Executive Council, and to take appropriate action thereon;
d. to prescribe courses or programmes of study leading to degree and diploma of the institution Private University;
e. to make arrangements for the conduct of examinations in conformity with the rules and bye-laws of the Private University;
f. to maintain proper standards of the examination;
g. to recognise diplomas and degrees of Universities and other Institutions and to determine equivalence with the diplomas and degrees of the Private University;
h. to institute Fellowships, Scholarships, Medals, Prizes, etc.;
i. to frame rules covering the academic functioning of the Private University, admissions, examinations, award of fellowships and studentships, free-ships, concessions, attendance, discipline, residence, etc.;
j. to take a periodical review of the activities of the departments or centres and to take appropriate action to maintain and improve the standards of instruction;
k. to recommend the institution of teaching posts (Professors, Associate Professors, and Assistant Professors) to the Executive Council;
l. to make recommendations to the Executive Council for the establishment or abolition of departments or centres or schools or faculties, etc.
m. to make recommendations to the Executive Council;
n. to exercise such other powers and to perform such other duties, as may be conferred or imposed upon it by the rules of the Private University;
o. the Academic Council shall meet as often as necessary but not less than four times (at least two times in a semester) during an academic year with not less than seven days prior notice being given before every meeting of the Academic Council and emergency meetings may be convened at a shorter notice, for reasons to be recorded in writing for such emergency meeting;
p. one-third of the total number of members of the Academic Council shall constitute the quorum for the meeting of the Academic Council;
q. each member, including its Chairperson, shall have one vote, and decisions at the meetings of the Academic Council shall be taken by simple majority; and in case of a tie, the Chairperson shall have a casting vote; and
r. any business that may be necessary for the Academic Council to perform, which may be urgent in nature, may be carried out by circulation amongst its members.

27. Finance Committee: -

(1) The Finance Committee shall be the principal financial body of a Private University to take care of the financial matters.

(2) The composition of the Finance Committee shall be:-

i. Vice-Chancellor- Chairperson;

ii. Pro Vice-Chancellor (wherever applicable);

iii. one person nominated by the society or trust or company, as the case may be(wherever applicable);

iv. three persons to be nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member of the Executive Council;

v. three persons to be nominated by the Chancellor;

vi. Finance Officer- Secretary-ex officio

(3) All members of the Finance Committee other than ex-officio member shall hold office for a term of three years.

(4) The Finance Committee shall meet at least four times in an academic year (at least twice each semester) to examine the accounts and scrutinise the proposals for expenditure and one-third of the total number of numbers of the Finance Committee shall form the quorum for a meeting.

(5) All proposals relating to the creation of posts and those items which have not been included in the Budget, shall be examined by the Finance Committee before the Executive Council considers them and to decide waiver in fees, the establishment of scholarships, free ship and any other financial benefits.

(6) The annual accounts and financial estimates of the Private University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter the same shall be submitted to the Executive Council for approval.

(7) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring and non-recurring expenditures for the year, based on the income and resources of the Private University.

28. Planning Board: -

(1) The Planning Board shall be the principal planning body of a Private University. The Planning Board shall ensure that the infrastructure and academic support system meets the norms prescribed by the regulatory bodies.

(2) The Planning Board shall be the principal planning body of the Private University and shall be responsible for ensuring systematic development of the infrastructure and academic support system of the University in accordance with the norms prescribed by the University Grants Commission and other regulatory bodies.

(3) The Planning Board shall specifically oversee planning, development, maintenance, and upgradation of academic infrastructure, administrative infrastructure, laboratories,

libraries, hostels, information and communication technology facilities, research facilities, and other support systems required for efficient functioning of the University.

(4) The Planning Board shall consist of the following members, namely:–

a. The Vice-Chancellor – Chairperson;
b. The Pro Vice-Chancellor, if any – Member;
c. The Registrar – Member Secretary;
d. The Finance Officer – Member;
e. The Dean of Academic Affairs – Member;
f. The Director/ Head of Department nominated by the Vice-Chancellor – Member;
g. One expert in higher education planning and development nominated by the Chancellor – Member;
h. One expert in infrastructure, engineering, or project management nominated by the sponsoring body – Member;
i. One representative of the sponsoring body – Member; and
j. Such other members as may be prescribed by the Statutes.

(5) The nominated members of the Planning Board shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-nomination for one further term.

(6) The Planning Board shall meet at least twice in a year or more frequently, if required, for consideration of development plans and infrastructure requirements of the University.

(7) One-third of the total members shall constitute the quorum for a meeting of the Planning Board.

(8) The powers and functions of the Planning Board shall include the following, namely:–

a. to prepare short-term and long-term plans for development of the infrastructure and academic support system of the University;
b. to assess requirements relating to classrooms, laboratories, libraries, hostels, research centres, sports facilities, digital infrastructure, and other academic support services;
c. to recommend establishment, expansion, modernization, and maintenance of infrastructure facilities in the University;
d. to ensure availability of adequate academic resources, learning materials, technology-enabled teaching facilities, and student support systems;
e. to review the adequacy and quality of infrastructure and support services in conformity with the standards prescribed by statutory and regulatory authorities;
f. to advise the University regarding mobilization and optimal utilization of financial and physical resources for infrastructure development;
g. to promote environmentally sustainable, inclusive, and technology-driven campus development;
h. to monitor implementation of infrastructure projects and academic development schemes approved by the University; and
i. to perform such other functions as may be assigned by the Board of Management or prescribed by the Statutes.

9. The Planning Board may constitute committees, expert groups, or advisory panels for infrastructure planning, academic resource development, quality enhancement, and other related matters.
10. The constitution, powers, procedure for conduct of meetings, and other matters relating to the Planning Board shall be such as may be prescribed by the Statutes.

29. Board of Faculties, Admission Committee, Examination Committee and other Authorities of Private University: - The constitution, powers and functions of the Boards of Faculties, the Admission Committee, the Examination Committee and of such other authorities of a Private University shall be as prescribed in the statutes.

A. Board of Faculties:

1. There shall be a Board of Faculties for each Faculty of the Private University.
2. The Board of Faculties shall consist of the following members, namely:–
   (a) The Dean of the concerned Faculty – Chairperson;
   (b) The Director/ Head of Department under the concerned Faculty – Member;
   (c) Two senior teachers of the Faculty nominated by the Vice-Chancellor – Members;
   (d) One eminent academician from outside the University nominated by the Chancellor – Member; and
   (e) Such other members as may be prescribed by the Statutes – Members.
3. The nominated members of the Board of Faculties shall hold office for a term of three years and shall be eligible for re-nomination for one further term.
4. The Board of Faculties shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:–
   (a) to recommend courses of study, curriculum, and syllabi for various programmes of the Faculty;
   (b) to promote teaching, research, training, innovation, and academic development within the Faculty;
   (c) to recommend establishment of new departments, centres, courses, and programmes under the Faculty;
   (d) to coordinate and supervise academic activities of the departments under the Faculty; and
   (e) to perform such other functions as may be assigned by the Academic Council or prescribed by the Statutes.

B. Admission Committee:

1. The Private University shall constitute an Admission Committee for regulating admissions to various courses and programmes of study offered by the University.
2. The Admission Committee shall consist of the following members, namely:–
   (a) The Vice-Chancellor or his nominee – Chairperson;

(b) The Registrar – Member Secretary;

(c) The Dean of Academic Affairs – Member;

(d) One representative of the sponsoring body – Member; and

(f) Such other members as may be prescribed by the Statutes – Members.

3. The nominated members of the Admission Committee shall hold office for a term of three years.

4. The Admission Committee shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:–

(a) to regulate and supervise the admission process of the University;

(b) to ensure that admissions are conducted in a fair, transparent, merit-based, and non-discriminatory manner;

(c) to verify eligibility criteria and admission records of candidates;

(d) to ensure compliance with the provisions of this Act, rules, regulations, and guidelines issued by the regulatory authorities;

(e) to consider and decide admission-related grievances and disputes; and

(f) to perform such other functions as may be assigned by the University authorities or prescribed by the Statutes.

C. Examination Committee:-

1. The Private University shall constitute an Examination Committee for supervision and regulation of examinations conducted by the University.

2. The Examination Committee shall consist of the following members, namely:–

(a) The Controller of Examinations – Chairperson;

(b) The Registrar – Member;

(c) The Dean nominated by the Vice-Chancellor – Member;

(d) Two senior teachers nominated ,by the Vice-Chancellor – Members; and

(e) Such other members as may be prescribed by the Statutes – Members.

3. The nominated members of the Examination Committee shall hold office for a term of three years.

4. The Examination Committee shall exercise the following powers and perform the following functions, namely:–

(a) to supervise and regulate conduct of examinations of the University;

(b) to ensure proper setting, moderation, custody, and evaluation of question papers and answer scripts;

(c) to ensure timely declaration and publication of examination results;

(d) to maintain confidentiality, integrity, and discipline in the examination system;

(e) to recommend measures for prevention of unfair means and malpractice in examinations;

(f) to maintain academic records and examination-related documents; and

(g) to perform such other functions as may be assigned by the Academic Council or prescribed by the Statutes.

D. Other Authorities and Committees:-

1. The Private University may constitute such other authorities, committees, councils, boards, or bodies as may be considered necessary for efficient administration and academic governance of the University.

2. Such authorities and committees may include Research Council, Internal Quality Assurance Cell, Student Welfare Committee, Grievance Redressal Committee, Anti-Ragging Committee, Library Committee, Hostel Committee, Ethics Committee, Sexual Harassment Committee, and such other bodies as may be required under the provisions of this Regulation.

30. Power to make Statutes:-

(1) The Executive Council shall make the statutes for carrying out the purposes of this Regulation, subject to the approval of the Management Committee.

(2) Subject to the provisions of this Regulation, the statutes may provide for all or any of the following matters, namely: -

a. the constitution, powers and functions of the authorities of the Private University, as may be constituted from time to time;
b. the appointment and continuance in office of the members of the said authorities, filling up of vacancies of members and all other matters relating to those authorities for which it may be necessary to provide;
c. the appointment, powers and duties of the officers of the Private University and their emoluments;
d. the appointment of teachers of the Private University and other academic and administrative staff and their emoluments;
e. the appointment of teachers and other academic and administrative staff working in the Private University or Institution for specific period for undertaking a joint project;
f. the conditions of service of employees including provisions for retirement benefits, insurance and provident fund, the manner of termination of service and disciplinary actions;
g. the principles governing seniority of service of employees;
h. the procedure for settlement of disputes between employees or students and the Private University;
i. the procedure for appeal to the Executive Council by any employee or students against the action of any officer or other authority of the Private University;
j. the conferment of honorary degrees;
k. the withdrawal of degree, diploma, certificate and other academic distinction;
l. the institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;

m. the maintenance of discipline among the students;
n. the establishment and abolition of Department, Centres and other institutions;
o. the delegation of powers vested in the authorities or officers of the Private University; and
p. all other matters, which may by this Regulation are to be or may be prescribed.

(3) The Executive Council shall not make, amend or repeal any statute affecting the powers or constitution of any authority of the Private University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion in writing on the proposed changes, and any opinion so expressed shall be considered by the Executive Council.

31. Statutes, how to be made:-

(1) The Executive Council may, from time to time, make statutes and amend or repeal the statutes in the manner hereinafter provided in this section.

(2) A statute or an amendment to, or repeal of, a statute passed by the Executive Council shall be submitted to the Management Committee who may assent thereto or withhold its assent. A statute or an amendment to, or repeal of, a statute passed by the Executive Council shall have no validity unless it has been assented to by the Management Committee. A copy of the statutes shall be sent to the Government for information.

32. Power to make Ordinances and Regulations:- Subject to the provisions of this Regulation and the statutes, the ordinances and the Regulations shall be made by the Management Committee, subject to the approval of the Management Committee, which may provide for all or any of the following matters, namely:-

a. the admission of students to the Private University and their enrolment.
b. the courses of study to be laid down for all degrees, diplomas and certificates of the Private University.
c. the medium of instruction and examination.
d. the award of degree, diploma, certificate and other academic distinctions, the qualification for the same and the matters to be taken relating to the granting and obtaining of the same.
e. the fees to be charged for courses of study in the Private University and for admission to the examinations, degrees, diplomas and certificates of the Private University.
f. the conditions for the award of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes.
g. the conduct of examinations, including the term of office and manner of appointment and the duties of examining bodies, examiners and moderators.
h. the conditions of residence of the students of the Private University.
i. the special arrangements, if any, which may be made for the residence, discipline and teaching of women students and prescribing of special courses of studies for them within the Private University.
j. the appointment and emoluments of employees other than those for whom provision has been made in the statutes.

k. the establishment of Centre of Studies, Boards of Studies, Interdisciplinary Studies, Special Centres, Specialised Laboratories and other Committee.
l. the manner of co-operation and collaboration with other Universities and authorities including learned bodies or association.
m. the creation, composition and functions of any other body which is considered necessary for improving the academic mileage of the Private University.
n. the remuneration to be paid to the examiners, moderators, invigilators and tabulators.
o. such other terms and conditions of service of teachers and other academic staff as are not prescribed by the statutes.

33. Ordinances and Regulations, how to be made:-

(1) In making ordinances and regulations, the Executive Council shall consult the Management Committee.
(2) All ordinances and regulations made by the Executive Council shall have effect from such date as it may direct.

34. Annual Report:-

(1) The annual report of a Private University shall be prepared under the direction of the Executive Council and shall be submitted to the Governing Council on or after such date as may be prescribed and the Governing Council shall consider the report in its annual meeting. A section of the annual report should consist of self-disclosures by the Private University for compliances met with the provisions under this Regulation in the reporting period.
(2) The Governing Council shall submit the annual report to the Chancellor along with its comments, if any.
(3) Post approval from the Governing Council, the Executive Council shall upload the annual report on its official website and share a copy of the same to the UT Government.

35. Annual Accounts:-

(1) The annual accounts and balance sheet of a Private University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall, once at least every year and at intervals of not more than fifteen months, be audited by an external, experienced and qualified firm of Chartered Accountant eligible for conducting audit as per the provisions of the Chartered Accountant Regulation, 1949 (Central Regulation XXXVIII of 1949).
(2) A copy of the annual accounts, together with the audit report thereon, shall be submitted to the Governing Council along with the observations of the Executive Council for their approval.

36. Conditions of service of employees: -

(1) Every employee of a Private University shall be appointed or engaged as per the provisions of the statutes. The recruitment of teaching and non-teaching staff to be done in as per Section 4(5) of this Regulation.

(2) Any dispute arising between a Private University and any of the employees appointed substantively, shall be referred to the Vice-Chancellor who shall decide the dispute after affording an opportunity to the employee within three months from the date of its reference.

(3) The aggrieved employee may file an appeal against the decision of the Vice-Chancellor to the Chancellor. The decision of the Chancellor in such an appeal shall be final.

(4) Any dispute in respect of any employee engaged temporarily or on ad-hoc or part-time or casual basis shall be heard and decided finally by the Head of the Department concerned.

37. Admission to Private University Courses and Examinations:-

(1) No person shall be admitted to a course of study in a Private University for admission to the examinations for degrees, titles or diplomas of the Private University unless she/ he : -

   a. has passed the examination prescribed therefore; and
   b. fulfils such other academic conditions as may be prescribed.

(2) Every candidate for a Private University examination shall, unless exempted from the provisions of this sub-section by a special order of the Executive Council made on the recommendation of the Academic Council, be enrolled as a member of the Private University. Any such exemption may be made subject to such conditions as the Executive Council may think fit.

(3) No candidate shall be admitted to any Private University examination unless he is enrolled as a member of the Private University and has satisfied the requirements as to the attendance required for the same or unless he is exempted from such requirements of enrolment or attendance or both by an order of the Executive Council passed on the recommendation of the Academic Council. Exemptions granted under this section shall be subject to such conditions as the Executive Council may think fit.

(4) Any student or candidate for an examination, whose name has been removed from the rolls of the Private University by the orders or recommendation of the Academic Council or Controller of Examinations, as the case may be, and who has been debarred from appearing at the examinations for more than one year, may within ten days of the date of receipt of such order, appeal to the Vice-Chancellor.

(5) Any decision taken by the Vice-Chancellor in this regard shall be final.

38. Employees provident fund and pensions: - A Private University may constitute for the benefit of its employees such pension or welfare schemes or provident fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as maybe decided by the Executive Council.

39. Disputes as to the constitution of Authorities and bodies: - If any question arises as to whether any person has been duly nominated or appointed as or is entitled to be a member of any authority or other body of a Private University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

40. Constitution of Committees: - Where any authority of a Private University is given power under this Regulation or the statutes to constitute Committees, such Committees shall as otherwise provided, consist of the members of the authority concerned and of such other persons as the authority in each case may think fit.

41. Filling up of the vacancies:- All vacancies among the members of any authority or other body of a Private University shall be filled as soon as may be convenient by the person or body who appointed or nominated the members whose place has become vacant for the remaining term for which he has been appointed or nominated.

42. Proceedings of Private University authorities and bodies not to be invalidated by vacancies: - No Regulation or proceeding of any authority or other body of a Private University shall be invalidated merely by reason of the existence of a vacancy or of any defect or irregularity in the nomination of a member of any authority or other body of the Private University or of any defect or irregularity in such Regulation or proceeding not affecting the merits of the case or on the ground that the authority or other body of the Private University, did not meet at such intervals as required under this Regulation.

43. Removal from membership of Private University:-

(1) The Executive Council may, remove by an order in writing made in this behalf, any person from membership of any authority of the Private University by a resolution passed by a majority of the total members of the Executive Council and by a majority of not less than two-thirds of the members of the Executive Council present and voting at the meeting, if such person has been convicted by the Court for an offence which in the opinion of the Executive Council involves moral turpitude.

(2) The Executive Council may also by an order in writing made in this behalf remove any person from the membership of any authority of the Private University if he becomes of unsound mind or has been adjudicated as an insolvent.

(3) No action under this section shall be taken against any person unless he has been given a reasonable opportunity to show cause against the action proposed to be taken.

(4) A copy of every order made under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, shall, as soon as may be after it is so made, be communicated to the person concerned in the manner prescribed.

44. Mode of proof of Private University records: - A copy of any receipt, application, notice, proceeding, resolution of any authority or Committee of a Private University or other documents in possession of the Private University, if certified by the Registrar, shall be received as prima facie evidence of such receipt, applications, notice, order, proceeding or resolution, documents or

the existence of entry in the register and shall be admitted as evidence of the matters and transaction therein where the original would, if produced have been admissible in evidence.

45. Student Protection:

(1) The Sponsoring Body shall institute and maintain such financial, operational and other safeguards as may be necessary to ensure the continued functioning of the University and to protect the interests of enrolled students.

(2) The safeguards referred to in sub-section(1) may include such arrangements, reserves, insurance, guarantees escrow mechanisms, contingency plans or other measures as may be determined by the Sponsoring Body and disclosed in the manner prescribed.

(3) No minimum rupee amount shall be prescribed under this Regulation for the purposes of this section.

(4) The safeguards shall subject to general supervision and control of the Governing Council, be regulated and maintained in such manner as may be prescribed.

46. Power of Government to call for information and records:-

(1) It shall be the duty of a Private University or any authority or officer of the Private University to furnish such information or records relating to the administration or finance and other affairs of the Private University as the Government may call for.

(2) The Government, if it is of the view that there is a violation of this Regulation or the statutes or ordinances made thereunder, may issue such directions to a Private University under section-54 as it may deem necessary.

(3) It shall be the duty of the Private University to ensure the provision of all relevant data (electronic or otherwise) to the Government.

47. Dissolution of Private University:-

(1) If any Private University proposes its dissolution for any reason, it shall give at least six months written notice to the Government. This written notice shall be six months before the passing of the last batch.

(2) On receipt of notice referred to in sub-section (1), the Government shall make such arrangement for administration of the Private University from the date of dissolution of the Private University and until the last batch of students in regular courses of studies of the Private University complete their courses of studies in such manner as may be prescribed.

(3) The name and details of such dissolved Private Universities will be included in **Schedule IV** (List of the Private Universities dissolved after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Administration Private University Regulation, 2026').

(4) Anything mentioned in sub-sections (1) and (2) shall not be in contravention to (4)e & (4)(f) of section 8. Further nothing mentioned in sub-sections (1) and (2) shall indemnify the Private University from the provisions (4)e & (4)(f) of section 8 and section 9(5)(a) of this Regulation.

48. Expenditure of Private University during dissolution:-

(1) The expenditure for administration of a Private University during the process of its dissolution under section-47, shall be met out from the funds of the University.

(2) If the funds referred to in sub-section (1) are not sufficient to meet the expenditure of the Private University, such expenditure may be met by disposing of the properties or assets of the Private University by the Government.

49. De-recognition of Private University by the Government:-

(1) Where the Government receives a complaint with material and substantial allegation that any Private University is not functioning in accordance with the provisions of this Regulation, it shall require the Private University to show cause within such time, which shall not be less than two months referring a copy of the complaint as to why the Private University should not be de-recognised.

(2) If, upon receipt of the reply of the Private University to the notice given under sub-section (1), the Government is satisfied that a *prima facie* case of mismanagement or violation of the provisions of this Regulation in the functioning of the Private University is made out, it shall order such inquiry as it deems necessary.

(3) For the purposes of an inquiry under sub-section (2), the Government shall by notification, appoint an officer or authority as the inquiring authority to enquire into the allegations of violation of the provisions of this Regulation.

(4) Every inquiring authority appointed under sub-section (3) shall while performing its functions under this Regulation have all the powers of Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Regulation V of 1908) trying a suit and in particular in respect of the following matters, namely:-

   a. summoning and enforcing the attendance of any witness and examining him on oath;
   b. requiring the discovery and production of any document;
   c. requisitioning any public record or copy thereof from any office;
   d. receiving evidence on affidavits; and
   e. any other matter which may be prescribed.

(5) The inquiring authority upon establishing the quantum of violations by the Private University, shall have the power to categorize the violation such as-minor, major or gross violation and submit its inquiry report to the Government within a period 03 months from his/ her appointment. The Hon'ble Lieutenant Governor, A & N Islands will be the authority to take decision on the minor, major and gross violation respectively.

(6) On receipt of inquiry report as mentioned in sub section (5) of this section, the Government may provide an opportunity to the Private University to submit its representation on the findings of the inquiry report within a period of 15 days from the issuance of communication/notification from the Government.

(7) The Government, if satisfied, that the Private University has violated any provisions of this Regulation, it shall direct the Private University to make necessary improvement and suggest for proper implementation of the provisions of this Regulation.

(8) If it is observed that the Private University fails to make necessary improvements as mentioned in sub-section (7) of this section and is violating the Regulation continuously leading to a situation of financial mismanagement and maladministration in the Private University which threatens the academic standards of the Private University, the government may deem the Private University as derecognized and include the name of the Private University in Schedule V(List of the Private Universities derecognized after the enactment 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026') and appoint an administrator to facilitate the functioning of the Private University.

(9) The Administrator appointed under sub-section (8) shall exercise all the powers and perform all the duties of the Governing Council and Management Council under this Regulation and shall administer the affairs of the Private University until the last batch of the students of the regular courses have completed their courses or syllabus and they have been awarded with degrees, diplomas or other academic distinctions, as the case may be.

(10) After having been awarded the degrees, diplomas or academic distinctions, as the case may be, to the last batch of the students of the regular courses, the administrator shall make a report to that effect to the Government.

(11) On receipt of the report under sub-section (10), the Government after due consideration, continue the functioning of the Private University by vesting the powers of the Governing Council in any other sponsoring body having similar objectives (in case the Private University has been derecognized within 15 years of commencement), or may with the prior approval of the University Grants Commission and other regulatory bodies concerned, de-recognize the Private University.

(12) During the process of de-recognition under sub-section (11), the Government may utilize the permanent endowment fund, the general fund or the development fund for the purpose of the management of the affairs of the Private University. If the funds of the Private University are not sufficient to meet the requisite expenditure of the Private University, the Government may dispose of the assets or the properties of the Private University to meet the said expenses.

50. Power of the Government to issue directions on policy matters to Private University:- The Government may issue such directions, from time to time, to a Private University on policy matters not inconsistent with the provisions of this Regulation as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the Private University.

51. Status of assets and liabilities on dissolution or de-recognition:-

(1) All assets, properties and liabilities of the private university including funds shall belong to the sponsoring body, provided that the private university is dissolved or de-recognized

after fifteen years from the date of its commencement subject to conditions mentioned in section- 47, 48 and 49.

(2) Nothing mentioned in sub-section(1) shall indemnify the sponsoring body from the provisions of sub-section (4)(e) of section 8 & sub-section-(4)(f) of section-8, sub-section (12) of Section 49 and sub-section(5)(a) of section 9.

52. Powers of the Government to make rules:-

(1) The Government may, by notification, make rules to carry out all or any of the purposes of this Regulation.

(2) Every regulation made, or notification issued under this Regulation shall be published in the Andaman and Nicobar Gazette.

(3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the manner of making the project report, the particulars to be contained therein and the fee payable under section 5;

(b) sitting fees and allowances payable to the Chairman and Members of the Expert Committee under sub-section (3) of section 7.

53. Power to remove difficulties: - If any difficulty arises as to the constitution or reconstitution of any authority of any Private University or in giving effect to the provisions of this Regulation, the Government may, by notification, make such provision, not inconsistent with the provisions of this Regulation, as may appear to them to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no such notification shall be issued after the expiry of two years from the date of commencement of this regulation.

54. Disputes to be settled in a Court in Andaman and Nicobar Islands: -All disputes arising as a result of the provisions made in this Regulation shall be settled by a Court of law in the UT of Andaman and Nicobar Islands.

55. Repeal and Savings:-

(1) All the Regulations enumerated in the Schedule I (List of the Regulations to be repealed after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026') appended to this Regulation shall stand repealed on the commencement of this Regulation.

(2) All the provisions of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' shall be applicable to the Private Universities as mentioned in Schedule II (List of the Private Universities before the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'). The provisions in the prevailing Regulations enumerated in Schedule I shall be saved and remain enforceable notwithstanding the

repealing of the said Regulations except for those Private Universities whose repealed Regulations do not have specific provisions for land and infrastructure. The provision of land and infrastructure as mentioned in Section 4 of this Regulation will be applicable for those Private Universities whose repealed Regulations did not have specific provisions for land and infrastructure.

(3) Notwithstanding the repeal of the Regulations enumerated in the Schedule I as mentioned in sub-section(1), all the decisions made, Regulations performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under the repealed Regulations shall be deemed to be valid under this Regulation.

(4) The Universities incorporated into this Regulation shall modify their rules, statues, regulations and other provisions applicable thereto except those as mentioned in sub-section (2) of this section, under their respective repealed Regulations, to bring them in conformity with the provisions of this Regulation within a period of three years from the date of commencement of this Regulation. Further, the existing Private Universities enumerated as per their respective repealed Regulation as mentioned in Schedule I, need to comply with the provisions as per their respective repealed Regulation within a period of three years from the date of enactment of The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026.

(5) The Government shall issue **the Letter of Adherence (Annexure-5)** to the Universities as mentioned in the Schedule II (List of the Private Universities before the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026) instructing them to comply with the conditions as mentioned in sub-section (2), (4) & (6) of this section.

(6) The Universities shall submit a compliance report, within three years from the issuance of the Letter of Adherence along with an affidavit and the necessary documents to the Government with respect to the conditions and time lines mentioned in sub-section(2), (4) & (6) of this section.

(7) The Government, if satisfied, after the verification of the compliance report, shall issue a letter of approval (LoA) as per Annexure-6 through the Expert Committee for the existing Universities, within sixty (60) days of the submission of the compliance report.

(8) If the Expert Committee reports to the Government that the existing Universities are not fully compliant to any of the conditions as mentioned in sub-section (2), (4) & (6) of this section; the Government may consider such cases and may take appropriate actions as it deems fit.

(9) The Universities shall keep functioning as usual and keep carrying out its regular academic work and operations during the period from the issuance of the notification of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' till the issuance of Letter of Approval.

Schedule-I

List of the Regulations to be repealed (after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026')

Sl. No.	Details of the Regulation	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			

Schedule-II

List of the Private Universities before the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026') (falling under the ambit of this Act)

Sl. No.	Name of the University	Name of the Sponsoring Body
1		
2		

Schedule-III

List of the new Private Universities established (after the enactment of' The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026')

Sl. No.	Details of the Regulation	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			

Schedule-IV

List of the Private Universities dissolved (after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private Regulation, 2026')

Sl. No.	Details of the Regulation	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			

Schedule-V

List of the Private Universities derecognized (after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private Regulation, 2026')

Sl. No.	Details of the Regulation	Name & Location of the University	Name of the Sponsoring Body
1			
2			
3			

Annexure-1

Checklist for Evaluation of Proposal Submitted by Sponsoring Body

Sl. No.	Supporting Documents to be submitted by Sponsoring Body (Applicant) stating	Tick( )whichever Applicable			Remarks, If Any
		Yes	No	Not Applicable	
1	The necessity of establishment of the proposed Private University				
2	The details of the sponsoring body along with copies of its registration certificate under (**Choose one among 2a,2b and 2c**)				
2a.	The Indian Trusts Act,1882 (Central Act 2 of 1882) or				
2b.	The Societies Registration Act, 1860 or				
2c.	The Companies Act, 2013, (Central Act 13 of 2013)				
2d.	Whether minority (religious or linguistics)				
3	The track record, experience, and domain expertise in the proposed disciplines				
4	The name, location and headquarters of the proposed Private University				
5	The objectives of the Private University				
6	The availability of academic facilities including teaching and non-teaching staff, if any, at the disposal of the sponsoring body				
7	The details of plans for campus development such as, construction of buildings, development of structural amenities and infrastructure facilities and procurement of Equipment for starting the Private University				
8	The phased outlays of capital expenditure and its sources of finance				
9	The nature, type of programmes and courses of study proposed to be undertaken by the Private University				
9a	The research and innovation projects Proposed to be undertaken by the Private University				
10	The nature of facilities proposed to be started by the Private University				
11	The scheme of mobilizing resources and the cost of capital there to and the manner of repayment to such sources				
12	The projected detailed financial statements and key operating ratios with a detailed break-up of sources of revenues generated internally				

13	The system proposed to be followed for selecting students for admission to the courses of study at the Private University				
14	The system proposed for appointment of teachers and other employees in the Private University				
15	The nature of specialized teaching, training, or research activities to be undertaken by the Private University including those related to the local needs, so as to fulfil its objects				
16	The details of playgrounds and other facilities available or proposed to be created for games and sports and extracurricular activities like National Cadet Corps and National Service Scheme				
17	The proposed approach and initial plans for academic and research excellence, including accreditations to be sought and academic auditing				
18	The concessions or rebates in fee and scholarships, if any, to be granted by the Private University to the students from economically or socially backward families, including Scheduled Castes, Scheduled Tribes, other Backward Classes and differently abled students				
19	The commitment to follow the norms of the regulatory bodies like UGC, AICTE, NMC, DCI, NCTE, BCI, INC, VCI etc.				
20	Is applicant an existing private educational institution (if yes fill sub-sections 20a, 20b, 20c)				
20a	Has the institution been approved by relevant statutory bodies/councils In addition, the institute must submit a NOC from the University in case it is already affiliated to a university at the time of making the application				
20b	Does the institution have approval for their academic programs from respective statutory bodies like UGC, AICTE, NMC, DCI, NCTE, BCI, INC, VCI etc				
20c	Audited accounts report				
20d	Does the institution possess necessary academic and physical infrastructure as prescribed by the respective statutory/ regulatory bodies concerned				

Annexure-2

Letter of Intent (LoI) for establishing new Private University in Andaman and Nicobar Islands

Letter No...

Department of Higher Education
Andaman and Nicobar Administration
Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated May, 2026

To

....

....

Sub: Letter of Intent (LoI) for establishing new Private University in Andaman and Nicobar Islands: reg.

Sir/Madam,

As you are aware, the UT of Andaman and Nicobar Administration has made 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' for the establishment and incorporation of Private Universities in the UT of Andaman and Nicobar Islands with a view to improve access to higher education in the Union Territory and to enhance the Gross Enrolment Ratio (GER) and also to improve the overall quality of higher education in Andaman and Nicobar Islands by encouraging reputed educational institutions to set up new institutions in the Andaman and Nicobar Islands. The basic idea is to promote, conceptualize and bring about a paradigm shift through development of outstanding leadership, research, knowledge and ideas for education and allied development sectors and also to provide world class higher educational institutions in the Andaman and Nicobar Islands.

Since you have applied and submitted your proposal and detailed project report to establish a Multidisciplinary Private University in Andaman and Nicobar Islands and have tried considerably to comply with **'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'** as contained in Andaman and Nicobar Official Gazette, Extra-ordinary edition No.........,Sri Vijaya Puram, day, dated.................... The Expert Committee examined your above-mentioned proposal and has submitted its report to the Andaman and Nicobar Administration in this regard. As the Government is satisfied that it is advisable to establish a Private University in Andaman and Nicobar Administration as per your proposal, this letter of intent (LoI) is hereby issued to you.

a. have lawful possession, whether by ownership, lease or any other legally enforceable right of occupancy for a term of not less than **thirty years**, of such land and built-up space as is adequate for the approved academic programmes, student strength, research activities and support facilities of the Private University, and compliant with applicable planning, zoning, building, fire safety, environmental and other statutory requirements; provided that no quantitative minimum in respect of land area or built-up space shall be prescribed under this Regulation;
b. construct and/or maintain, on the land referred to in clause (a), academic buildings, laboratories, libraries, digital resources, equipment, student amenities and administrative facilities that are adequate for the approved programmes, student enrolment and research activities of the Private University; provided that such facilities may be shared with other educational institutions or accessed through arrangements with public authorities or other persons, including for the use of parks, playgrounds, sports complexes, auditoria, research facilities, libraries, hostels or other support infrastructure, under a memorandum of understanding, license, lease or other legally enforceable agreement. No quantitative minimum relating to books, journals, equipment, computers, classroom size or built-up area shall be prescribed under this Regulation, except where expressly required by a central statutory regulatory authority;
c. appoint teachers for the purposes of teaching as per the standards laid down by the UGC; and
d. such other conditions as may be required by the Government to be fulfilled before the establishment of the Private University.
e. the University should be built on the principles of a Green Campus which should be using energy efficient appliances and set up water harvesting facilities. In case University is conducting professionals' program of study, prevailing norms and standards of UGC and respective statutory body shall be applicable.
f. at least seventy-five per cent of the regular teachers in each department/ discipline shall be regular employees of the University.
g. give undertaking for the reservation of non-teaching posts in the university for the persons domiciled in the UT of Andaman and Nicobar Islands to the extent of at least Fifty percent of the total number of non-teaching posts of the University. The reservation of seats shall be regulated by the laws and orders of the UT Government from time to time.
h. give undertaking for establishment of provident fund and also to take up welfare programs for the employees of the University.
i. fulfill such other conditions and provide such other information as may be prescribed by the University Grants Commission, All India Council for Technical Education or any other statutory body established by the law of the Union or State Government.
j. Give undertaking not to dissolve the University before 15 years of its commencement and if the University is dissolved before 15 years of its commencement all the assets of the University without liabilities and free from all encumbrances shall vest with the Government.
k. give undertaking that all the assets of the University without liabilities and free from all encumbrances will vest with the Government if the University is dissolved before a period of 15 years of its commencement or derecognized on account of the contravention of provisions of the Statutes, Ordinances, Regulations, Directives of the Government, and other statutory bodies.
l. in case an application is made by an existing educational institution for the status of Private University as per Section-6 (2) it shall comply to the conditions, application, and processes for establishment as mentioned under Section-3, Section-4, Section-5, Section-6, Section-7 and Section-8. Notwithstanding anything mentioned in the sections for conditions, application, and process of establishment, the existing institution shall continue to function as is basis their existing affiliation and approval

till a period of four years after the issuance of LoI or the passing of the last batch whichever is earlier, however on issuance of LoI no new batches shall be admitted by the Institution

If you agree to the conditions mentioned above, please take necessary actions and give required undertakings, so that the UT Government can do the needful to take further actions in this regard.

Moreover, you are directed to submit a compliance report, within three years from the date of issue of this LoI, to the UT Government, along with an unambiguous affidavit, necessary documents to the effect that all conditions referred to as hereinabove in the LoI have been fulfilled on your part, so that the UT Government can verify the compliance report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully

(Name)

Director (Higher Education)

Annexure-3

Letter of Incorporation for incorporating new Private University in Andaman and Nicobar Islands

Letter No..

Department of Higher Education
Andaman and Nicobar Administration
Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated May, 2026

To

....

....

Sub: Letter of Incorporation for incorporating new Private University in Andaman and Nicobar Islands: reg.

Sir/Madam,

We are glad to inform you that the compliance report submitted by you with regard to the letter of intent (date, details of the letter) for establishment of a new Multidisciplinary Private University in Andaman and Nicobar Islands, has been verified and accepted by the Andaman and Nicobar Administration. The UT Government has published a notification in its Official Gazette (Date & details of the notification) allowing the University to be established under **'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'**. The copy of the said notification is attached herewith.

As the Andaman and Nicobar Administration has issued notification, this **letter of incorporation** is hereby being issued to you, and simultaneously, you are being directed to:

a. make an application to University Grants Commission to enlist the newly incorporated University in the UGC List of Authorized Universities.
b. The University must meet the norms, notification, regulations and guidelines as laid down by UGC from time to time, offer all academic and non-formal courses as per UGC guidelines on the same, adhere to the nomenclature of degrees and programs as specified under the UGC Act and set up statutes, regulations, rules and authorities like The Governing Council, The Executive Council, The Academic Council, Finance Committee and other Committees and Boards to deal with governance, academic, administration and financial issues;

c. The University shall maintain standards, higher than the minimum, of instruction, academic and physical infrastructure, qualifications of teachers, etc. as prescribed for college level institutions by the Statutory/ Regulatory body concerned, such as All India Council for Technical Education (AICTE), National Medical Commission (NMC), Dental Council of India (DCI), National Council for Teachers Education (NCTE), Bar Council of India (BCI), Indian Nursing Council (INC), Veterinary Council of India etc. and shall obtain their approval for running various programs of study as applicable.

You are required to fulfill the above conditions of the letter of incorporation, within a period of two (2) years from the date of issue of **this letter of incorporation.**

You are further directed to submit an affidavit to the Government, along with necessary documents to the effect that all the conditions mentioned in the **letter of incorporation** have been fulfilled on your part, so that the UT Government can verify the affidavit and the report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully

(Name)
Director (Higher Education)

Annexure-4

Letter of Approval for Commencement of new Private University in Andaman and Nicobar Islands

L. No...

Department of Higher Education
Andaman and Nicobar Administration
Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated May, 2026

To

....

....

Sub: Letter of Approval(LoA) for commencement of new Private University in Andaman and Nicobar Islands: reg.

Sir/Madam,

We are glad to inform you that the affidavit and the documents submitted by you with regard to the letter of incorporation issued to you (date, details of the letter) for incorporation of a new Multidisciplinary Private University in Andaman and Nicobar Islands, has been verified and accepted by the Andaman and Nicobar Administration. Further, the UT Government has already published a notification in its Official Gazette (Date & details of the notification) allowing the establishment of the University under 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'. The copy of the said notification is attached herewith.

Now, this **letter of approval** is hereby being issued to you, for the commencement of the regular operations of the Private University from (effective date.........)

We congratulate you for your commitment towards the quality improvement of the higher education in the Andaman and Nicobar Islands. We trust that the University will align itself with the National Education Policy, 2020 and work towards meeting the stated objectives of the University following the norms, guidelines and regulations as laid by time to time by University Grants Commission (UGC) and other relevant statutory/regulatory bodies.

Please note that the Government may issue such directions, from time to time, to the Private University on policy matters not inconsistent with the provisions of the 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the Private University.

Yours faithfully

(Name)

Director(Higher Education)

Annexure-5

Letter of Adherence for existing Private University

L. No...

Department of Higher Education
Andaman and Nicobar Administration
Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated May, 2026

To

....

....

Sub: Letter of Adherence for the existing Private University: reg.

Sir/Madam,

We congratulate you for your commitment towards the quality improvement of the higher education in the UT of Andaman and Nicobar Islands. We trust that the University is aligning itself with the National Education Policy, 2020 and working continuously towards meeting the stated objectives of the University following the norms, guidelines and regulations as laid by time to time by University Grants Commission (UGC) and other relevant statutory/regulatory bodies.

As you are aware the Andaman and Nicobar Administration has enacted **'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'** (Date, details of the notification of the Regulation). This Regulation is meant to function as an umbrella Regulation to govern all the Private Universities under a common law. We wish to inform you that by virtue of the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' all the previous individual Private Universities Regulations ratified before the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' stand repealed. However, please note that notwithstanding the repeal of the Regulations as enumerated in the Schedule-I of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' (List of the Regulations and Universities to be repealed after the enactment of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'), all the decisions made, regulations performed, rights and liabilities created and exhausted by the Universities established under the repealed Regulations shall be deemed to be valid under newly enacted 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'.

This **letter of adherence** is hereby being issued to you for your further action. You are requested to comply the following conditions as per the suggested timeline:

a. modify the Statutes, Ordinances, Regulations and other Provisions applicable thereto under the respective repealed Regulations, to bring them in conformity with the provisions of the newly enacted 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' within a period of three years from the date of commencement of this new Regulation.
b. comply with the requirements of land and infrastructure as per its repealed Regulation under which the University has been enumerated as mentioned in Schedule-I, within the period of three years from the date of commencement of this new Regulation.

You are further directed to submit a compliance report, within 3 years from the issuance of the Letter of Adherence to the Government, along with an affidavit and the necessary documents to the effect that the conditions mentioned above have been fulfilled on your part, so that the UT Government can verify the report submitted by you and take further action in this regard.

Yours faithfully

(Name)
Director (Higher Education)

Annexure-6

Letter of Approval for the existing Private University

L. No...

Department of Higher Education
Andaman and Nicobar Administration
Secretariat

Sri Vijaya Puram, dated May, 2026

To

....

....

Sub: Letter of Approval (LoA) for the existing Private University in Andaman and Nicobar Islands: reg.

Sir/Madam,

We are glad to inform you that the compliance report, affidavit and the documents submitted by you with regard to the conditions of the **letter of adherence i.e.** the conditions mentioned in the section-55(3) & 55(5) of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' for modification of the Statutes, Ordinances and Regulations applicable thereto under the respective repealed Regulation (name & details of the repealed Regulations),to bring them in conformity with the provisions of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'; has been verified and accepted by the Andaman and Nicobar Administration.

This **letter of approval** is hereby being issued to you, attesting that you have complied with the provisions of section-55(3) & 55(5) of 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026'.

Please note that the Government may issue such directions, from time to time, to the Private University on policy matters not inconsistent with the provisions of the 'The Andaman and Nicobar Islands Private University Regulation, 2026' as it may deem necessary. Such directions shall be complied with by the Private University.

Yours faithfully

(Name)

Director (Higher Education)

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026 का प्रारूप अधिसूचना

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो भारत के राष्ट्रपति को संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह सहित कुछ संघ राज्यक्षेत्रों की शांति, प्रगति तथा सुशासन के लिए विनियम प्रख्यापित करने का अधिकार प्रदान करता है, तथा द्वीपसमूह में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने तथा समान शैक्षिक अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए;

और जबकि उक्त संघ राज्यक्षेत्र में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना, निगमन, विनियमन, पर्यवेक्षण तथा उनके मानकों के अनुरक्षण के लिए एक व्यापक विधिक फ्रेमवर्क प्रदान करना समीचीन है;

अतः, अब एतद्द्वारा अधोलिखित विनियम बनाया जाता है :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रवर्तन

(1) इस विनियम को **'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026'** कहा जाएगा।

(2) यह विनियम संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के सभी जिलों, द्वीपों तथा उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले अधिसूचित क्षेत्रों सहित संपूर्ण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर लागू होंगे।

(3) यह विनियम उस तिथि से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगा; तथा इस विनियम के भिन्न –भिन्न प्रावधानों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियाँ निर्धारित की जा सकती है।

2. परिभाषाएँ

इस विनियम में, जब तक कि प्रसंग के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो:-

a. "प्रशासक" से तात्पर्य भारत के राष्ट्रपति की ओर से संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का उप राज्यपाल से है;

b. 'शैक्षणिक परिषद्' से तात्पर्य धारा 28 के तहत गठित किसी निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् से है;

c. 'एआईसीटीई (AICTE)' से तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है;

d. 'बीसीआई (BCI)' से तात्पर्य अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत स्थापित भारतीय बार परिषद् से है;

e. 'डीन एवं निदेशक' से तात्पर्य किसी विभाग, संस्थान, केन्द्र अथवा विद्यालय के अध्यक्ष अथवा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए उसकी अनुपस्थिति में उस रूप में नियुक्त व्यक्ति से है;

f. 'कुलाधिपति', 'कुलपति' तथा 'सम-कुलपति' से तात्पर्य किसी निजी विश्वविद्यालय के क्रमशः कुलाधिपति, कुलपति तथा सम-कुलपति से है;

g. 'विभाग' से तात्पर्य किसी निजी विश्वविद्यालय के अध्ययन विभाग से है तथा इसमें निजी विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक अथवा अन्य कर्मचारी भी सम्मिलित होगा;

h. 'कर्मचारी' से तात्पर्य किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है तथा इसमें निजी विश्वविद्यालय का कोई शिक्षक अथवा उसके कर्मचारी-वर्ग का कोई अन्य सदस्य भी सम्मिलित होगा;

i. 'कार्यकारी परिषद्' से तात्पर्य धारा 27 के तहत गठित किसी निजी विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् से है;

j. 'सरकार' से तात्पर्य अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन से है;

k. 'ग्रीनफील्ड विश्वविद्यालय' से तात्पर्य ऐसे विश्वविद्यालय से है जिसकी स्थापना पूर्णतः नवीन रूप से की गई हो, जिसमें किसी विद्यमान शैक्षणिक संस्थान अथवा ऐसी संस्थाओं से संबंधित किसी भी व्यवस्था का कोई विचार या समावेशन न किया गया हो;

l. 'छात्रावास' से तात्पर्य निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के निवास हेतु ऐसे आवासीय यूनिट से है, जिसका अनुरक्षण निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता हो अथवा जिसे निजी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो;

m. 'संस्थान' से तात्पर्य इस विनियम तथा परिनियमों के अनुसार किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित या अनुरक्षित या उससे सम्बद्ध या उसका कोई संघटक महाविद्यालय या संस्थान से है;

n. 'प्रबंधन समिति' से तात्पर्य इस विनियम के प्रयोजनों के लिए प्रायोजक निकाय द्वारा गठित समिति से है;

o. 'एनएमसी (NMC)' से तात्पर्य राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के तहत गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से है;

p. 'बहुविषयक (Multidisciplinary)' से तात्पर्य मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, आयुर्विज्ञान , दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, सम्बद्ध स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा, विधि, कृषि, पशु चिकित्सा तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं के विभागों में अध्ययन से है।

q. 'एनसीटीई (NCTE)' से तात्पर्य राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् से है;

r. 'वीसीआई (VCI)' से तात्पर्य भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के तहत स्थापित भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् से है;

s. 'पीसीआई (PCI)' से तात्पर्य फार्मेसी अधिनियम, 1948 की धारा 4 के तहत गठित भारतीय फार्मेसी परिषद् से है;

t. 'रजिस्ट्रार /कुल सचिव', 'परीक्षा नियंत्रक' तथा 'वित्त अधिकारी' से तात्पर्य किसी निजी विश्वविद्यालय के क्रमशः रजिस्ट्रार/कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक तथा वित्त अधिकारी से है;

u. 'विनियामक निकाय' से तात्पर्य उच्च शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण के लिए स्थापित एक निकाय से है एवं इसमें यूजीसी (UGC), एआईसीटीई (AICTE), एनसीटीई (NCTE), एनएमसी (NMC), पीसीआई (PCI), आईसीएआर (ICAR), बीसीआई (BCI) जैसे निकाय सम्मिलित हैं;

v. 'नियमावली' से तात्पर्य इन विनियमों के तहत बनाए गए नियमावली से है।

w. 'यूजीसी (UGC)' से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है;

x. 'मूल्यांकन समिति' से तात्पर्य निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन हेतु गठित मूल्यांकन समिति से है।

y. 'संकाय' से तात्पर्य विश्वविद्यालय का संकाय से है, जिसमें एक या अधिक विभाग सम्मिलित होते हैं ;

z. 'मुख्य कैंपस' से तात्पर्य अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थित निजी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस से है;

aa. 'ऑफ-कैंपस केन्द्र/कैंपस ' से तात्पर्य ऐसे केन्द्र या कैंपस से है, जिसकी स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण निजी विश्वविद्यालय द्वारा उसके संघटक इकाई के रूप में मुख्य कैंपस के बाहर परंतु अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्राधिकार के भीतर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की पूर्व स्वीकृति से किया गया हो;

bb. 'विनियम' से तात्पर्य इन विनियमों के प्रावधानों के तहत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियम से से है;

cc. 'अध्ययन केन्द्र' से तात्पर्य ऐसे केन्द्र से है, जिसकी स्थापना एवं अनुरक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया गया हो अथवा जिसे विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो, और जिसका उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा के संदर्भ में विद्यार्थियों को परामर्श, मार्गदर्शन अथवा अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना हो, तथा जिसकी स्थापना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की पूर्व स्वीकृति से की गई हो।

dd. 'विद्यार्थी' से तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी डिग्री, डिप्लोमा अथवा अन्य पाठ्यक्रम, जिसमें विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अनुसंधान भी सम्मिलित है, में नामांकित हो।

ee. 'शिक्षक' से तात्पर्य किसी प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर/रीडर या किसी अन्य व्यक्ति से है, जिसे विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुसार नियुक्त किया गया हो, तथा जिससे विश्वविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने, अनुसंधान का मार्गदर्शन करने अथवा किसी अन्य रूप में शैक्षणिक मार्गदर्शन प्रदान करने की अपेक्षा की गई है ;

ff. "निर्धारित" से तात्पर्य इस विनियम के प्रावधानों के तहत प्रशासक द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्धारित से है।

gg. "प्रायोजक निकाय" से तात्पर्य सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत किसी सोसाइटी अथवा किसी सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत निगमित किसी कंपनी से है, जिसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा को बढ़ावा देना हो तथा जो इस विनियम के तहत विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हो।

hh. "विश्वविद्यालय" से तात्पर्य इस विनियम के प्रावधानों के तहत स्थापित, निगमित तथा मान्यता प्राप्त किसी निजी विश्वविद्यालय से है तथा इसमें उसके सभी संघटक विद्यालय, विभाग, केन्द्र एवं संस्थान सम्मिलित होंगे।

ii. 'एनएएसी (NAAC)' से तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् से है;

jj. 'एनबीए (NBA)' से तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) द्वारा वर्ष 1994 में स्थापित राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से है।

3. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना

(1) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा किसी प्रायोजक निकाय को निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति, अनुसूची III (''अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026'' के अधिनियमन के पश्चात स्थापित किए जाने वाले नए निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में उस निजी विश्वविद्यालय का नाम, उसकी अवस्थिति तथा प्रायोजक निकाय का विवरण सम्मिलित करके, प्रदान कर सकेगा।

(2) निजी विश्वविद्यालय को एक बहुविषयक विश्वविद्यालय होना होगा। उसकी अवस्थिति अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में होना होगा।

(3) निजी विश्वविद्यालय एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार एवं एक विशेष मुहर/सार्वमुद्रा प्राप्त होगी तथा वह अपने उस नाम से वाद दायर कर सकेगा और उसके विरुद्ध वाद दायर किया जा सकेगा।

(4) निजी विश्वविद्यालय एकात्मक प्रकार का विश्वविद्यालय होगा तथा उसे किसी महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धता प्रदान करने अथवा मान्यता देने की शक्ति प्राप्त नहीं होगी।

(5) निजी विश्वविद्यालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अनुमोदन से तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुपालन की शर्त पर, संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में ऐसे स्थानों पर, जहाँ वह उपयुक्त समझे, अपने संघटक महाविद्यालय, क्षेत्रीय केन्द्र, अतिरिक्त कैंपस तथा अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

4. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु शर्तें: — इस विनियम के तहत निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनार्थ, प्रायोजक निकाय निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेगा, अर्थात्:—

(a) निजी विश्वविद्यालय की अनुमोदित शैक्षणिक कार्यक्रमों, विद्यार्थियों की संख्या, अनुसंधान गतिविधियों तथा सहायक सुविधाओं के लिए पर्याप्त भूमि एवं निर्मित क्षेत्र का विधिसम्मत कब्जा, चाहे वह स्वामित्व, पट्टे अथवा कम से कम तीस वर्ष की अवधि के लिए अधिभोग के किसी अन्य विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकार के माध्यम से हो, उसके पास होना चाहिए तथा लागू होने वाले आयोजना, क्षेत्र निर्धारण (ज़ोनिंग), भवन, अग्नि सुरक्षा, पर्यावरण तथा अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए;

परंतु यह कि इस विनियम के तहत भूमि के क्षेत्रफल अथवा निर्मित क्षेत्र के संबंध में कोई मात्रात्मक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।

(b) निजी विश्वविद्यालय के अनुमोदित कार्यक्रमों, छात्र नामांकन तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, डिजिटल संसाधनों, उपकरणों, छात्र सुविधाओं तथा प्रशासनिक सुविधाओं का, खंड (क) में उल्लिखित भूमि पर, निर्माण करना और/या उनका अनुरक्षण (रखरखाव) करना।

परंतु यह कि ऐसी सुविधाएँ अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा की जा सकेंगी अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों या अन्य व्यक्तियों के साथ किए गए समझौता ज्ञापन, अनुज्ञप्ति (License), पट्टा (Lease) अथवा किसी अन्य विधिक रूप से प्रवर्तनीय करार के माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकेंगी, जिनमें पार्क, खेल के मैदान, खेल परिसर, सभागार, अनुसंधान सुविधाएँ, पुस्तकालय, छात्रावास अथवा अन्य सहायक अवसंरचना के उपयोग की व्यवस्था भी सम्मिलित हो सकती है। इस विनियम के तहत पुस्तकों, शोध-पत्रिकाओं (Journals), उपकरणों, कंप्यूटरों, कक्षाओं के आकार अथवा निर्मित क्षेत्र से संबंधित कोई मात्रात्मक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जहाँ किसी केंद्रीय सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसा स्पष्ट रूप से अपेक्षित किया गया हो।

(c) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षण के प्रयोजन हेतु शिक्षकों की नियुक्ति करना;

(d) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व, सरकार द्वारा समय-समय पर अपेक्षित अन्य ऐसी शर्तों का पालन करना, जिन्हें पूरा किया जाना आवश्यक हो; तथा

(e) निजी विश्वविद्यालय,अपने गैर-शिक्षण पदों की कुल संख्या के कम-से-कम पचास प्रतिशत पदों को संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवासी व्यक्तियों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान करेगा। सीटों का आरक्षण अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए विधियों एवं आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

5. निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन.—

कोई प्रायोजक निकाय, जो इस विनियम के तहत किसी निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए इच्छुक हो, को इस विनियम में निर्धारित अनुसार एक लाख रुपये (₹1,00,000/-) की शुल्क सहित प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के प्रयोजन/उद्देश्य एवं विजन की रूपरेखा एवं परियोजना रिपोर्ट, जिसमें ऐसे विवरण अंतर्विष्ट हों जो इस विनियम में निर्धारित किए गए हों, के साथ विनिर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को आवेदन करेगा।

6. परियोजना रिपोर्ट :-

(1) परियोजना रिपोर्ट में, धारा 5 में निर्धारित विवरणों के अतिरिक्त, निम्नलिखित भी अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:—

(a) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता के संबंध में औचित्य;

(b) प्रायोजक निकाय का विवरण सहित भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केंद्रीय अधिनियम 2), अथवा सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा संघ राज्यक्षेत्र सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 अथवा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का केंद्रीय अधिनियम 18), जैसा भी मामला हो, के तहत उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियों तथा यह विवरण कि वह अल्पसंख्यक (धार्मिक अथवा भाषायी) है या नहीं;

(c) प्रस्तावित विषयों में प्रायोजक निकाय का कार्य-निष्पादन अभिलेख (Track Record), अनुभव तथा क्षेत्रगत विशेषज्ञता (Domain Expertise);

(d) प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, अवस्थिति तथा मुख्यालय;

(e) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य;

(f) प्रायोजक निकाय के पास उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण, जिसमें शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों का विवरण, यदि कोई हो, भी सम्मिलित होंगे;

(g) निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए कैंपस के विकास की आयोजनाओं का विवरण, जैसे— भवनों का निर्माण, संरचनात्मक सुविधाओं एवं अवसंरचना सुविधाओं का विकास तथा उपकरणों की खरीद;

(h) पूंजीगत व्यय के चरणबद्ध परिव्यय (Phased Outlays) तथा उसके वित्तपोषण का स्रोत;

(i) निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रमों, अध्ययन-पाठ्यक्रमों, अनुसंधान तथा नवाचार की प्रकृति एवं प्रकार;

(j) प्रारंभ किए जाने के लिए प्रस्तावित सुविधाओं की प्रकृति;

(k) संसाधनों को जुटाने की योजना, उससे संबंधित लागत के लिए पूंजी तथा उन स्रोतों को पूंजी वापस लौटने की रीति;

(l) विस्तृत अनुमानित वित्तीय विवरण तथा प्रमुख परिचालन अनुपात सहित आंतरिक रूप से सृजित राजस्व के स्रोतों का विस्तृत वर्गीकरण सम्मिलित हो।

(m) निजी विश्वविद्यालय के अध्ययन-पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के चयन के लिए अपनाई जाने वाली प्रस्तावित प्रणाली;

(n) निजी विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रणाली;

(o) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संचालित की जाने वाली विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान गतिविधियों की प्रकृति, जिनमें स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधियाँ भी सम्मिलित हों;

(p) खेलकूद तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), राष्ट्रीय सेवा स्कीम (एनएसएस) जैसी सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए उपलब्ध अथवा सृजित किए जाने हेतु प्रस्तावित खेल मैदानों तथा अन्य सुविधाओं का विवरण;

(q) शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण तथा प्रारंभिक आयोजनाएँ, जिनमें प्राप्त की जाने वाली प्रत्यायन (Accreditations) तथा शैक्षणिक लेखा-परीक्षा (Academic Auditing) भी सम्मिलित हों;

(r) निजी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन विद्यार्थियों सहित आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों के लिए प्रदान की जाने वाली शुल्क में रियायतों अथवा छूट तथा छात्रवृत्तियों, यदि कोई हों, का विवरण;

(s) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन की नीतियों, जैसे— औद्योगिक एवं निवेश संवर्धन नीति, स्टार्ट-अप नीति, ऊर्जा नीति, स्वास्थ्य नीति, खनन नीति आदि, जिनके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ सहभागिता एवं समन्वय अपेक्षित है, के अनुरूप कार्य करने की प्रतिबद्धता;

(t) विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करने की प्रतिबद्धता;

(u) ऐसे अन्य विवरण, जिन्हें प्रायोजक निकाय द्वारा उपलब्ध करना उचित समझे; तथा

(v) ऐसे अन्य विवरण, जिसे समय-समय पर अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

प्रायोजक निकायों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के मूल्यांकन के समय विशेषज्ञ समिति के त्वरित संदर्भ हेतु परियोजना रिपोर्ट के प्रमुख घटकों से संबंधित एक जाँच-सूची (Checklist) **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है।

(2) धारा 6 की उपधारा (1) में निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन करने के अतिरिक्त, कोई विद्यमान शिक्षण संस्थान, जो अपने प्रायोजक निकाय के माध्यम से निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन करता है तो उस आवेदन को नए आवेदन के रूप में माना जाएगा तथा आवेदन की प्रक्रिया इस विनियम के तहत बताए गए प्रावधानों के अनुसार ही होगी। तथापि, उससे निम्नलिखित अतिरिक्त पात्रता/अनुपालन मानदंडों को पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी, अर्थात्:—

a. संस्थान पिछले पाँच वित्तीय वर्षों के लेखा-परीक्षित (Audited) लेखा प्रस्तुत करेगा;

b. संस्थान सक्षम सांविधिक विनियामक निकायों अथवा परिषदों द्वारा विधिवत् अनुमोदित होना चाहिए।

परंतु यह कि, यदि आवेदन किए जाने के समय वह संस्थान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के किसी निजी विश्वविद्यालय से संबद्ध (Affiliated) है, तो उस संस्थान द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा;

c. संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों को, जैसा लागू होगा , संबंधित विनियामक निकायों, जैसे— विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (NMC), दंत चिकित्सा आयोग (DCI), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), भारतीय विधिज्ञ परिषद (BCI), भारतीय नर्सिंग परिषद (INC), पशु चिकित्सा परिषद (VCI) अथवा किसी अन्य प्रासंगिक विनियामक प्राधिकरण से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए;

d. आवेदन प्रस्तुत किए जाने के समय संस्थान के पास संबंधित सांविधिक /विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक एवं भौतिक अवसंरचना उपलब्ध होनी चाहिए।

(3) किसी विद्यमान शिक्षण संस्थान द्वारा निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने के लिए किया गया आवेदन, धारा 3, धारा 4, धारा 5 तथा धारा 6 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) में उल्लिखित स्थापना संबंधी शर्तों, आवेदन तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करेगा।

तथापि, उपर्युक्त धाराओं में बताए गए किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान शिक्षण संस्थान अपनी वर्तमान संबद्धता (Affiliation) तथा अनुमोदन के आधार पर पूर्ववत् कार्य करता रहेगा, जब तक कि LoI जारी किए जाने की तिथि से चार वर्ष की अवधि समाप्त न हो जाए अथवा अंतिम बैच का अध्ययन पूर्ण न हो जाए, जो भी पहले हो।

7. विशेषज्ञ समिति.—

(1) सरकार एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी, जो एक स्थायी निकाय होगी, ताकि वह प्रायोजक निकाय से प्राप्त नए निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संबंधी आवेदनों एवं प्रस्तावों का परीक्षण कर सके। विशेषज्ञ समिति, इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप, आवश्यकता होने पर नियम बनाने तथा उनसे संबंधित किसी भी कार्य का निष्पादन करने के लिए उत्तरदायी निकाय होगी। सरकार, समय-समय पर, विशेषज्ञ समिति के गठन तथा उसके दायित्वों का पुनर्विलोकन कर सकेगी और ऐसे परिवर्तन कर सकेगी, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

(2) विशेषज्ञ समिति की संरचना इस प्रकार से होगी:—

a. सचिव, शिक्षा — अध्यक्ष

b. संबंधित जिले के उपायुक्त — सदस्य

c. निदेशक, उच्च शिक्षा — सदस्य

d. कार्यपालक अभियंता, अण्डमान लोक निर्माण विभाग [मुख्य अभियंता, (एपीडब्ल्यूडी) द्वारा नामित] — सदस्य

e. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, वित्त विभाग, सचिवालय — सदस्य

f. उप सचिव, विधि विभाग, सचिवालय — सदस्य

g. उप सचिव, उच्च शिक्षा, सचिवालय — सदस्य

यदि आवश्यक हो, तो अध्यक्ष एक या अधिक विशेष आमंत्रित सदस्य को नामित कर सकेगा।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्यगण ऐसी बैठक-शुल्क (Sitting Fees) एवं भत्तों के लिए पात्र होंगे, जो इस विनियम में निर्धारित किए जाएँगे ।

(4) विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित के संदर्भ में प्रस्ताव का परीक्षण करेगी, अर्थात्:—

a. प्रायोजक निकाय की वित्तीय सुदृढ़ता, उसकी परिसंपत्तियाँ तथा प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के लिए आवश्यक अवसंरचना स्थापित करने की उसकी क्षमता;

b. प्रायोजक निकाय की पृष्ठभूमि, जैसे— शिक्षा के क्षेत्र में उसका अनुभव, उसकी विश्वसनीयता तथा सामान्य प्रतिष्ठा;

c. प्रस्तावित अध्ययन-पाठ्यक्रमों की संभावनाएँ, जो न केवल पारंपरिक प्रकृति के हों, बल्कि ज्ञान की उभरती हुई शाखाओं की समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप भी हों;

d. प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के समग्र लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में उपयुक्तता; तथा

e. कोई अन्य विषय, जो इस विनियम के अधीन अपेक्षित हो अथवा जिसे विशेषज्ञ समिति उपयुक्त समझे।

(5) विशेषज्ञ समिति, प्रस्ताव तथा परियोजना रिपोर्ट पर विचार करते समय, इस प्रयोजन के लिए प्रायोजक निकाय से ऐसी अन्य जानकारी मांग सकेगी, जिसे वह उचित समझे।

(6) विशेषज्ञ समिति, अपने गठन की तिथि से साठ दिनों के भीतर, निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के संबंध में सरकार को अपनी संस्तुति प्रस्तुत करेगी। विशेषज्ञ समिति, अपने गठन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, केवल एक बार अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगी, तथा ऐसी अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराने में प्रायोजक निकाय द्वारा लिया गया समय उक्त साठ दिनों की अवधि की गणना से अपवर्जित किया जाएगा।

8. आशय-पत्र (Letter of Intent) एवं अनुपालन.—

(1) विशेषज्ञ समिति की संस्तुति प्राप्त होने की तिथि से तीस दिनों के भीतर, सरकार आशय-पत्र (Letter of Intent) जारी करेगी अथवा अस्वीकृति का कारणयुक्त आदेश पारित करेगी, अथवा एकल कमी-स्मरणपत्र जारी करेगी, जिसमें सभी ऐसी कमियों का उल्लेख होगा जिनका निराकरण किया जा सकता है। प्रायोजक निकाय को ऐसी कमियों का निराकरण करने के लिए कम-से-कम तीस दिनों का समय प्रदान किया जाएगा।

(2) सरकार, विशेषज्ञ समिति की मूल्यांकन रिपोर्ट को स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

(3) सरकार, आशय-पत्र (Letter of Intent), खेद-पत्र (Letter of Regret) अथवा संशोधित प्रस्ताव या अतिरिक्त जानकारी, अनुसूची में संशोधन, जैसा भी मामला हो, की अपेक्षा करने वाले पत्र के माध्यम से प्रायोजक निकाय को अपने निर्णय से अवगत कराएगी।

9. स्थापना एवं अनुसूची में समावेशन:-

(1) सरकार, यदि धारा 4 के अधीन प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि प्रायोजक निकाय ने धारा 8 की उपधारा (4) के प्रावधानों का अनुपालन कर लिया है, तथा शिक्षा मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर, उस नए निजी विश्वविद्यालय के नाम को सम्मिलित करने के लिए **अनुसूची-III** में संशोधन कर सकेगी। तत्पश्चात्, अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करके ऐसे नाम, स्थान तथा अधिकारिता के साथ नए निजी विश्वविद्यालय को सम्मिलित किए जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

(2) इस विनियम के अधीन स्थापित किए जाने वाले नए निजी विश्वविद्यालयों के नाम **अनुसूची-III** में सम्मिलित किए जाएँगे।

(3) अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् सरकार प्रायोजक निकाय को समावेशन-पत्र (Letter of Incorporation) **(अनुलग्नक-3)** जारी करेगी, जिसमें वे शर्तें विनिर्दिष्ट होंगी जिनको नव-समाविष्ट निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियमित संचालन, जैसे— विद्यार्थियों का प्रवेश, पाठ्यक्रमों का संचालन, उपाधियों का प्रदान किया जाना आदि, प्रारंभ करने से पूर्व पालन किया जाना आवश्यक होगा।

(4) धारा 9(1) में उल्लिखित अधिसूचना तथा धारा 9(3) में उल्लिखित समावेशन -पत्र की प्रतियां सूचनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) एवं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को प्रेषित की जाएँगी।

(5) प्रायोजक निकाय को धारा 9(3) में उल्लिखित समावेशन-पत्र की शर्तों का अधोलिखित अनुसार दो वर्षों की अवधि के भीतर अनुपालन करना होगा।

a. प्रायोजक निकाय को नव-समाविष्ट निजी विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित कराने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन करना होगा;

b. निजी विश्वविद्यालय, समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों, अधिसूचनाओं, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन करेगा; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार सभी शैक्षणिक तथा गैर-औपचारिक पाठ्यक्रम संचालित करेगा; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट उपाधियों तथा कार्यक्रमों के नामकरण (Nomenclature) का पालन करेगा; तथा शासन, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों से संबंधित कार्यों के निर्वहन के लिए धारा 24 में उल्लिखित अनुसार संविधियाँ (Statutes), विनियम, नियमावली तथा अध्यादेश बनाएगा और शासी परिषद, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद तथा वित्त समिति आदि प्राधिकरणों का गठन करेगा;

c. निजी विश्वविद्यालय, संबंधित विनियामक निकाय, जैसे— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद , राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद , राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ,

भारतीय विधिज्ञ परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद आदि द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए निर्धारित शिक्षण, शैक्षणिक एवं भौतिक अवसंरचना, शिक्षकों की अर्हताओं आदि के न्यूनतम मानकों से उच्चतर मानकों अपनाएगा तथा विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन के लिए संबंधित विनियामक निकायों, जैसा लागू होगा, से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करेगा, तथा

(6) निजी विश्वविद्यालय किसी भी महाविद्यालय अथवा संस्थान को संबद्धता (Affiliation) का विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगा।

(7) निजी विश्वविद्यालय के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अपने संचालन के प्रारंभ होने की तिथि से छह वर्षों के भीतर अथवा प्रत्यायन (Accreditation) के लिए प्रथम पात्रता प्राप्त होने की तिथि पर, इनमें से जो भी पहले हो, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) अथवा राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) से अपना मूल्यांकन कराए तथा विभिन्न विनियामक निकायों,जो भी लागू हो, द्वारा निर्धारित अन्य सभी अपेक्षाओं/मानदंडों का भी अनुपालन करे।

10. निजी विश्वविद्यालय का कार्यारंभ:-

(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना के माध्यम से विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि से अपने कृत्यों का निर्वहन प्रारंभ करेगा।

(2) सरकार, उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना तभी जारी करेगी, जब उसे प्रायोजक निकाय से शपथपत्र तथा उसके साथ ऐसे दस्तावेज प्राप्त हो जाएँ, जिनसे यह प्रमाणित होता हो कि इस अधिनियम में उल्लिखित सभी शर्तों का पालन कर लिया गया है, तथा सरकार इस संबंध में संतुष्ट हो जाए।

11. अनुदान एवं वित्तीय सहायता:-

प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय एक स्ववित्तपोषित (Self-financing) विश्वविद्यालय होगा तथा वह सरकार से किसी अनुरक्षण अनुदान (Maintenance Grant), अनुदान-सहायता (Grant-in-Aid) अथवा किसी अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता की न तो मांग करेगा और न ही उसका हकदार होगा:

परंतु यह कि, इससे किसी निजी विश्वविद्यालय को अनुसंधान परियोजनाओं अथवा अन्य शैक्षणिक परियोजनाओं के लिए आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा, जिनमें किसी अन्य स्रोत से वित्तीय अनुदान अथवा वित्तीय सहायता का प्रावधान हो भी सकता है और नहीं भी।

परंतु यह भी कि, इससे किसी निजी विश्वविद्यालय को सरकार के किसी नीति के तहत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने हेतु सरकार को आवेदन करने से नहीं रोका जाएगा।

12. निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य:-

(1) निजी विश्वविद्यालय इस प्रकार कार्य करेगा कि उसका संचालन राष्ट्रीय शिक्षा नीति , 2020 तथा उसमें समय-समय पर किए गए संशोधनों के अनुरूप हो।

(2) निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य ऐसे होंगे कि वह अपनी उपयुक्त समझ के अनुसार ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान तथा विस्तार (Extension) संबंधी सुविधाएँ उपलब्ध कराकर शिक्षा, ज्ञान एवं कौशल का प्रसार तथा संवर्धन करे, और निजी विश्वविद्यालय विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को

निम्नलिखित के संवर्धन के लिए आवश्यक वातावरण एवं सुविधाएँ उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा, अर्थात्:—

a. शिक्षा में नवाचारों को प्रोत्साहित करना, जिससे पाठ्यक्रमों का पुनर्गठन, शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अधिगम की नई पद्धतियों का विकास, जिनमें ऑनलाइन अधिगम, मिश्रित अधिगम (Blended Learning), सतत्/आजीवन शिक्षा (Continuing Education) तथा अन्य ऐसे माध्यम सम्मिलित हों, और व्यक्तित्व का समग्र एवं सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जा सके;

b. विभिन्न विषयों में अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

c. अंतर्विषयी (Inter-disciplinary) अध्ययन को प्रोत्साहित करना;

d. राष्ट्रीय एकता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समता तथा अंतरराष्ट्रीय समझ और नैतिकता के विकास को प्रोत्साहित करना;

e. डिप्लोमा, डिग्री, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, डॉक्टरेट उपाधियों तथा पोस्ट-डॉक्टरेट (Post-Doctoral) कार्यक्रमों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करना तथा शिक्षा के उच्च मानकों का अनुरक्षण करना; तथा

f. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक निकायों के दिशानिर्देशों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय एवं वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग स्थापित करना तथा कार्यक्रमों को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करने की क्षमताओं का विकास करना।

13. निजी विश्वविद्यालय की शक्तियाँ:-

प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

a. निजी विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार ज्ञान की शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना तथा अनुसंधान, ज्ञान एवं कौशल के संवर्धन, प्रसार एवं अनुप्रयोग के लिए प्रावधान करना।

b. कैंपस (In-campus), कैंपस के बाहर (Off-campus), उपग्रह केन्द्रों (Satellite Centres) अथवा दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों (Distance Education Programmes) के माध्यम से मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, विधि, चिकित्सा एवं संबद्ध विज्ञान तथा अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन का संचालन एवं संवर्धन करना।

c. शिक्षा के क्षेत्र के विशिष्ट विद्वानों तथा शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त व्यक्तियों को प्रोफेसर एमेरिटस (Professor Emeritus) की उपाधि से सम्मानित करना।

d. निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन, व्यक्तियों को परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा परीक्षण की किसी अन्य पद्धति के आधार पर डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र प्रदान करना तथा डिग्रियाँ (Degrees) अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएँ (Academic Distinctions) प्रदान करना, और उचित एवं पर्याप्त कारण होने पर ऐसे किसी डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र, डिग्री अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता को वापस लेना।

e. निधारित रीति से मानद उपाधियाँ (Honorary Degrees) अथवा अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना।

f. ऐसे व्यक्तियों को, जो निजी विश्वविद्यालय के सदस्य न हों, को निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अनुसार शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिसमें पत्राचार (Correspondence) तथा अन्य ऐसे पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हों, प्रदान करना।

g. निजी विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार निदेशक, प्रोफेसर, सह-प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर तथा अन्य शिक्षण अथवा शैक्षणिक पदों का सृजन करना तथा उन पदों के लिए नियुक्तियाँ करना।

h. प्रशासनिक, लिपिकीय तथा अन्य पदों का सृजन करना तथा उन पदों के लिए नियुक्तियाँ करना।

i. किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तियों को स्थायी रूप से अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करना अथवा उनकी सेवाएँ लेना।

j. निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित रीति एवं प्रयोजन के अनुसार भारत तथा विदेश में स्थित किसी अन्य विश्वविद्यालय, प्राधिकरण अथवा संस्थान के साथ सहयोग, सहभागिता अथवा संबद्धता स्थापित करना।

k. अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक समझे जाने वाले विद्यालयों(schools), केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं अथवा अन्य अनुसंधान एवं शिक्षण इकाइयों की स्थापना करना तथा उनका अनुरक्षण करना।

l. अध्येतावृत्तियाँ (Fellowships), छात्रवृत्तियाँ (Scholarships), विद्यार्थीवृत्तियाँ (Studentships), पदक तथा पुरस्कार संस्थापित करना एवं प्रदान करना।

m. निजी विश्वविद्यालय के अंतर्गत आवासों एवं छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण एवं पर्यवेक्षण करना तथा विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बढ़वा देना ।

n. अनुसंधान तथा परामर्श (Consultancy) के लिए प्रावधान करना तथा इस प्रयोजन हेतु अन्य संस्थानों अथवा निकायों के साथ ऐसे व्यवस्था/प्रबंध करना जिन्हें निजी विश्वविद्यालय आवश्यक समझे।

o. संविधियों (Statutes) के अनुसार किसी केन्द्र, संस्थान, विभाग अथवा विद्यालय ,जैसा भी मामला हो, घोषित करना।

p. निजी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मानकों का निर्धारण करना, जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन अथवा परीक्षण की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो सकती है।

q. शुल्क तथा अन्य प्रभारों का निर्धारण करना, उनकी मांग करना तथा उनकी भुगतान प्राप्त करना।

r. महिला विद्यार्थियों तथा अन्य वंचित विद्यार्थियों के आवास, अनुशासन एवं शिक्षण के संबंध में ऐसे व्यवस्था/प्रबंध करना जिन्हें निजी विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे।

s. निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के मध्य अनुशासन का विनियमन एवं प्रवर्तन करना तथा इस संबंध में आवश्यक अनुशासनात्मक उपाय करना, जिन्हें निजी विश्वविद्यालय उपयुक्त समझे।

t. निजी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ करना।

u. इस विनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रहते हुए, निजी विश्वविद्यालय के हित में दान प्राप्त करना तथा चल अथवा अचल संपत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंधन तथा विक्रय, पट्टा (Lease) अथवा किराये (Rent) के माध्यम से उसका निपटान करना।

v. इस विनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन रहते हुए तथा प्रायोजक निकाय की स्वीकृति से, निजी विश्वविद्यालय की संपत्ति के एवज में बंधक (Mortgage) अथवा दृष्टि बंधन (Hypothecation) के माध्यम से, अथवा बिना प्रतिभूति (Security) के ऋण लेना।

w. संविदा (Contract) के आधार पर अथवा अन्यथा, आगंतुक प्रोफेसर (Visiting Professors), प्रोफेसर एमेरिटस (Emeritus Professors), परामर्शदाता (Consultants), फेलो (Fellows), विद्वान (Scholars), कलाकार (Artists), पाठ्यक्रम-लेखक (Course Writers) तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति करना जो निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति में योगदान दे सकें।

x. बाह्य अध्ययन (Extra-mural Studies) तथा विस्तार सेवाओं (Extension Services) का आयोजन करना एवं उनका संचालन करना।

y. इस विनियम के प्रावधानों के अनुरूप, निजी विश्वविद्यालय के सभी अथवा किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक अथवा सहायक ऐसे अन्य कार्य करना तथा ऐसी अन्य कार्रवाइयाँ करना।

14. प्रवेश एवं शुल्क :-

(1) प्रत्येक निजी विश्वविद्यालय, इस विनियम तथा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अन्य विनियामक निकायों, जो लागू हो, के संबंधित संविधियों एवं विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, लिंग, वर्ग एवं पंथ के भेदभाव के बिना सभी व्यक्तियों के लिए खुला रहेगा।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात किसी निजी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित की अपेक्षा नहीं करेगी:—

(i) किसी ऐसे व्यक्ति को किसी अध्ययन-पाठ्यक्रम में प्रवेश देना, जिसके पास निर्धारित शैक्षणिक अर्हता अथवा मानक न हो;

(ii) निजी विश्वविद्यालय के नामावली (Rolls) में ऐसे किसी विद्यार्थी को बनाए रखना, जिसका शैक्षणिक रिकार्ड किसी डिग्री अथवा अन्य शैक्षणिक विशिष्टता प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानक से कम हो;

(iii) ऐसे किसी व्यक्ति को प्रवेश देना अथवा ऐसे किसी विद्यार्थी को बनाए रखना, जिसका आचरण निजी विश्वविद्यालय के हितों अथवा अन्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों के प्रतिकूल हो; तथा

(iv) निजी विश्वविद्यालय की नामावली में ऐसे किसी विद्यार्थी को बनाए रखना, जो पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित आवश्यक शुल्क का भुगतान करने में असफल रहता है।

(3) उपधारा (1) एवं (2) के प्रावधानों तथा निजी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानक प्रवेश प्रक्रिया के अधीन रहते हुए, निजी विश्वविद्यालय प्रत्येक अध्ययन-पाठ्यक्रम में पच्चीस प्रतिशत सीटें संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित करेगा।

(4) संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित पच्चीस प्रतिशत सीटों के अंतर्गत श्रेणी-आधारित सीट आरक्षण, संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा समय-समय पर बनाए गए विधियों एवं आदेशों द्वारा विनियमित किया जाएगा।

(5) निजी विश्वविद्यालय अपना प्रवेश, ऑनलाइन पारदर्शी प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से संचालित करेगा।

(6) निजी विश्वविद्यालय समय-समय पर अपनी शुल्क संरचना तैयार कर सकेगा और उसे धारा 26 के तहत इस प्रयोजन के लिए गठित शासी परिषद (Governing Council) के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा।

(7) शासी परिषद विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की गई शुल्क संरचना पर विचार करेगी और यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि प्रस्तावित फीस:-

(i) निम्नलिखित के लिए पर्याप्त है:—

a. विश्वविद्यालय के आवर्ती व्यय की पूर्ति हेतु संसाधन जुटाना ; तथा

b. विश्वविद्यालय के आगे के विकास के लिए आवश्यक बचत करना; तथा

(ii) अनुचित रूप से अत्यधिक नहीं है, तो वह शुल्क संरचना का अनुमोदन कर सकेगी।

(8) उपधारा (5) के अधीन शासी परिषद द्वारा अनुमोदित शुल्क संरचना तीन वर्षों की अवधि तक प्रवृत्त रहेगी और विश्वविद्यालय ऐसी शुल्क संरचना के अनुसार शुल्क लेने के लिए हकदार होगा।

(9) निजी विश्वविद्यालय, उपधारा (5) के अधीन जिन शुल्कों को प्राप्त करने का हकदार है, उनके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई शुल्क, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, अधिरोपित या वसूल नहीं करेगा।

(10) निजी विश्वविद्यालय निर्धारित शुल्क संरचना की सूचना सरकार को देगा। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत होगी कि निर्धारित शुल्क में लाभ कमाने की प्रवृत्ति (Profiteering) अथवा कैपिटेशन फीस (Capitation Fee) का वसूला जाना अंतर्विष्ट न हो।

(11) निजी विश्वविद्यालय आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों, जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, को कुल विद्यार्थी संख्या के कम-से-कम पाँच प्रतिशत विद्यार्थियों को योग्यता-आधारित छात्रवृत्ति (Merit Scholarship) प्रदान करेगा।

15. निजी विश्वविद्यालय के अधिकारीगण – निजी विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारीगण होंगे, अर्थात्:–

a. कुलाधिपति;

b. कुलपति;

c. सम -कुलपति;

d. कुलसचिव;

e. डीन एवं निदेशक;

f. वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी;

g. परीक्षा नियंत्रक; तथा

h. ऐसे अन्य व्यक्ति, जिन्हें परिनियमों द्वारा निजी विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किया जा सके ।

16. कुलाधिपति –

(1) कुलाधिपति की नियुक्ति प्रबंधन समिति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा ।

(2) कुलाधिपति, अपने पद की हैसियत से, निजी विश्वविद्यालय का प्रधान होगा तथा एक अंतरिम कार्यकारी परिषद् का गठन करेगा। इस प्रकार गठित अंतरिम कार्यकारी परिषद्, धारा 26 के तहत कार्यकारी परिषद् के गठन होने पर अस्तित्व में नहीं रहेगी।

(3) कुलाधिपति, प्रबंधन समिति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित पत्र द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा।

(4) कुलाधिपति को किसी भी सूचना अथवा अभिलेख की मांग करने की शक्तियाँ होंगी।

17. कुलपति –

(1) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा तथा उनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा, इस प्रयोजन हेतु गठित खोज-व-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee) द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से की जाएगी तथा वह तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

परंतु यह कि, कुलपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी तब तक पद पर बना रहेगा, जब तक कि नया कुलपति कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता। तथापि, किसी भी स्थिति में यह अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) कुलपति की अर्हताएँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएँ तथा उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 के अनुरूप होंगी।

(3) कुलपति के चयन हेतु खोज-व-चयन समिति की संरचना की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी—

a. कुलाधिपति द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद्, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

b. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य; तथा

c. कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित ऐसा शिक्षाविद्, जिसने प्रोफेसर के रूप में कम-से-कम दस वर्ष की सेवा की हो।

(4) कुलपति निजी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह निजी विश्वविद्यालय के समस्त कार्यों पर सामान्य अधीक्षण एवं नियंत्रण रखेगा तथा निजी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों का निष्पादन करेगा।

(5) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में कुलपति निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(6) यदि कुलपति की राय में किसी ऐसे विषय पर, जिसके संबंध में इस विनियम द्वारा अथवा इसके अधीन किसी अन्य प्राधिकारी को शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक हो, तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जिसे वह आवश्यक समझे, तथा उसके पश्चात् यथाशीघ्र उसके द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना उस अधिकारी अथवा प्राधिकारी को देगा, जो सामान्यतः उस विषय पर विचार करता।

परंतु यह कि, यदि संबंधित अधिकारी अथवा प्राधिकारी की राय में ऐसी कार्रवाई कुलपति द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

परंतु यह भी कि, यदि कुलपति द्वारा की गई ऐसी किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति के हित प्रभावित होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उस कार्रवाई की सूचना प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शासी परिषद् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के लिए हकदार होगा। शासी परिषद् का निर्णय अपील की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि कुलपति की राय में निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा लिया गया कोई निर्णय इस विनियम, इसके अधीन बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों अथवा विनियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप नहीं है अथवा निजी विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल होने की संभावना है, तो वह संबंधित प्राधिकारी से उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करेगा। यदि संबंधित प्राधिकारी उस निर्णय में पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से संशोधन करने से इंकार करता है अथवा पंद्रह दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लेता है, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति को संदर्भित किया जाएगा, जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा। उक्त निर्णय को अनुमोदन (Ratification) हेतु शासी परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(8) कुलपति परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा उनमें निर्धारित किया जाएगा ।

(9) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र अथवा किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है, अथवा वह अस्वस्थता या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाता है , तो सम-कुलपति द्वारा कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

परंतु यह कि, यदि सम-कुलपति उपलब्ध न हो, तो कुलाधिपति वरिष्ठतम प्रोफेसर को नियुक्त करेगा, जो तब तक कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जब तक कि नया कुलपति पदभार ग्रहण न कर ले अथवा वर्तमान कुलपति पुनः अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ न कर दे, जैसा भी मामला हो।

(10) कुलपति कार्यकारी परिषद्, शैक्षणिक परिषद् तथा वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा तथा कुलाधिपति की अनुपस्थिति में विद्यार्थियों को डिग्रियाँ /उपाधियाँ प्रदान करने हेतु आयोजित दीक्षांत समारोहों की भी अध्यक्षता करेगा।

(11) कुलपति निजी विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने तथा उसे संबोधित करने का हकदार होगा, किन्तु वह मतदान करने के लिए तब हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह उस प्राधिकारी अथवा निकाय का सदस्य न हो।

(12) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि इन विनियमों का विधिवत् पालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है, तथा ऐसे क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उसे आवश्यक सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

(13) निजी विश्वविद्यालय में अनुशासन के समुचित अनुरक्षण के लिए कुलपति के पास आवश्यक सभी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसी किसी भी शक्ति का प्रत्यायोजन (Delegation) ऐसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को कर सकेगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे।

18. सम-कुलपति

(1) कुलपति की सिफारिश पर, कार्यकारी परिषद एक प्रोफेसर को सम-कुलपति के तौर पर नियुक्त करेगी, जो प्रोफेसर के तौर पर अपनी उत्तरदायित्वों के अलावा सम-कुलपति के उत्तरदायित्वों को भी निभाएंगे;

परन्तु यह भी कि यदि कार्यकारी परिषद, कुलपति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं करती है, तो मामला कुलाधिपति को भेजा जाएगा, जो या तो कुलपति द्वारा अनुशंसित प्रोफेसर को नियुक्त कर सकते हैं या कुलपति से कार्यकारी परिषद द्वारा दोबारा विचार करने के लिए किसी दूसरे प्रोफेसर के नाम की सिफ़ारिश करने के लिए कह सकते हैं।

(2) सम-कुलपति का कार्यकाल, कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन यह किसी भी स्थिति में तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, होगा।

परन्तु यह कि जिस सम-कुलपति का कार्यकाल समाप्त हो गया है, वह निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके सम-कुलपति के पद पर दोबारा नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु यह भी कि सम-कुलपति द्वारा कुलपति के उत्तरदायित्वों को निभाते समय सम-कुलपति के तौर पर अपना कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद भी पद पर बने रहेंगे, जब तक कि कुलपति पदभार न संभाल लें या कोई नया कुलपति पदभार ग्रहण न कर लें, जैसा भी मामला हो:

परन्तु यह भी कि किसी भी स्थिति में सम-कुलपति, 65 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानृवित्त हो जाएंगे।

(3) सम-कुलपति के पास ऐसी शक्तियाँ होंगी तथा वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि निजी विश्वविद्यालय के विनियमों द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

(4) सम-कुलपति के द्वारा समय-समय पर कुलपति द्वारा विनिर्दिष्ट विषयों के संबंध में कुलपति की सहायता करेगा तथा वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे अथवा प्रत्यायोजित किए जाएँगे ।

19. रजिस्ट्रार: -

(1) रजिस्ट्रार, निजी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा और उसे कार्यकारी परिषद द्वारा चयन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i. कुलपति – अध्यक्ष;

ii. कुलाधिपति का एक नामिती;

iii. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित परिषद के दो सदस्य; तथा

iv. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाला एक विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।

(2) रजिस्ट्रार का पद धारण करने वाले व्यक्ति के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित अर्हताएं होनी चाहिए।

(3) रजिस्ट्रार का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष तक के लिए होगा और वह रजिस्ट्रार के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्त होने का पात्र होगा;

(4) निजी विश्वविद्यालय की ओर से सभी ऐसे विनियमों पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर होंगे और सभी दस्तावेजों और अभिलेखों को रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणीकृत किया जाएगा।

(5) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो या जब रजिस्ट्रार बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों को निभाने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का पालन वह व्यक्ति करेगा जिसे कुलपति इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे।

(6) रजिस्ट्रार, कार्यकारी परिषद तथा शैक्षणिक परिषद का पदेन (ex-officio) सचिव होगा, लेकिन उसे इन प्राधिकरणों में से किसी का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(7) रजिस्ट्रार, प्रत्यक्ष रूप से कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और उनके निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

(8) रजिस्ट्रार के पास कार्यकारी परिषद के आदेश में विनिर्दिष्ट अनुसार कर्मचारियों, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को छोड़कर, के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी जारी करने या उन पर निंदा(Censure) या वेतनवृद्धि रोकने की जुर्माना लगाने की शक्तियां प्राप्त होगी;

परन्तु यह कि ऐसा कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि उस व्यक्ति को उसके विरूद्ध की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में कारण बताने का उचित अवसर प्रदान न किया गया हो।

(9) विनियम में विनिर्दिष्ट जुर्माना में से किसी भी जुर्माना को लगाने वाले रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश के विरूद्ध कुलपति के पास अपील की जा सकेगी।

(10) रजिस्ट्रार का यह कर्तव्य होगा कि वह:-

a. कार्यकारी परिषद द्वारा उनके प्रभार में सौंपे गए रिकॉर्ड्स, कॉमन सील और निजी विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य संपत्तियों के कस्टोडियन (संरक्षक) के रूप में कार्य करना ;

b. कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा गठित किसी भी समिति की बैठक बुलाने के लिए सभी प्रकार के नोटिस जारी करना ;

c. कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और उन प्राधिकारियों द्वारा गठित किसी भी समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों(Minutes) को संभाल कर रखना; ;

d. कार्यकारी परिषद और शैक्षणिक परिषद के बीच आधिकारिक पत्र-व्यवहार करना;

e. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों के कार्यसूची और उन बैठकों के कार्यवृत्त (Minutes)जारी होते ही कुलपति को उनकी प्रतियां उपलब्ध कराना;

f. विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध वाद या कार्यवाही में निजी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर ऑफ अटॉर्नी पर हस्ताक्षर करना और दलीलों (Pleadings) को सत्यापित करना या इस कार्य के लिए अपने प्रतिनिधि को भेजना/नियुक्त करना;

g. ऐसे अन्य कार्य करना जो निजी विश्वविद्यालय के नियमों में विनिर्दिष्ट हों या जिनकी आवश्यकता समय-समय पर कार्यकारी परिषद या कुलपति, जैसा भी मामला हो, को हो;

h. निजी विश्वविद्यालय की ओर से करार करना, कागज़ों पर हस्ताक्षर करना और रिकॉर्ड को प्रमाणीकृत करना।

i. निजी विश्वविद्यालय की भवनों, बगीचों, कार्यालय, कैंटीन, कारों और अन्य वाहनों, प्रयोगशालाओं , पुस्तकालयों , पठन कक्ष, उपकरणों और अन्य संपत्तियों की सुरक्षा एवं रखरखाव की व्यवस्था करना; और

j. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की ओर से आधिकारिक पत्र-व्यवहार करना।

(11) यदि किसी भी समय, किसी अभ्यावेदन के आधार पर अथवा अन्यथा, तथा आवश्यक समझी जाने वाली ऐसी जाँच करने के पश्चात्, परिस्थितियाँ ऐसी हों कि रजिस्ट्रार का पद पर बने रहना निजी विश्वविद्यालय के हित में न हो, तो कुलपति, उसके कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में, कुलाधिपति से रजिस्ट्रार को पद से हटाए जाने का अनुरोध कर सकेगा।

परन्तु यह कि इस उप-धारा के तहत कोई कार्रवाई करने से पहले, रजिस्ट्रार को अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

20. डीन और डायरेक्टर/विभागाध्यक्ष

I. डीन:-

1. डीन, फैकल्टी या सेंटर का शैक्षणिक प्रमुख होगा और वह शैक्षणिक नेतृत्व, समन्वयन और शिक्षण, अनुसंधान एवं शैक्षणिक प्रशासन के मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

2. डीन का चयन सामान्य रूप से कुलपति द्वारा उस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की अनुसंशा पर या विश्वविद्यालय के परिनियम या विनियमों द्वारा निर्धारित ऐसे किसी अन्य प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3. फैकल्टी के प्रत्येक डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा फैकल्टी के प्रोफ़ेसरों में से बारी-बारी से (रोटेशन के आधार पर) दो वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।

परन्तु यह कि यदि किसी स्कूल या फैकल्टी में केवल एक प्रोफ़ेसर है या कोई प्रोफ़ेसर नहीं है, तो डीन की नियुक्ति, उस समय के लिए, फैकल्टी में विद्यमान प्रोफ़ेसर, यदि कोई हो, और एसोसिएट प्रोफ़ेसरों में से किया जाएगा।

4. चयन समिति योग्य उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन शैक्षणिक योग्यता-क्रम, शिक्षण और अनुसंधान के अनुभव, प्रशासनिक क्षमता, नेतृत्व के गुणों और निष्ठा के आधार पर करेगी।

5. जब डीन का पद रिक्त हो या जब डीन बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन वरिष्ठतम प्रोफ़ेसर या एसोसिएट प्रोफ़ेसर, जैसा भी मामला हो, के द्वारा किया जाएगा।

6. डीन, फैकल्टी या सेंटर का प्रमुख होगा और स्कूल या फैकल्टी या सेंटर में शिक्षण एवं अनुसंधान के मानक को बनाए रखने और उनके संचालन के लिए उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसे अन्य कार्य भी होंगे जो निजी विश्वविद्यालय के विनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

7. डीन को फैकल्टी या सेंटर की समितियों, जैसा भी मामला हो, की किसी भी बैठक में शामिल होने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार तब तक नहीं होगा जब तक कि वह उस समिति का सदस्य न हों।

8. डीन निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे—

(a) फैकल्टी की शैक्षणिक आयोजना एवं विकास;

(b) डिपार्टमेंट्स और शैक्षणिक कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण एवं समन्वयन कार्य;

(c) शैक्षणिक नीतियों, परिनियमों(Statutes), अध्यादेशों और विनियमों को लागू करना;

(d) अनुसंधान, नवाचार, कंसल्टेंसी और शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देना;

(e) अनुशासन बनाए रखना, क्वालिटी सुनिश्चित करना और एकेडमिक स्टैंडर्ड्स बनाए रखना;

(f) विश्वविद्यालय की आवश्यकतानुसार शैक्षणिक रिपोर्ट, विकास आयोजना और अन्य दस्तावेज़ तैयार करना; एवं

(g) ऐसे अन्य कार्य करना जो कुलपति द्वारा सौंपे जाएं या विश्वविद्यालय के परिनियमों या विनियमों में निर्धारित किए गए हों।

II. **निदेशक/ विभागाध्यक्ष (Head of Departments):-**

a. निदेशक, संबंधित संस्थान, सेंटर, निदेशालय, कैंपस, स्कूल या यूनिट के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक प्रमुख होंगे और वह कुलपति की पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे।

b. प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति कुलपति द्वारा फैकल्टी के प्रोफ़ेसरों में से रोटेशन के आधार पर दो वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी;

परन्तु यह कि यदि किसी स्कूल या फैकल्टी में केवल एक प्रोफ़ेसर है या कोई प्रोफ़ेसर नहीं है, तो निदेशक की नियुक्ति कुछ समय के लिए फैकल्टी के प्रोफ़ेसर,यदि कोई हो, तथा एसोसिएट प्रोफ़ेसरों में से की जाएगी।

c. जहां निदेशक का पद खाली हो, या जहां निदेशक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां कुलपति, निदेशक के कार्यों को पूरा करने के लिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं, जब तक कि नियमित व्यवस्था न हो जाए।

d. डायरेक्टर को संबंधित स्कूल, सेंटर, संस्थान, निदेशालय या यूनिट से जुड़ी समितियों या निकायों की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें वहां वोट देने का अधिकार नहीं होगा, जब तक कि वे उसके सदस्य न हो।

e. निदेशक का चयन कुलपति द्वारा, इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की अनुशंसा पर या विश्वविद्यालय के परिनियमों या विनियमों में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

f. चयन समिति शैक्षणिक योग्यता, वृत्तिक सक्षमता, प्रशासनिक अनुभव, नेतृत्व क्षमता और संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता पर विचार करेगी।

g. निदेशक निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे—

i. संबंधित यूनिट का प्रशासन और प्रबंधन;

ii. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय और नीतिगत निर्णयों को लागू करना;

iii. शिक्षण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास, परामर्श और आउटरीच गतिविधियों को बढ़ावा देना;

iv. विकास आयोजनाओं, बजट और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना और उन्हें लागू करना;

v. सांविधिक निकायों, विनियामक प्राधिकरण, उद्योग एवं अन्य संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करना;

vi. अनुशासन, गुणवत्ता के मानकों और संचालन दक्षता को बनाए रखना;

vii. यूनिट से जुड़े फैकल्टी, कर्मचारियों एवं छात्रों का पर्यवेक्षण करना; और

viii. ऐसे अन्य कार्य करना जो कुलपति द्वारा सौंपे जाएं या विश्वविद्यालय के परिनियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हो।

21. वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी: -

1. वित्त अधिकारी/ लेखा अधिकारी की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी और वह निजी विश्वविद्यालय के पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होंगे।

   परन्तु यह कि वित्त अधिकारी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सेवानिवृत/ रिटायर हो जाएंगे।

2. वित्त अधिकारी का वेतन/परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य शर्तें वही होगी जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

3. जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हों, तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन वह व्यक्ति करेगा जिसे कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करते हैं ।

4. वित्त अधिकारी, वित्त समिति के पदेन-सचिव होंगे।

5. वित्त अधिकारी –

a. निजी विश्वविद्यालय के निधि की सामान्य पर्यवेक्षण करेंगे और विश्वविद्यालय को उसके वित्तीय नीति के बारे में सुझाव देंगे; और

b. ऐसे अन्य वित्तीय कार्य करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे जाएं या जो निजी विश्वविद्यालय के नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

6. कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहते हुए वित्त अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेंगे –

a. यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती (recurring) और गैर-आवर्ती (non-recurring) खर्चों के लिए कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक खर्च न हो और सभी धनराशि उसी उद्देश्य के लिए खर्च की जाए जिसके लिए वे मंजूर या आबंटित की गई हैं;

b. निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेख और बजट को तैयार करने और उन्हें कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

c. नकदी और बैंक बैलेंस की स्थिति तथा निवेश की स्थिति पर लगातार नज़र रखना ;

d. राजस्व वसूली की प्रगति पर नज़र रखना एवं वसूली के तरीकों पर सलाह देना ;

e. यह सुनिश्चित करेगा कि भवनों, भूमि, फर्नीचर और उपकरणों के रजिस्टर का रखरखाव किया जाए और अद्यतन (up-to-date) हों और सभी कार्यालयों, विभागों, स्कूलों, संकायों, केंद्रों और विशेष प्रयोगशालाओं में उपकरणों तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों की स्टॉक-चेकिंग की जा रही है ;

f. अनधिकृत खर्च और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की सूचना में लाना और दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव देना ;

g. निजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी भी कार्यालय, विभाग, स्कूल, संकाय, सेंटर, प्रयोगशाला आदि से कोई भी जानकारी या विवरण प्राप्त करना, जिसका वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ; और

h. कुलपति के निर्देशन में कार्य करना और वह कुलपति के माध्यम से कार्यकारी परिषद के प्रति उत्तरदायी होगा।

22. परीक्षा नियंत्रक:-

(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति, इस कार्य के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह निजी विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतनभोगी अधिकारी होगा/होगी।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 03 वर्ष के कार्यकाल के लिए की जाएगी और वह अगले कार्यकाल के लिए फिर से नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(3) परीक्षा नियंत्रक का परिलब्धियाँ और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें वही होगी जैसा कि कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा ।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, तो उस पद के कर्तव्यों का पालन वह व्यक्ति करेगा जिसे कुलपति इस कार्य के लिए नियुक्त करेगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक, निजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिए व्यवस्था करेगा और उसका पर्यवेक्षण उस तरीके से करेगा, जैसा कि निजी विश्वविद्यालय के विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

(6) परीक्षा नियंत्रक, शैक्षणिक परिषद का स्थायी आमंत्रित सदस्य होगा।

(7) परीक्षा नियंत्रक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद और कुलपति के सभी विशिष्ट निर्देशों का पालन किया गया है ।

23. अन्य अधिकारीगण :- निजी विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति का तरीका और उनकी शक्तियां एवं कर्तव्य वही होंगे, जैसाकि , विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण: -

(1) निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे, अर्थात: -

a. शासी परिषद;

b. कार्यकारी परिषद;

c. शैक्षणिक परिषद;

d. वित्त समिति;

e. आयोजना बोर्ड; और

f. संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति और ऐसे अन्य प्राधिकरण जो परिनियमों(Statutes) द्वारा बनाए जा सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरण होंगे।

(2) शासी परिषद और कार्यकारी परिषद के नामित सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होगा। किसी भी नामित सदस्य को लगातार दो कार्यकाल से अधिक के लिए नामित नहीं किया जा सकेगा।

24. शासी परिषद: -

(1) विश्वविद्यालय की शासी परिषद में निम्नलिखित शामिल होंगे, अर्थात : -

a. कुलाधिपति;

b. कुलपति;

c. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कम-से-कम एक व्यक्ति ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् होगा;

d. सरकार द्वारा भेजे गए छह नामों के पैनल में से विज़िटर द्वारा नामित किए गए तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति; और

e. सरकार का एक प्रतिनिधि, जो उप-सचिव के पद से नीचे का न हो।

(2) कुलाधिपति, शासी परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा।

(3) शासी परिषद विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राधिकरण होगी। विश्वविद्यालय की सभी चल एवं अचल संपत्ति शासी परिषद के अधीन होगी। शासी निकाय के पास निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात;

a. इस विनियम या इसके तहत बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों, या विनियमों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग करके निजी विश्वविद्यालय के कामकाज की सामान्य पर्यवेक्षण करना, निर्देश देना और उसे नियंत्रित करना;

b. निजी विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों के निर्णयों की समीक्षा करना, यदि वे इस विनियम या इसके तहत बनाए गए विनियमों, परिनियमों या अध्यादेशों के प्रावधानों के अनुरूप न हो तो ;

c. निजी विश्वविद्यालय की बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट को मंज़ूरी देना;

d. निजी विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियां निर्धारित करना;

e. यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि निजी विश्वविद्यालय का सुचारु संचालन संभव न रह जाए, तो निजी विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक परिसमापन (वॉलंटरी लिक्विडेशन) के संबंध में प्रायोजक निकाय को अनुशंसा करना; तथा

f. ऐसी अन्य शक्तियां जो परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(4) शासी परिषद की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम तीन बार होगी।

(5) शासी परिषद की बैठकों के लिए कोरम पांच (5) होगा।

25. कार्यकारी परिषद: –

(1) कार्यकारी परिषद निजी विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यकारी संस्था होगी।

(2) कार्यकारी परिषद में दस से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जो इस प्रकार होंगे : -

a. कुलपति;

b. प्रायोजित निकाय द्वारा नामित दो प्रतिनिधि;

c. संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की प्रशासन द्वारा नामित दो प्रतिनिधि;

d. रोटेशन के आधार पर निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम प्रोफेसर; और

e. उप-धारा (2)(d) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा, रोटेशन के आधार पर निजी विश्वविद्यालय के दो वरिष्ठतम शिक्षक

(3) कुलपति, कार्यकारी परिषद का पदेन अध्यक्ष होंगे।

(4) कार्यकारी परिषद की बैठक प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार होगी।

(5) कार्यकारी परिषद की बैठकों के लिए कोरम पांच (5) होगा।

(6) कार्यकारी परिषद के पास निजी विश्वविद्यालय की प्रबंधन एवं प्रशासन की शक्तियां होगी।

(7) कार्यकारी परिषद्, निजी विश्वविद्यालय के प्रत्येक विषय, जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक, कार्मिक, वित्तीय तथा विकास संबंधी विषय सम्मिलित हैं, के संबंध में निजी विश्वविद्यालय की अंतिम निर्णय लेने वाली निकाय होगी।

(8) निजी विश्वविद्यालय के इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, कार्यकारी परिषद् को उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियाँ भी प्राप्त होंगी, अर्थात्:—

a. इस उद्देश्य के लिए गठित चयन समिति की अनुशंसा पर ऐसे प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष सहित अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नियुक्त करना, जैसा आवश्यक हो, और इनकी अस्थायी रिक्तियों को भरना;

b. निजी विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार संस्थान के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को बनाए रखना और लागू करना।

c. आगंतुक प्रोफेसरों , एमेरिटस प्रोफेसरों , प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस , परामर्शदाताओं , विद्वानों आदि की नियुक्ति का प्रावधान करना तथा ऐसी नियुक्तियों के नियम एवं शर्तों का निर्धारण करना;

d. निजी विश्वविद्यालय के विनियमों द्वारा उस पर प्रदत्त अथवा अधिरोपित की गई अन्य ऐसी शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसा कि उन विनियमों में प्रवधानित किया गया हो।

e. निजी विश्वविद्यालय के लिए विनियम बनाना; और

26. शैक्षणिक परिषद:-

(1) शैक्षणिक परिषद् निजी विश्वविद्यालय की प्रमुख शैक्षणिक निकाय होगी तथा यह, इस विनियम, परिनियमों, अध्यादेशों एवं इनके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का समन्वय करेगी तथा उन पर सामान्य अधीक्षण का प्रयोग करेगी।

(2) शैक्षणिक परिषद का गठन इस प्रकार होगा—

i. कुलपति – अध्यक्ष;

ii. सम-कुलपति (जहाँ लागू हो);

iii. संकायों के डीन , विद्यालयों के डीन तथा विभागों अथवा केंद्रों के निदेशक/विभागाध्यक्ष;

iv. रोटेशन के आधार पर अधिक से अधिक 02 प्रोफ़ेसर (उन लोगों को छोड़कर जो स्कूलों के डीन और विभागों या सेंटरों के निदेशक हैं), जिन्हें अलग-अलग स्कूलों या विभागों या सेंटरों के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुए कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा;

v. रोटेशन के आधार पर अधिक से अधिक 02 एसोसिएट प्रोफ़ेसर, जो विभागों या सेंटरों के प्रमुख नहीं हैं, जिन्हें कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

vi. रोटेशन के आधार पर अधिक से अधिक 02 असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, जो विभागों या सेंटरों के प्रमुख नहीं हैं, जिन्हें कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

vii. शिक्षाविदों या विशेषज्ञों में से अपनी विशिष्ट ज्ञान के लिए प्रसिद्ध 02 व्यक्ति, जो निजी विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, जिन्हें कुलपति द्वारा नामित किया जाएगा; और

viii. रजिस्ट्रार, जो शैक्षणिक परिषद के पदेन सचिव होंगे।

(3) अलग-अलग श्रेणी के प्रतिनिधित्व को रोटेशन द्वारा चुना जाएगा, न कि चुनाव के माध्यम से । पदेन सदस्यों को छोड़कर शेष सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। परीक्षा नियंत्रक, शैक्षणिक परिषद की बैठकों में स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

(4) निजी विश्वविद्यालय के इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, शैक्षणिक परिषद के पास अपनी अन्य सभी शक्तियों के अलावा निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी:—

a. निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों की सामान्य पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, विभागों या फैकल्टी या स्कूलों या सेंटरों के बीच शिक्षण के तालमेल, अनुसंधान के मूल्यांकन और शैक्षणिक मानकों में सुधार के बारे में निर्देश देना;

b. अंतर-विभाग, अंतर-फैकल्टी, अंतर-स्कूल और अंतर-सेंटर तालमेल को बढ़ावा देना और इसके लिए आवश्यक समितियां/बोर्ड्स स्थापित या नियुक्त करना;

c. सामान्य शैक्षणिक हित के मामलों पर स्वयं पहल करके या किसी विभाग, फैकल्टी, स्कूल, सेंटर या कार्यकारी परिषद के संदर्भ पर विचार करना और उन पर उचित कार्रवाई करना;

d. प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री और डिप्लोमा के लिए कोर्स या पढ़ाई के प्रोग्राम तय करना;

e. निजी विश्वविद्यालय के नियमों और उप-नियमों के अनुसार परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था करना;

f. परीक्षा के उचित मानक को बनाए रखना;

g. विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता देना और निजी विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्री के साथ उनकी समानता निर्धारित करना;

h. फेलोशिप, स्कॉलरशिप, मेडल, पुरस्कार आदि शुरू करना;

i. निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कामकाज, दाखिला, परीक्षाओं, फेलोशिप और स्टूडेंटशिप देने, फ्री-शिप, रियायत, अटेंडेंस, अनुशासन, रेजिडेंस आदि से जुड़े नियम बनाना;

j. विभागों या सेंटरों की गतिविधियों की समय-समय पर समीक्षा करना और शिक्षण के मानक को बनाए रखने और बेहतर बनाने के लिए उचित कार्रवाई करना;

k. कार्यकारी परिषद को शिक्षण पद (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर) सृजित करने की अनुशंसा करना;

l. कार्यकारी परिषद को विभाग, सेंटर, स्कूल या फैकल्टी आदि स्थापित या समाप्त करने की अनुशंसा करना;

m. कार्यकारी परिषद को अनुशंसा करना;

n. निजी विश्वविद्यालय के नियमों के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना तथा उसे सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना;

o. शैक्षणिक परिषद की बैठक आवश्यकता के अनुसार होगी, लेकिन एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम चार बार (एक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक होनी चाहिए। प्रत्येक बैठक से कम से कम सात दिन पहले इसकी सूचना दी जानी चाहिए। आपातकालीन बैठकें, आकस्मिक सूचना पर भी बुलाई जा सकती हैं, लेकिन ऐसी आपातकालीन बैठक बुलाने का कारण लिखित रूप में अभिलिखित किया जाना चाहिए;

p. शैक्षणिक परिषद की बैठक के लिए कोरम (बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या) कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई होगा;

q. प्रत्येक सदस्य, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल हैं, का एक वोट होगा। शैक्षणिक परिषद की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिए जाएंगे। यदि वोट बराबर (टाई) हो जाते हैं, तो अध्यक्ष का वोट निर्णायक (कास्टिंग वोट) होगा; और

r. शैक्षणिक परिषद के लिए आवश्यक कोई भी कार्य, जो तात्कालिक प्रकृति का हो, सदस्यों के बीच परिचालित करके निपटाया जा सकता है।

27. वित्त समिति :-

(1) वित्त समिति, किसी निजी विश्वविद्यालय का मुख्य वित्तीय संस्था होगी जो वित्तीय मामलों को देखेगी।

(2) वित्त समिति का गठन इस प्रकार होगा:-

i. कुलपति – अध्यक्ष;

ii. सम-कुलपति (जहाँ लागू हो);

iii. सोसायटी, ट्रस्ट या कंपनी, जैसा भी मामला हो, द्वारा नामित एक व्यक्ति, (जहाँ लागू हो);

iv. कार्यकारी परिषद द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें से कम से कम एक कार्यकारी परिषद का सदस्य होगा;

v. कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाने वाले तीन व्यक्ति;

vi. वित्त अधिकारी- पदेन सचिव

(3) पदेन सदस्य के अलावा वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल के लिए पद पर बने रहेंगे।

(4) वित्त समिति एक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम चार बार (प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम दो बार) बैठक का आयोजन करेगी ताकि लेखाओं की जांच की जा सके और खर्च के प्रस्तावों की समीक्षा की जा सके; वित्त समिति के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य के बैठक में भाग लेने से कोरम (न्यूनतम आवश्यक संख्या) पूरी होगी ।

(5) पद सृजन से संबंधित सभी प्रस्ताव और वे मदें जो बजट में शामिल नहीं किए गए हैं, उन पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार करने से पहले वित्त समिति द्वारा जांच की जाएगी। साथ ही शुल्क में छूट, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, फ्री-शिप और किसी भी अन्य वित्तीय लाभ के बारे में निर्णय लेने के लिए भी ऐसा किया जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और वित्तीय प्राक्कलन पर विचार और इस पर टिप्पणी देने के लिए वित्त समिति के समक्ष रखे जाएंगे और उसके पश्चात उन्हें मंजूरी के लिए कार्यकारी परिषद को सौंपा जाएगा।

(7) वित्त समिति, निजी विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर एक वर्ष के लिए कुल आवर्ती (recurring) और गैर-आवर्ती (non-recurring) खर्चों की सीमा की अनुशंसा करेगी।

28. आयोजना बोर्ड: -

(1) आयोजना बोर्ड निजी विश्वविद्यालय की मुख्य आयोजना संस्था होगी । आयोजना बोर्ड यह सुनिश्चित करेगा कि अवसंरचनात्मक सुविधाएं तथा शैक्षणिक सहायक प्रणाली, विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है ।

(2) आयोजना बोर्ड, निजी विश्वविद्यालय का मुख्य आयोजना संस्था होगी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य नियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालय के अवसंरचनात्मक सुविधाएं और शैक्षणिक सहायक प्रणाली के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) आयोजना बोर्ड विशेष रूप से विश्वविद्यालय के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक शैक्षणिक अवसंरचना, प्रशासनिक अवसंरचना, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सुविधाओं, अनुसंधान सुविधाओं तथा अन्य सहायक प्रणालियों के नियोजन, विकास, अनुरक्षण एवं उन्नयन का पर्यवेक्षण करेगा।

(4) आयोजना बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

a. कुलपति — अध्यक्ष;

b. सम -कुलपति, यदि कोई हो — सदस्य;

c. रजिस्ट्रार /कुल सचिव — सदस्य-सचिव;

d. वित्त अधिकारी — सदस्य;

e. शैक्षणिक मामलों के डीन — सदस्य;

f. कुलपति द्वारा नामित निदेशक/विभागाध्यक्ष — सदस्य;

g. कुलाधिपति द्वारा नामित उच्च शिक्षा आयोजना एवं विकास का एक विशेषज्ञ — सदस्य;

h. प्रायोजक निकाय द्वारा नामित अवसंरचना, अभियांत्रिकी अथवा परियोजना प्रबंधन का एक विशेषज्ञ — सदस्य;

I. प्रायोजक निकाय का एक प्रतिनिधि — सदस्य; तथा

j. ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियम द्वारा निर्धारित किए जाएगा — सदस्य ।

(5) आयोजना बोर्ड के नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नामित होने के पात्र होंगे।

(6) आयोजना बोर्ड विश्वविद्यालय की विकास आयोजनाओं तथा अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए वर्ष में कम-से-कम दो बार अथवा आवश्यकता होने पर उससे अधिक बार बैठक करेगा।

(7) आयोजना बोर्ड की बैठक के लिए उसके कुल सदस्यों का एक-तिहाई भाग गणपूर्ति (कोरम) होगा।

(8) आयोजना बोर्ड की शक्तियों एवं कार्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:–

a. विश्वविद्यालय की अवसंरचना तथा शैक्षणिक सहायता प्रणाली के विकास हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आयोजनाएँ तैयार करना;

b. कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावासों, अनुसंधान केंद्रों, खेल सुविधाओं, डिजिटल अवसंरचना तथा अन्य शैक्षणिक सहायता सेवाओं से संबंधित आवश्यकताओं का आकलन करना;

c. विश्वविद्यालय में अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना, विस्तार, आधुनिकीकरण एवं अनुरक्षण की सिफारिश करना;

d. पर्याप्त शैक्षणिक संसाधनों, शिक्षण सामग्री, प्रौद्योगिकी-समर्थित शिक्षण सुविधाओं तथा छात्र सहायता प्रणालियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

e. विधिक एवं विनियामक प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप अवसंरचना एवं सहायता सेवाओं की पर्याप्तता एवं गुणवत्ता की समीक्षा करना;

f. अवसंरचना विकास हेतु वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों के जुटाव तथा उनके इष्टतम उपयोग के संबंध में विश्वविद्यालय को परामर्श देना;

g. पर्यावरणीय रूप से संधारणीय , समावेशी एवं प्रौद्योगिकी-आधारित कैंपस विकास को प्रोत्साहित करना;

h. विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अवसंरचना परियोजनाओं एवं शैक्षणिक विकास आयोजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करना; तथा

I. ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो प्रबंधन मंडल द्वारा सौंपे जाएंगे अथवा परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे ।

9. आयोजना बोर्ड अवसंरचना आयोजना , शैक्षणिक संसाधन विकास, गुणवत्ता संवर्धन तथा अन्य संबंधित विषयों के लिए समितियाँ, विशेषज्ञ समूह अथवा सलाहकार पैनल गठित कर सकेगा।

10. आयोजना बोर्ड की संरचना, शक्तियाँ, बैठक संचालन की प्रक्रिया तथा उससे संबंधित अन्य विषय ऐसे होंगे, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

29. निजी विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा अन्य प्राधिकरण:— निजी विश्वविद्यालय के संकाय बोर्डों, प्रवेश समिति, परीक्षा समिति तथा ऐसे अन्य प्राधिकरणों की संरचना, शक्तियाँ एवं कार्य ऐसे होंगे, जो परिनियमों में निर्धारित किए जाएँगे ।

A. संकाय बोर्ड:—

1. निजी विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय के लिए एक संकाय बोर्ड होगा।

2. संकाय बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(a) संबंधित संकाय के डीन — अध्यक्ष;
(b) संबंधित संकाय के अधीन निदेशक/विभागाध्यक्ष — सदस्य;
(c) कुलपति द्वारा नामित संकाय के दो वरिष्ठ शिक्षक — सदस्य;
(d) कुलाधिपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के बाहर का एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद् — सदस्य; तथा
(e) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएँगे — सदस्य

3. संकाय बोर्ड के नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे तथा एक अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नामांकन के पात्र होंगे।

4. संकाय बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—

(a) संकाय के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या तथा पाठ्य-विषय (सिलेबस) की सिफारिश करना;

(b) संकाय के अंतर्गत शिक्षण, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नवाचार तथा शैक्षणिक विकास को प्रोत्साहित करना;

(c) संकाय के अंतर्गत नए विभागों, केंद्रों, पाठ्यक्रमों एवं कार्यक्रमों की स्थापना की सिफारिश करना;

(d) संकाय के अधीन विभागों की शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय एवं पर्यवेक्षण करना; तथा

(e) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा सौंपे जाएँ अथवा परिनियमों द्वारानिर्धारित किए जाएँगे ।

B. प्रवेश समिति:—

1. निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए एक प्रवेश समिति का गठन किया जाएगा।

2. प्रवेश समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(a) कुलपति अथवा उनका नामित प्रतिनिधि — अध्यक्ष;

(b) रजिस्ट्रार — सदस्य-सचिव;

(c) शैक्षणिक मामलों के डीन — सदस्य;

(d) प्रायोजक निकाय का एक प्रतिनिधि — सदस्य; तथा

(e) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे — सदस्य।

3. प्रवेश समिति के नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

4. प्रवेश समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:—

(a) विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करना;

(b) यह सुनिश्चित करना कि प्रवेश निष्पक्ष, पारदर्शी, योग्यता-आधारित एवं भेदभाव-रहित ढंग से किया

जा रहा है ;

(c) अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों तथा प्रवेश अभिलेखों का सत्यापन करना;

(d) इस अधिनियम, नियमों, विनियमों तथा विनियामक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना;

(e) प्रवेश से संबंधित शिकायतों एवं विवादों पर विचार करना एवं उनका निपटान करना; तथा

(f) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो विश्वविद्यालय प्राधिकारियों द्वारा सौंपे गए अथवा परिनियमों द्वारा निधारित किए गए हो।

C. परीक्षा समितिः—

1. निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षाओं के पर्यवेक्षण एवं विनियमन हेतु एक परीक्षा समिति का गठन किया जाएगा।

2. परीक्षा समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(a) परीक्षा नियंत्रक — अध्यक्ष;

(b) रजिस्ट्रार — सदस्य;

(c) कुलपति द्वारा नामित डीन — सदस्य;

(d) कुलपति द्वारा नामित दो वरिष्ठ शिक्षक — सदस्य; तथा

(e) ऐसे अन्य सदस्य, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे — सदस्य ।

3. परीक्षा समिति के नामित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

4. परीक्षा समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, अर्थात्:—

(a) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के संचालन का पर्यवेक्षण एवं विनियमन ;

(b) प्रश्नपत्रों के उचित निर्माण, संयोजन, अभिरक्षा तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन को सुनिश्चित करना;

(c) परीक्षा परिणामों की समयबद्ध घोषणा एवं प्रकाशन सुनिश्चित करना;

(d) परीक्षा प्रणाली में गोपनीयता, निष्ठा एवं अनुशासन बनाए रखना;

(e) परीक्षाओं में अनुचित साधनों एवं अनियमितताओं की रोकथाम हेतु उपायों की सिफारिश करना;

(f) शैक्षणिक अभिलेखों एवं परीक्षा संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव करना; तथा

(g) ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करना, जो शैक्षणिक परिषद द्वारा सौंपे जाएँ अथवा परिनियमों द्वारा निर्धारित किए जाएंगे ।

D. अन्य प्राधिकरण एवं समितियाँ :–

1. निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के प्रभावी प्रशासन तथा शैक्षणिक शासन के लिए आवश्यक समझे जाने वाले ऐसे अन्य प्राधिकरणों , समितियों, परिषदों, बोर्डों अथवा निकायों का गठन कर सकेगा।

2. ऐसे प्राधिकरणों एवं समितियों में अनुसंधान परिषद्, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ, छात्र कल्याण समिति, शिकायत निवारण समिति, रैगिंग-निरोधी समिति, पुस्तकालय समिति, छात्रावास समिति, आचार समिति, लैंगिक उत्पीड़न निवारण समिति तथा इस विनियम के प्रावधानों के अधीन अपेक्षित अन्य ऐसे निकाय सम्मिलित हो सकेंगे।

30. परिनियम बनाने की शक्ति :–

(1) कार्यकारी परिषद्, प्रबंधन समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, इस विनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए परिनियम बनाएगी।

(2) इस विनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी अथवा इनमें से किसी भी विषय के संबंध में प्रावधान किए जा सकेंगे, अर्थात् :–

a. निजी विश्वविद्यालय का गठन, शक्तियाँ तथा प्राधिकरणों का कर्तव्य , जिनका समय-समय पर गठन किया जा सकता है;

b. उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति तथा उनके पद पर बने रहने की अवधि, सदस्यों के रिक्त पदों में नियुक्ति तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके संबंध में प्रावधान किया जाना आवश्यक हो;

c. निजी विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियाँ, कर्तव्य तथा उनकी परिलब्धियाँ;

d. निजी विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी परिलब्धियाँ;

e. किसी संयुक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निजी विश्वविद्यालय अथवा किसी संस्था में कार्यरत शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कर्मचारियों की एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

f. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति लाभ, बीमा तथा भविष्य निधि से संबंधित प्रवधान , सेवा को समाप्त करने की रीति तथा अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ सम्मिलित है;

g. कर्मचारियों की सेवा-वरिष्ठता को विनियमित करने वाले सिद्धांत;

h. कर्मचारियों अथवा विद्यार्थियों और निजी विश्वविद्यालय के मध्य उत्पन्न विवादों के निपटान की प्रक्रिया;

i. निजी विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी अथवा विद्यार्थी द्वारा कार्यकारी परिषद् के समक्ष अपील करने की प्रक्रिया;

j. मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

k. डिग्री/उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं का प्रत्याहरण;

l. अध्येतावृत्तियों (Fellowships), छात्रवृत्तियों (Scholarships), विद्यार्थीवृत्ति (Studentships), पदकों तथा पुरस्कारों की स्थापना;

m. विद्यार्थियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

n. विभागों, केन्द्रों तथा अन्य संस्थानों की स्थापना तथा उनको समाप्त करना ;

o. निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों अथवा अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; तथा

p. ऐसे अन्य सभी विषय, जिनका इस विनियम द्वारा प्रावधान किया जाना अपेक्षित हो अथवा किया जा सके।

(3) कार्यकारी परिषद किसी भी ऐसे परिनियम को, जो किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की शक्तियों या गठन को प्रभावित करता हो, तब तक न तो बनाएगी, न संशोधित करेगी और न ही निरस्त करेगी, जब तक कि उस प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर लिखित रूप में अपनी राय

व्यक्त करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता, और इस प्रकार व्यक्त की गई किसी भी राय पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

31. परिनियम कैसे बनाए जाएँ:-

(1) कार्यकारी परिषद समय-समय पर परिनियम बना सकती है तथा इस खंड में आगे दी गई प्रक्रिया के अनुसार परिनियमों में संशोधन या उन्हें निरस्त कर सकती है।

(2) कार्यकारी परिषद द्वारा पारित किसी परिनियम या किसी परिनियम में संशोधन अथवा उसके निरसन को प्रबंधन समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उस पर सहमति दे सकती है या अपनी सहमति रोक सकती है। कार्यकारी परिषद द्वारा पारित किसी परिनियम या उसके संशोधन अथवा निरसन को तब तक कोई वैधता प्राप्त नहीं होगी जब तक उस पर प्रबंधन समिति की सहमति प्राप्त न हो जाए। परिनियमों की एक प्रति सूचना हेतु सरकार को भेजी जाएगी।

32. अध्यादेश तथा विनियम बनाने की शक्ति:-

इस विनियम तथा परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, अध्यादेश एवं विनियम, प्रबंधन समिति द्वारा बनाए जाएँगे, जो प्रबंधन समिति के अनुमोदन के अधीन होंगे, और जिनमें निम्नलिखित सभी अथवा किसी एक या अधिक विषयों के संबंध में प्रावधान किए जा सकते हैं, अर्थात्:-

a. निजी विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश तथा उनका नामांकन ।

b. निजी विश्वविद्यालय की सभी डिग्रियों / उपाधियों, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्रों के लिए निर्धारित किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम।

c. शिक्षण तथा परीक्षा का माध्यम।

d. डिग्री/ उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं के प्रदान किए जाने, उनके लिए आवश्यक अर्हताओं तथा उनको प्रदान किए जाने एवं प्राप्त किए जाने से संबंधित विषय।

e. निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों के लिए तथा निजी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, डिग्रियों /उपाधियों, डिप्लोमाओं एवं प्रमाणपत्रों में प्रवेश हेतु लिए जाने वाले शुल्क ।

f. फेलोशिप, छात्रवृत्तियों, स्टूडेंटशिप, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान किए जाने की शर्तें।

g. परीक्षाओं के संचालन के संबंध में, जिसमें परीक्षा निकायों, परीक्षकों तथा मॉडरेटरों के कार्यकाल, नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उनके कर्तव्यों का निर्धारण भी सम्मिलित होगा।

h. निजी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवास/निवास की शर्तें।

i. यदि आवश्यक हो, तो निजी विश्वविद्यालय में छात्राओं के निवास, अनुशासन एवं शिक्षण के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध तथा उनके लिए विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना ।

j. ऐसे कर्मचारियों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक/वेतन-भत्तों के संबंध में, जिनके लिए परिनियमों में प्रावधान नहीं किया गया है।

k. अध्ययन केंद्रों, अध्ययन मंडलों, अंतर्विषयी अध्ययन, विशेष केंद्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं तथा अन्य समितियों की स्थापना।

l. अन्य विश्वविद्यालयों, प्राधिकरणों , विद्वत् निकायों अथवा संघों के साथ सहयोग एवं सहभागिता की प्रक्रिया।

m. ऐसे किसी अन्य निकाय के गठन, संरचना तथा कार्यों के संबंध में, जिसे निजी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक प्रगति में सुधार हेतु आवश्यक समझा जाए।

n. परीक्षकों, मॉडरेटरों, परीक्षा निरीक्षकों तथा परिणाम संकलकों को देय पारिश्रमिक ।

o. शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तों एवं नियमों के संबंध में, जो परिनियमों द्वारा निर्धारित नहीं किए गए हैं।

33. अध्यादेश एवं विनियम कैसे बनाए जाएँ:-

(1) अध्यादेश एवं विनियम बनाते समय कार्यकारी परिषद प्रबंधन समिति से परामर्श करेगी।

(2) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए सभी अध्यादेश एवं विनियम उस तिथि से प्रभावी होंगे, जो कार्यकारी परिषद द्वारा निर्देशित की जाएगी।

34. वार्षिक रिपोर्ट (Annual Report):-

(1) निजी विश्वविद्यालय का वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी परिषद के निर्देश पर तैयार किया जाएगा तथा उसे निर्धारित तिथि को या उसके पश्चात् शासी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शासी परिषद अपनी वार्षिक बैठक में उक्त रिपोर्ट पर विचार करेगी। वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग में रिपोर्टिंग अवधि के दौरान इस विनियम के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में निजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए स्व-प्रकटीकरण सम्मिलित होंगे।

(2) शासी परिषद, वार्षिक रिपोर्ट को अपनी टिप्पणियों, यदि कोई हो , के साथ कुलाधिपति को प्रस्तुत करेगी।

(3) शासी परिषद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत, कार्यकारी परिषद वार्षिक रिपोर्ट को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करेगी तथा उसकी एक प्रति संघ राज्यक्षेत्र (UT) सरकार को भी प्रेषित करेगी।

35. वार्षिक लेखे :–

(1) किसी निजी विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे तथा तुलन –पत्र/ बैलन्स शीट की तैयारी कार्यकारी परिषद् के निर्देशों के अधीन किया जाएगा तथा उनका, प्रत्येक वर्ष और पंद्रह माह में एक कम-से-कम बार के अंतराल पर, चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियमन, 1949 (केंद्रीय विनियमन संख्या XXXVIII, 1949) के प्रावधानों के अनुसार लेखा-परीक्षण (Audit) करने के लिए पात्र किसी बाह्य, अनुभवी एवं अर्हताप्राप्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म द्वारा लेखा-परीक्षण कराया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखों की एक प्रति, उस पर लेखा-परीक्षण रिपोर्ट सहित, कार्यकारी परिषद् की टिप्पणियों के साथ, अनुमोदन हेतु शासी परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी।

36. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें:–

(1) किसी निजी विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति अथवा सेवायोजन, परिनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती इस विनियम की धारा 4(5) के अनुसार की जाएगी।

(2) किसी निजी विश्वविद्यालय और किसी ऐसे कर्मचारी, जिसकी नियमित नियुक्ति की गई हो, के मध्य उत्पन्न किसी भी विवाद को कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो संदर्भ प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर संबंधित कर्मचारी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस विवाद का निर्णय करेगा।

(3) व्यथित कर्मचारी कुलपति के निर्णय के विरुद्ध कुलाधिपति के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकेगा। ऐसी अपील पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

(4) अस्थायी, तदर्थ, अंशकालिक अथवा आकस्मिक आधार पर नियुक्त किसी कर्मचारी से संबंधित किसी भी विवाद की सुनवाई तथा उसका अंतिम निर्णय संबंधित विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

37. निजी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश तथा परीक्षाएँ :–

(1) किसी व्यक्ति को निजी विश्वविद्यालय की डिग्री, उपाधि अथवा डिप्लोमा के लिए आयोजित परीक्षाओं में प्रवेश हेतु किसी अध्ययन पाठ्यक्रम में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि वह—

a. इसके लिए निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण न किया हो; तथा

b. निर्धारित की गई अन्य शैक्षणिक शर्तों को पूरा न करता/करती हो ।

(2) निजी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के प्रत्येक अभ्यर्थी को, जब तक कि शैक्षणिक परिषद् की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित किसी विशेष आदेश के माध्यम से उसे इस उप-धारा के प्रावधानों से छूट न दी गई हो, निजी विश्वविद्यालय का सदस्य के रूप में नामांकित होना आवश्यक होगा। ऐसी किसी भी छूट को कार्यकारी परिषद् द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अधीन प्रदान किया जा सकेगा।

(3) किसी भी अभ्यर्थी को निजी विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा में तब तक सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि वह निजी विश्वविद्यालय का सदस्य के रूप में नामांकित न हो तथा उस परीक्षा के लिए अपेक्षित उपस्थिति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा न करता हो; अथवा जब तक कि उसे शैक्षणिक परिषद् की संस्तुति पर कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित आदेश के माध्यम से नामांकन, उपस्थिति अथवा दोनों संबंधी आवश्यकताओं से छूट न प्रदान की गई हो। इस धारा के अधीन प्रदान की गई प्रत्येक छूट कार्यकारी परिषद् द्वारा उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अधीन होगी।

(4) किसी परीक्षा के ऐसे छात्र अथवा अभ्यर्थी, जिसका नाम, , शैक्षणिक परिषद् अथवा परीक्षा नियंत्रक, जैसा भी मामला हो, के आदेश या संस्तुति द्वारा निजी विश्वविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो तथा जिसे एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए परीक्षाओं में सम्मिलित होने से वंचित कर दिया गया हो, वह ऐसे आदेश की प्राप्ति की तिथि से दस दिनों के भीतर कुलपति के समक्ष अपील कर सकेगा।

(5) इस संबंध में कुलपति द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय अंतिम होगा।

38. कर्मचारियों का भविष्य निधि एवं पेंशन :–

किसी निजी विश्वविद्यालय को अपने कर्मचारियों के हितार्थ ऐसी पेंशन या कल्याणकारी योजनाएँ अथवा भविष्य निधि गठित करने या ऐसी बीमा योजनाएँ उपलब्ध कराने का अधिकार होगा, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, और जो कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित रीति तथा शर्तों के अधीन हों।

39. प्राधिकरणों एवं निकायों के गठन संबंधी विवाद :–

यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि किसी व्यक्ति को किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय का सदस्य विधिवत् नामित अथवा नियुक्त किया गया है या नहीं, अथवा वह उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं, तो ऐसे मामले को कुलाधिपति के समक्ष संदर्भित किया जाएगा, और उस पर कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।

40. समितियों का गठन :–

जहाँ इस विनियम अथवा परिनियमों के अधीन किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को समितियों का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई है, वहाँ ऐसी समितियाँ, जब तक अन्यथा प्रवधानित न हो, संबंधित प्राधिकरण के सदस्यों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों से मिलकर गठित होंगी, जिन्हें वह प्राधिकरण प्रत्येक मामले में उपयुक्त समझे।

41. रिक्तियों का भरा जाना:–

किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय के सदस्यों के मध्य उत्पन्न सभी रिक्तियों को, यथाशीघ्र सुविधानुसार, उस व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को नियुक्त अथवा नामनिर्दिष्ट किया था, जिसके स्थान पर रिक्ति उत्पन्न हुई है। ऐसी नियुक्ति अथवा नामनिर्देशन उस सदस्य के शेष कार्यकाल के लिए किया जाएगा, जिसके लिए उसे मूलतः नियुक्त अथवा नामित किया गया था।

42. रिक्तियों के कारण निजी विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों एवं निकायों की कार्यवाहियाँ अवैध न होना :–

किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकाय के किसी विनियम अथवा कार्यवाही को केवल इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान थी, अथवा निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के किसी सदस्य के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या अनियमितता थी, अथवा ऐसे विनियम या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता थी जो मामले के गुण-दोष (Merits of the Case) को प्रभावित नहीं करती हो, अथवा इस आधार पर कि निजी विश्वविद्यालय के उस प्राधिकरण या अन्य निकाय की बैठकें इस विनियम के अधीन अपेक्षित अंतरालों पर आयोजित नहीं की गई थीं।

43. निजी विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना: –

(1) कार्यकारी परिषद्, इस प्रयोजन हेतु लिखित आदेश द्वारा, निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की सदस्यता से किसी व्यक्ति को हटा सकती है, यदि कार्यकारी परिषद् की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा बैठक में उपस्थित एवं मतदान करने वाले कार्यकारी परिषद् के सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प के आधार पर यह निर्णय लिया गया हो कि उक्त

व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जो कार्यकारी परिषद् की राय में नैतिक अधमता से संबंधित है।

(2) कार्यकारी परिषद्, इस प्रयोजन हेतु लिखित आदेश द्वारा, किसी व्यक्ति को निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की सदस्यता से तब भी हटा सकती है, यदि वह विकृतचित्त हो गया हो अथवा उसे न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया हो।

(3) इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि उसे प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान न किया गया हो।

(4) उप-धारा (1) अथवा उप-धारा (2) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की एक प्रति, जो भी मामला हो, आदेश पारित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, निर्धारित रीति से संबंधित व्यक्ति को संप्रेषित की जाएगी।

44. निजी विश्वविद्यालय के अभिलेखों के प्रमाणन का तरीका:–

किसी निजी विश्वविद्यालय की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, कार्यवाही, किसी प्राधिकरण या समिति के संकल्प अथवा निजी विश्वविद्यालय के कब्जे में उपलब्ध किसी अन्य दस्तावेज़ की प्रति, यदि रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की गई हो, तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प, दस्तावेज़ अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि के अस्तित्व का प्रथमदृष्टया (Prima Facie) साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाएगा तथा उसमें वर्णित विषयों और लेन-देन के संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगा, जहाँ मूल दस्तावेज़, यदि प्रस्तुत किया जाता, तो साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होता।

45. विद्यार्थियों का संरक्षण:–

(1) प्रायोजक निकाय विश्वविद्यालय के सतत संचालन को सुनिश्चित करने तथा नामांकित विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने के लिए आवश्यक वित्तीय, प्रचालन तथा अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करेगा तथा उनका अनुरक्षण करेगा।

(2) उपधारा (1) में उल्लिखित सुरक्षा उपायों में ऐसी व्यवस्थाएँ, आरक्षित निधियाँ, बीमा, प्रत्याभूतियाँ, एस्क्रो व्यवस्थाएँ, आकस्मिकता आयोजनाएँ अथवा अन्य उपाय सम्मिलित हो सकते हैं, जिन्हें प्रायोजक निकाय द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा निर्धारित रीति से प्रकट/सूचित किया जाएगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए इस विनियम के अधीन किसी न्यूनतम राशि निर्धारित नहीं की जाएगी।

(4) सुरक्षा उपाय, शासी परिषद् के सामान्य पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होंगे तथा निर्धारित रीति से विनियमित तथा अनुरक्षित किए जाएँगे।

46. सूचना एवं अभिलेखों को मांगने की सरकार की शाक्तियाँ : –

(1) किसी निजी विश्वविद्यालय अथवा उसके किसी प्राधिकरण या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्त तथा अन्य मामलों से संबंधित ऐसी सूचना अथवा अभिलेख उपलब्ध कराए, जिन्हें सरकार द्वारा माँगा जाएगा ।

(2) यदि सरकार की यह राय हो कि इस विनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों का उल्लंघन हुआ है, तो सरकार धारा 54 के तहत किसी निजी विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे।

(3) निजी विश्वविद्यालय का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को सभी प्रासंगिक आँकड़े (इलेक्ट्रॉनिक अथवा अन्य किसी रूप में) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

47. निजी विश्वविद्यालय का विघटन:–

(1) यदि कोई निजी विश्वविद्यालय किसी भी कारण से अपना विघटन करने का प्रस्ताव करता है, तो वह सरकार को कम-से-कम छह माह पूर्व लिखित सूचना देगा। यह लिखित सूचना विश्वविद्यालय के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने से कम-से-कम छह माह पूर्व दी जाएगी।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित सूचना प्राप्त होने पर, सरकार निजी विश्वविद्यालय के विघटन की तिथि से लेकर उस निजी विश्वविद्यालय के नियमित अध्ययन पाठ्यक्रमों के अंतिम बैच के सभी विद्यार्थियों द्वारा अपने अध्ययन पाठ्यक्रम पूर्ण किए जाने तक, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिए निर्धारित रीति से आवश्यक व्यवस्थाएँ करेगी।

(3) ऐसे विघटित निजी विश्वविद्यालयों के नाम तथा उनका विवरण को **अनुसूची-IV** ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रवर्तन के पश्चात् विघटित निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में सम्मिलित किया जाएगा।

(4) उप-धारा (1) एवं (2) में निहित कोई भी बात धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (e) एवं खंड (f) के प्रतिकूल नहीं मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त, उप-धारा (1) एवं (2) में निहित कोई भी बात किसी निजी विश्वविद्यालय को इस विनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के खंड (e) एवं खंड (f) तथा धारा 9 की उप-धारा (5) के खंड (a) के प्रावधानों के अनुपालन से मुक्त नहीं करेगी।

48. विघटन के दौरान निजी विश्वविद्यालय के व्यय: –

(1) धारा 47 के तहत निजी विश्वविद्यालय के विघटन की प्रक्रिया के दौरान उसके प्रशासन पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय की निधियों से वहन किया जाएगा।

(2) यदि उप-धारा (1) में उल्लिखित निधियाँ निजी विश्वविद्यालय के व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हों, तो ऐसे व्यय की पूर्ति सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय की संपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों का निपटान करके की जा सकेगी।

49. सरकार द्वारा निजी विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त किया जाना:–

1. जहाँ सरकार को किसी ऐसी शिकायत की प्राप्ति होती है, जिसमें पर्याप्त एवं सारभूत आरोप हों कि कोई निजी विश्वविद्यालय इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, वहाँ सरकार उक्त शिकायत की एक प्रति संलग्न करते हुए निजी विश्वविद्यालय से यह कारण बताने की अपेक्षा करेगी कि उसकी मान्यता क्यों न समाप्त कर दी जाए। इसके लिए विश्वविद्यालय को ऐसा समय दिया जाएगा, जो दो माह से कम नहीं होगा।

2. उप-धारा (1) के तहत दिए गए नोटिस के उत्तर में निजी विश्वविद्यालय का प्रत्युत्तर प्राप्त होने पर, यदि सरकार इस बात से संतुष्ट होती है कि निजी विश्वविद्यालय के कार्य संचालन में कुप्रबंधन अथवा इस विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन का प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो सरकार ऐसी जाँच का आदेश देगी, जिसे वह आवश्यक समझे।

3. उप-धारा (2) के तहत की जाने वाली जाँच के प्रयोजनों के लिए सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को जाँच प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करेगी, जो इस विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी आरोपों की जाँच करेगा।

4. उप-धारा (3) के तहत नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को, इस विनियम के तहत अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (केंद्रीय अधिनियम 1908 का संख्या V,)

के तहत किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी, और विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में, अर्थात्—

a. किसी भी साक्षी को समन जारी करना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उसकी परीक्षण करना;

b. किसी दस्तावेज़ का खोज एवं प्रस्तुतिकरण की अपेक्षा करना;

c. किसी कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रति की मांग करना;

d. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना; तथा

e. ऐसा कोई अन्य विषय, जो निर्धारित किया जाएगा ।

(5) जाँच प्राधिकारी, निजी विश्वविद्यालय द्वारा किए गए उल्लंघनों की सीमा एवं गंभीरता का निर्धारण करने के उपरांत, उन उल्लंघनों को लघु, प्रमुख अथवा गंभीर उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करने केलिए सशक्त होगा तथा अपनी नियुक्ति की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर अपनी जाँच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा। माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह लघु, प्रमुख तथा गंभीर उल्लंघनों के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

(6) इस धारा की उप-धारा (5) में उल्लिखित जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार निजी विश्वविद्यालय को जाँच रिपोर्ट के निष्कर्षों के संबंध में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगी। ऐसा अभ्यावेदन सरकार द्वारा संचार/अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि से पंद्रह (15) दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत करना होगा ।

(7) यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि निजी विश्वविद्यालय ने इस विनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है, तो वह निजी विश्वविद्यालय को आवश्यक सुधार करने का निर्देश देगी तथा इस विनियम के प्रावधानों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगी।

(8) यदि यह पाया जाता है कि निजी विश्वविद्यालय इस धारा की उप-धारा (7) में उल्लिखित आवश्यक सुधार करने में विफल रहा है तथा वह इस विनियम का निरंतर उल्लंघन कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय में वित्तीय कुप्रबंधन एवं प्रशासनिक कुप्रबंधन की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो निजी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक मानकों के लिए संकट उत्पन्न करती है, तो सरकार

निजी विश्वविद्यालय की मान्यता को वापस ले सकती है/अमान्यता प्राप्त घोषित कर साकती है तथा उसका नाम अनुसूची-V ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रवर्तन के पश्चात् अमान्य घोषित किए गए निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में शामिल करेगी और निजी विश्वविद्यालय के संचालन को सुगम बनाने के लिए एक प्रशासक नियुक्त करेगी।

(9) उप-धारा (8) के अधीन नियुक्त प्रशासक, इस विनियम के तहत शासी परिषद् तथा प्रबंधन परिषद् की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उनके सभी कर्तव्यों का निर्वहन करेगा और निजी विश्वविद्यालय के कार्यों का प्रशासन तब तक चलाएगा , जब तक कि नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों का अंतिम बैच अपने पाठ्यक्रम अथवा सेलेबस को पूर्ण न कर ले तथा उन्हें, , डिग्रियाँ, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, जैसा भी मामला हो, प्रदान न कर दी जाएँ।

(10) नियमित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों के अंतिम बैच को डिग्रियाँ, डिप्लोमा अथवा अन्य शैक्षणिक उपाधियाँ, जैसा भी मामला हो, प्रदान किए जाने के उपरांत, प्रशासक इस आशय का एक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(11) उप-धारा (10) के तहत रिपोर्ट प्राप्त होने पर, सरकार समुचित विचार करने के पश्चात्, समान उद्देश्यों वाले किसी अन्य प्रायोजक निकाय में शासी परिषद् की शक्तियाँ निहित करके निजी विश्वविद्यालय के संचालन को जारी रख सकेगी(यदि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के पंद्रह वर्ष के भीतर उसे अमान्य घोषित किया गया हो,); अथवा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य संबंधित विनियामक निकायों की पूर्वानुमति प्राप्त करने के उपरांत, निजी विश्वविद्यालय की मान्यता को समाप्त कर सकेगी।

(12) उप-धारा (11) के तहत मान्यता-समापन की प्रक्रिया के दौरान, सरकार निजी विश्वविद्यालय के कार्यों के प्रबंधन के प्रयोजनार्थ उसकी स्थायी अक्षय निधि, सामान्य निधि अथवा विकास निधि का उपयोग कर सकेगी। यदि निजी विश्वविद्यालय की निधियाँ उसके आवश्यक व्यय की पूर्ति के लिए पर्याप्त न हों, तो सरकार उक्त व्यय की पूर्ति के लिए निजी विश्वविद्यालय की परिसंपत्तियों अथवा संपत्तियों का निपटान कर सकेगी।

50. निजी विश्वविद्यालय को नीतिगत विषयों पर निर्देश जारी करने की सरकार की शक्ति:– सरकार समय-समय पर इस विनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न होने वाले नीतिगत विषयों पर निजी

विश्वविद्यालय को ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी, जिन्हें वह आवश्यक समझे। ऐसे निर्देशों का अनुपालन निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।

51. विघटन या मान्यता समाप्त किए जाने पर परिसंपत्तियों और दायित्वों की स्थिति:–

(1) निजी विश्वविद्यालय की सभी परिसंपत्तियाँ, संपत्तियाँ, दायित्व तथा निधियाँ प्रायोजक निकाय की होंगी, परंतु यह कि निजी विश्वविद्यालय का विघटन या मान्यता समाप्त किया जाना उसकी स्थापना की तिथि से पंद्रह वर्ष के पश्चात् धारा 47, 48 एवं 49 में उल्लिखित शर्तों के अधीन किया गया हो।

(2) उप-धारा (1) में उल्लिखित कोई भी बात प्रायोजक निकाय को धारा 8 की उप-धारा (4) के खंड (e) एवं खंड (f), धारा 49 की उप-धारा (12) तथा धारा 9 की उप-धारा (5) के खंड (a) के प्रावधानों के अनुपालन से मुक्त नहीं करेगी।

52. सरकार की नियम बनाने की शक्ति:–

(1) सरकार अधिसूचना द्वारा इस विनियम के सभी या किसी भी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस विनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक विनियम या जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(3) पूर्वोक्त शक्तियों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों के लिए प्रावधानित कर सकते हैं, अर्थात्—

a. धारा 5 के तहत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की रीति, उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विवरण तथा देय शुल्क;

b. धारा 7 की उप-धारा (3) के तहत विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय बैठक भत्ता एवं भत्ते।

53. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति:–

यदि किसी निजी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के गठन या पुनर्गठन में अथवा इस विनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रावधान

कर सकेगी, जो इस विनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल न हों तथा जिन्हें वह कठिनाई के निवारण हेतु आवश्यक या उपयुक्त समझे।

परंतु ऐसी कोई भी अधिसूचना इस विनियम के प्रारंभ होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् जारी नहीं की जाएगी।

54. विवादों का निपटारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थित न्यायालय द्वारा किया जाना :–

इस विनियम के प्रावधानों के परिणामस्वरूप उत्पन्न सभी विवादों का निपटान संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के किसी न्यायालय द्वारा निपटाए जाएँगे।

55. निरसन एवं व्यावृत्तियाँ:–

(1) इस विनियम के प्रवर्तन के साथ ही अनुसूची-I ('अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रवर्तन के पश्चात् निरसित किए जाने वाले विनियमों की सूची) में उल्लिखित सभी विनियम निरसित हो जाएँगे।

(2) 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के सभी प्रावधान अनुसूची-II (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रवर्तन से पूर्व के निजी विश्वविद्यालयों की सूची) में उल्लिखित निजी विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे। अनुसूची-I में उल्लिखित विद्यमान विनियमों के प्रावधान, निरसन के बावजूद प्रभावी एवं प्रवर्तनीय बने रहेंगे, सिवाय उन निजी विश्वविद्यालयों के, जिनके निरसित विनियमों में भूमि एवं अवसंरचना संबंधी विशिष्ट प्रावधान नहीं हैं, ऐसे निजी विश्वविद्यालयों के लिए इस विनियम की धारा 4 में उल्लिखित भूमि एवं अवसंरचना संबंधी प्रावधान लागू होंगे।

(3) अनुसूची-I में उल्लिखित विनियमों के निरसन के बावजूद, जैसा कि उप-धारा (1) में निर्दिष्ट है, निरस्त विनियमों के अधीन स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा किए गए सभी निर्णय, बनाए गए विनियम, सृजित एवं समाप्त किए गए अधिकार तथा दायित्व को इस विनियम के अंतर्गत वैध माने जाएँगे।

(4) इस विनियमन में समाविष्ट विश्वविद्यालयों को अपने नियमों, अधिनियमों, विनियमों तथा अन्य प्रवृत्त प्रावधानों को, उप-धारा (2) में उल्लिखित प्रावधानों को छोड़कर, उनके संबंधित निरस्त विनियमों के अधीन, इस विनियमन के प्रावधानों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित करना होगा। यह संशोधन इस विनियमन के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष

की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक होगा। इसके अतिरिक्त, अनुसूची-I में उनके संबंधित निरस्त विनियमों के अनुसार स्थापित विद्यमान निजी विश्वविद्यालयों को भी 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रारंभ होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर अपने संबंधित निरस्त विनियमों के अनुसार प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

(5) सरकार अनुसूची-II (जिसमें 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रवृत्त होने से पूर्व स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की सूची दी गई है) में उल्लिखित विश्वविद्यालयों को अनुपालन पत्र (परिशिष्ट-5) जारी करेगी, जिसमें उन्हें इस धारा की उप-धारा (2), (4) एवं (6) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया जाएगा।

(6) विश्वविद्यालय, अनुपालन- पत्र जारी किए जाने की तिथि से तीन वर्ष के भीतर, इस धारा की उपधारा (2), (4) एवं (6) में उल्लिखित शर्तों तथा समय-सीमाओं के अनुपालन के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट, शपथ-पत्र तथा आवश्यक दस्तावेजों सरकार को प्रस्तुत करेंगे।

(7) सरकार, अनुपालन रिपोर्ट के सत्यापन के पश्चात यदि संतुष्ट होती है, तो अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर विद्यमान विश्वविद्यालयों के लिए विशेषज्ञ समिति के माध्यम से अनुमोदन पत्र, परिशिष्ट-6 के अनुसार, जारी करेगी।

(8) यदि विशेषज्ञ समिति सरकार को यह रिपोर्ट देती है कि विद्यमान विश्वविद्यालय इस धारा की उपधारा (2), (4) एवं (6) में उल्लिखित किसी भी शर्त का पूर्णतः अनुपालन नहीं कर रहे हैं; तो सरकार ऐसे मामलों पर विचार कर सकती है तथा जैसा उसे उचित लगे, उपयुक्त कार्यवाही कर सकती है।

(9) विश्वविद्यालय, 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' की अधिसूचना जारी होने की तिथि से लेकर अनुमोदन पत्र जारी होने तक की अवधि में, यथावत कार्य करते रहेंगे तथा अपने नियमित शैक्षणिक कार्य एवं संचालन जारी रखेंगे।

अनुसूची-I

निरस्त किए जाने वाले विनियमों ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के पश्चात) की सूची।

क्रमांक	विनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
1.			
2.			

अनुसूची-II

'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन से पूर्व स्थापित निजी विश्वविद्यालयों की सूची (जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं)

क्रमांक	विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजक निकाय का नाम
1.		
2.		

अनुसूची-III

स्थापित नए निजी विश्वविद्यालयों की सूची ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के पश्चात)

क्रमांक	विनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम एवं अवस्थिति	प्रायोजक निकाय का नाम
1.			
2.			
3.			

अनुसूची-IV

विघटित निजी विश्वविद्यालयों की सूची ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के पश्चात)

क्रमांक	विनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम एवं अवस्थिति	प्रायोजक निकाय का नाम
1.			
2.			
3.			

अनुसूची-V

मान्यता वापस ली गई निजी विश्वविद्यालयों की सूची ('अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के पश्चात्)

क्रमांक	विनियम का विवरण	विश्वविद्यालय का नाम एवं अवस्थिति	प्रायोजक निकाय का नाम
1.			
2.			
3.			

परिशिष्ट-1

प्रायोजक निकाय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के मूल्यांकन हेतु जाँच-सूची

क्रमांक	प्रायोजक निकाय (आवेदक) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सहायक दस्तावेज़, जिनमें उल्लेखित हो ...	जो लागू हो, (✔) का चिन्ह लगाएँ।			टिप्पणियाँ, यदि कोई हों
		हाँ	नहीं	लागू नहीं	
1	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय की स्थापना की आवश्यकता				
2	प्रायोजक निकाय का विवरण सहित उसके पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रतियाँ (2a, 2b अथवा 2c में से किसी एक के अंतर्गत) संलग्न की जाएँ।				
2a.	भारतीय न्यास अधिनियम 1882 (केन्द्रीय अधिनियम 1882 का 2) अथवा				
2b.	सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 अथवा				
2c.	कंपनियाँ अधिनियम, 2013 (केन्द्रीय अधिनियम 13 का 2013)				
2d.	क्या अल्पसंख्यक (धार्मिक अथवा भाषायी) है				
3	प्रस्तावित विषयों में प्राप्त उपलब्धियों का विवरण, अनुभव तथा विषय विशेषज्ञता				
4	प्रस्तावित निजी विश्वविद्यालय का नाम, अवस्थिति /स्थान तथा मुख्यालय				
5	निजी विश्वविद्यालय के उद्देश्य				
6	प्रायोजक संस्था के पास उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता, जिसमें शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारी, यदि कोई हों, भी सम्मिलित हों, ।				
7	कैंपस विकास की आयोजनाओं का विवरण, जैसे भवनों का निर्माण, संरचनात्मक सुविधाओं एवं अवसंरचनाओं का विकास तथा				

	निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने हेतु उपकरणों की खरीद।				
8	पूँजीगत व्यय की चरणबद्ध व्यय योजनाएँ तथा उसके वित्तीय स्रोत।				
9	निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित किए जाने वाले कार्यक्रमों और अध्ययन पाठ्यक्रमों की प्रकृति तथा प्रकार।				
9a	निजी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित अनुसंधान तथा नवाचार परियोजनाएँ।				
10	निजी विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले प्रस्तावित सुविधाओं की प्रकृति।				
11	संसाधनों के संकलन की योजना तथा उसके लिए पूँजीगत लागत और उन स्रोतों को की जाने वाली वापसी भुगतान की विधि।				
12	प्रस्तावित विस्तृत वित्तीय विवरण तथा प्रमुख परिचालन अनुपात, सहित आंतरिक रूप से उत्पन्न राजस्व स्रोतों का विस्तृत ब्रेक अप ।				
13	निजी विश्वविद्यालय में अध्ययन पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विद्यार्थियों के चयन के लिए प्रस्तावित प्रणाली				
14	निजी विश्वविद्यालय में शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तावित प्रणाली				
15	निजी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने वाले विशिष्ट शिक्षण, प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का स्वरूप, जिसमें स्थानीय आवश्यकताओं से संबंधित गतिविधियाँ भी सम्मिलित हों, ताकि विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।				

16	खेल-कूद एवं क्रीड़ा तथा सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियों जैसे राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं राष्ट्रीय सेवा स्कीम हेतु उपलब्ध अथवा प्रस्तावित किए जाने वाले खेल के मैदानों एवं अन्य सुविधाओं का विवरण।				
17	शैक्षणिक एवं अनुसंधान उत्कृष्टता के लिए प्रस्तावित दृष्टिकोण तथा प्रारंभिक योजनाएँ, जिनमें प्राप्त किए जाने वाले मान्यतापत्र तथा शैक्षणिक लेखा परीक्षण भी सम्मिलित हों।				
18	निजी विश्वविद्यालय द्वारा आर्थिक अथवा सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के विद्यार्थियों, जिनमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यंगजन विद्यार्थी सम्मिलित हैं, को प्रदान किए जाने वाले शुल्क में रियायतें अथवा छूट तथा छात्रवृत्तियों का विवरण।				
19	विनियामक निकायों जैसे UGC, AICTE, NMC, DCI, NCTE, BCI, INC, VCI आदि के मानकों का पालन करने की प्रतिबद्धता।				
20	क्या आवेदक एक विद्यमान निजी शैक्षणिक संस्थान है (यदि हाँ, तो उप-धारा 20a, 20b, 20c भरें)।				
20a	क्या संस्थान को संबंधित सांविधिक निकायों/परिषदों द्वारा अनुमोदित किया गया है? इसके अतिरिक्त, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के समय संस्थान किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध है, तो उसे उस विश्वविद्यालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।				
20b	क्या संस्थान को उनके शैक्षणिक कार्यक्रमों के लिए संबंधित सांविधिक				

	निकायों जैसे UGC, AICTE, NMC, DCI, NCTE, BCI, INC, VCI आदि से अनुमोदन प्राप्त है?				
20c	लेखापरीक्षित लेखा रिपोर्ट				
20d	क्या संस्थान के पास आवश्यक शैक्षणिक एवं भौतिक अवसंरचनाएं उपलब्ध है, जैसा कि संबंधित सांविधिक /विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित किया गया है?				

अनुलग्नक-2

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र:

पत्र संख्या ....

उच्च शिक्षा विभाग
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजयपुरम्, दिनांक ....   , 2026

सेवा में

....

....

विषय : अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नया निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आशय पत्र – से संबंधित ।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आप ज्ञात हैं, संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के द्वारा 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' अधिनियमित किया गया है, जिसका उद्देश्य संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं निगमन करना है। इस विनियम का अभिप्राय संघ राज्यक्षेत्र में उच्च शिक्षा तक पहुँच को सुदृढ़ करना, सकल नामांकन अनुपात को बढ़ाना तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना है। इस हेतु प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों को अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नए संस्थान स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य उत्कृष्ट नेतृत्व, अनुसंधान, ज्ञान एवं विचारों के विकास के माध्यम से शिक्षा एवं संबद्ध विकास क्षेत्रों में एक मौलिक परिवर्तन को बढ़ावा देना एवं उसका परिकल्पनात्मक रूप प्रदान करना तथा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विश्व-स्तरीय उच्च शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध कराना है।

चूँकि आपने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक बहुविषयक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अपना प्रस्ताव तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है और 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' (जैसा कि दिनांक .... को प्रकाशित अण्डमान तथा निकोबार राजपत्र, असाधारण संस्करण सं. ......, श्री विजयपुरम्) के प्रावधानों का अनुपालन करने का पर्याप्त प्रयास किया है। उक्त प्रस्ताव का परीक्षण विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया है तथा उसकी रिपोर्ट अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन को प्रस्तुत की गई है। सरकार इस बात से संतुष्ट है कि आपके प्रस्तावानुसार अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन में एक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना करना समीचीन है। अतः इस संबंध में आपको यह आशय पत्र जारी किया जाता है।

(a.) निजी विश्वविद्यालय के स्वीकृत शैक्षणिक कार्यक्रमों, छात्र संख्या, अनुसंधान गतिविधियों तथा सहायक सुविधाओं हेतु उपयुक्त भूमि एवं निर्मितक्षेत्र परिसर का विधिसम्मत अधिकार, चाहे स्वामित्व, पट्टा अथवा अन्य किसी विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिभोग अधिकार के माध्यम से, न्यूनतम **तीस वर्ष** की अवधि के लिए प्राप्त हो, तथा उक्त भूमि एवं परिसर प्रचलित आयोजना , ज़ोनिंग / क्षेत्रीय विभाजन, भवन निर्माण, अग्नि सुरक्षा, पर्यावरणीय तथा अन्य सांविधिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो। यह उपबंधित किया जाता है कि इस विनियमन के अंतर्गत भूमि क्षेत्रफल अथवा निर्मितक्षेत्र परिसर के संबंध में कोई मात्रात्मक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी।

(b.) उप-धारा (a) में उल्लिखित भूमि पर, निजी विश्वविद्यालय के अनुमोदित कार्यक्रमों, छात्र नामांकन तथा अनुसंधान गतिविधियों के लिए पर्याप्त शैक्षणिक भवन, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन, उपकरण, छात्र सुविधाएँ तथा प्रशासनिक अवसंरचनाओं का निर्माण और/या अनुरक्षण किया जाए; यह भी प्रावधानित किया जाता है कि ऐसी सुविधाएँ अन्य शैक्षणिक संस्थानों के साथ साझा की जा सकती हैं अथवा सार्वजनिक प्राधिकरणों या अन्य व्यक्तियों के साथ समझौता ज्ञापन, अनुज्ञा, पट्टा या अन्य विधिक रूप से प्रवर्तनीय अनुबंध के आधार पर उपलब्ध कराई जा सकती हैं, जिनमें उद्यान, खेल के मैदान, खेल परिसर, सभागार, अनुसंधान सुविधाएँ, पुस्तकालय, छात्रावास अथवा अन्य सहायक अवसंरचनाओं का उपयोग सम्मिलित हो। इस विनियम के अंतर्गत पुस्तकों, पत्रिकाओं, उपकरणों, कंप्यूटरों, कक्षाओं के आकार या निर्मित क्षेत्र से संबंधित कोई मात्रात्मक न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, सिवाय उन स्थितियों में जहाँ किसी केंद्रीय सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित हो।

(c.) शिक्षण के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, तथा

(d.) निजी विश्वविद्यालय की स्थापना से पूर्व सरकार द्वारा अपेक्षित अन्य शर्तों का पालन किया जाए।

(e.) विश्वविद्यालय 'हरित परिसर' के सिद्धांतों पर स्थापित किया जाए, जिसमें ऊर्जा-सक्षम उपकरणों का उपयोग किया जाए तथा जल संचयन की सुविधाएँ स्थापित की जाएँ। यदि विश्वविद्यालय व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम संचालित करता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा संबंधित सांविधिक निकायों के प्रचलित मानदंड एवं मानक लागू होंगे।

(f.) प्रत्येक विभाग/विषय में नियमित अध्यापकों का न्यूनतम पचहत्तर प्रतिशत विश्वविद्यालय के नियमित कर्मचारी होंगे।

(g.) विश्वविद्यालय में अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के अधिवासित व्यक्तियों के लिए कुल अशैक्षणिक पदों का न्यूनतम पचास प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने का वचनपत्र प्रस्तुत किया जाए। अशैक्षणिक पदों पर आरक्षण की व्यवस्था समय-समय पर संघ राज्यक्षेत्र सरकार के प्रचलित विधि एवं आदेशों द्वारा विनियमित की जाएगी।

(h) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि की स्थापना करने तथा उनके कल्याणार्थ कल्याणकारी कार्यक्रमों को संचालित करने का वचनपत्र देना।

(i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अथवा संघ अथवा राज्य सरकार के विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तों को पूरा करना तथा अपेक्षित अन्य सूचनाएँ उपलब्ध कराना।

(j) विश्वविद्यालय के प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विश्वविद्यालय को विघटित न करने का वचनपत्र देना, और यदि विश्वविद्यालय प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विघटित किया जाता है, तो विश्वविद्यालय की समस्त परिसंपत्तियाँ बिना किसी देयता तथा सभी भारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

(k) यह वचनपत्र देना कि यदि विश्वविद्यालय अपने प्रारंभ से पंद्रह वर्षों की अवधि पूर्ण होने से पूर्व विघटित किया जाता है अथवा अधिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों, सरकार के निदेशों तथा अन्य सांविधिक निकायों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण मान्यता-निरसन किया जाता है, तो विश्वविद्यालय की समस्त परिसंपत्तियाँ बिना किसी देयता तथा सभी भारों से मुक्त होकर सरकार में निहित होंगी।

(l) यदि किसी विद्यमान शैक्षणिक संस्थान द्वारा धारा-6(2) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जाता है, तो उसे धारा-3, धारा-4, धारा-5, धारा-6, धारा-7 तथा धारा-8 में उल्लिखित विश्वविद्यालय स्थापना की शर्तों, आवेदन तथा प्रक्रियाओं का अनुपालन करना होगा। तथापि, स्थापना की शर्तों, आवेदन तथा प्रक्रिया संबंधी धाराओं में उल्लिखित किसी भी प्रावधान के बावजूद, उक्त विद्यमान संस्थान को आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से चार वर्षों की अवधि तक अथवा अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने तक, जो भी पहले हो, अपनी वर्तमान संबद्धता एवं अनुमोदन के आधार पर कार्य करना जारी रखने की अनुमति होगी। परंतु, आशय पत्र निर्गत होने के पश्चात् संस्थान द्वारा नए बैचों में प्रवेश नहीं किया जाएगा।

यदि आप उपर्युक्त शर्तों से सहमत हैं, तो कृपया आवश्यक कार्यवाही करें तथा अपेक्षित वचनपत्र प्रस्तुत करें, ताकि संघ राज्यक्षेत्र सरकार इस संबंध में आवश्यक आगे की कार्रवाई कर सके।

इसके अतिरिक्त, आपको निर्देशित किया जाता है कि इस आशय पत्र के निर्गमन की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर संघ राज्यक्षेत्र सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यह रिपोर्ट स्पष्ट एवं निर्विवाद शपथपत्र, आवश्यक दस्तावेजों सहित इस आशय का होना चाहिए कि आशय पत्र में उपर्युक्त रूप से उल्लिखित सभी शर्तों का आपके द्वारा पालन किया गया है, ताकि संघ राज्यक्षेत्र सरकार आपके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का सत्यापन कर सके और इस संबंध में आवश्यक आगे की कार्रवाई कर सके।

भवदीय

(नाम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

अनुलग्नक-3

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नए निजी विश्वविद्यालय के निगमन हेतु निगमन पत्र

पत्र संख्या ....

उच्च शिक्षा विभाग
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजयपुरम्, दिनांक .... , 2026

सेवा में

....
....

विषय: अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नए निजी विश्वविद्यालय के निगमन हेतु निगमन पत्र के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में एक नवीन बहुविषयक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आशय पत्र (दिनांक, पत्र का विवरण) के संबंध में आपके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट का अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा सत्यापन कर लिया गया है तथा उसे स्वीकार कर लिया गया है। संघ राज्यक्षेत्र सरकार ने '**अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026'** के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति प्रदान करते हुए अपने राजपत्र (दिनांक एवं अधिसूचना का विवरण) में अधिसूचना प्रकाशित कर दी है। उक्त अधिसूचना की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है।

चूँकि अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने अधिसूचना जारी कर दी है, अतः एतद्द्वारा आपको यह निगमन पत्र जारी करते हुए आपको निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं:

a. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि नव-निगमित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राधिकृत विश्वविद्यालयों की सूची में सम्मिलित किया जा सके।

b. विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, अधिसूचनाओं, विनियमों एवं दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शैक्षणिक एवं गैर-औपचारिक पाठ्यक्रम संचालित करने होंगे, डिग्रियों एवं कार्यक्रमों की नामावली का अनुपालन करना होगा जैसा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट है, तथा शासन, शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय विषयों से संबंधित कार्यों के लिए अधिनियम,

विनियम, नियम एवं प्राधिकरणों की स्थापना करनी होगी, जैसे—प्रशासनिक परिषद, कार्यकारी परिषद, शैक्षणिक परिषद, वित्त समिति तथा अन्य समितियाँ एवं बोर्ड।

c. विश्वविद्यालय को अध्यापन, शैक्षणिक एवं भौतिक अवसंरचना, शिक्षकों की योग्यताएँ आदि के मानकों को, जो संबंधित सांविधिक /विनियामक निकाय जैसे— अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, भारतीय दंत परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, भारतीय विधि परिषद, भारतीय नर्सिंग परिषद, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद आदि द्वारा महाविद्यालय स्तर की संस्थाओं के लिए निर्धारित किए गए हैं, न्यूनतम से उच्च स्तर पर बनाए रखना होगा, तथा विभिन्न अध्ययन कार्यक्रमों के संचालन हेतु, जहाँ लागू हो, उनके अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

आपको निगमन पत्र में उल्लिखित उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन इस निगमन पत्र के जारी होने की तिथि से दो (2) वर्ष की अवधि के भीतर करना अनिवार्य होगा।

आपको आगे निर्देशित किया जाता है कि निगमन पत्र में उल्लिखित सभी शर्तों को आपके द्वारा पूर्ण किए जाने के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों सहित एक शपथपत्र सरकार को प्रस्तुत करें, ताकि संघ राज्यक्षेत्र सरकार आपके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र एवं रिपोर्ट का सत्यापन कर सके तथा इस संबंध में आवश्यक आगे की कार्रवाई कर सके।

भवदीय

(नाम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

अनुलग्नक-4

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नए निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन पत्र

पत्र संख्या ....

उच्च शिक्षा विभाग
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजयपुरम्, दिनांक .... , 2026

सेवा में

....
....

विषय: अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में नए निजी विश्वविद्यालय प्रारंभ करने के लिए अनुमोदन पत्र के संबंध में।

महोदय/महोदया,

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र तथा दस्तावेज़, जो आपको जारी निगमन पत्र (दिनांक एवं पत्र का विवरण) के संबंध में नये बहुविषयक निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्तुत किए गए थे, को अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा परीक्षण कर स्वीकार कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अंतर्गत विश्वविद्यालय की स्थापना की अनुमति प्रदान करते हुए अधिसूचना को अपने राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है (दिनांक एवं अधिसूचना का विवरण)। उक्त अधिसूचना की प्रति संलग्न की जा रही है।

अतः आपको यह **अनुमोदन पत्र** जारी किया जा रहा है, जिससे आप (प्रभावी दिनांक ....) से निजी विश्वविद्यालय के नियमित संचालन का शुभारम्भ कर सकें।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रति आपके समर्पण हेतु हम आपको बधाई देते हैं। हमें विश्वास है कि विश्वविद्यालय 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020' के अनुरूप स्वयं को अभिसंरेखित करेगा तथा विश्वविद्यालय के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करेगा। विश्वविद्यालय

अनुदान आयोग तथा अन्य प्रासंगिक सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदंडों, दिशा-निर्देशों एवं विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

कृपया ध्यान दें कि सरकार समय-समय पर नीति विषयक मामलों में, जो 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रावधानों के विपरीत न हों, निजी विश्वविद्यालय को आवश्यकतानुसार ऐसे निर्देश जारी कर सकती है। ऐसे निर्देशों का अनुपालन निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(नाम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

अनुलग्नक-5

विद्यमान निजी विश्वविद्यालय के लिए अनुपालन पत्र

पत्र संख्या: ....

उच्च शिक्षा विभाग

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सचिवालय

श्री विजयपुरम्, दिनांक .... , 2026

सेवा में

....

....

विषय: विद्यमान निजी विश्वविद्यालय के लिए अनुपालन पत्र – संबंध में।

महोदय/महोदया,

हम आपको संघ राज्यक्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के प्रति आपके समर्पण के लिए बधाई देते हैं। हमें विश्वास है कि विश्वविद्यालय स्वयं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुरूप बना रहा है और विश्वविद्यालय के घोषित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु निरंतर कार्य कर रहा है, साथ ही समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अन्य संबंधित सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों, दिशा-निर्देशों और विनियमों का पालन कर रहा है।

जैसा कि आपको विदित हैं, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' अधिनियमित किया है (दिनांक, विनियम की अधिसूचना का विवरण)। यह विनियम सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक समान कानून के तहत संचालित करने हेतु एक छत्र विनियम के रूप में बनाया गया है। हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के फलस्वरूप, 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन से पूर्व अनुमोदित सभी पूर्ववर्ती व्यक्तिगत निजी विश्वविद्यालय विनियम निरस्त हो गए हैं। तथापि, कृपया ध्यान दें कि यद्यपि 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' की अनुसूची-I में उल्लिखित विनियम (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अधिनियमन के पश्चात निरस्त किए जाने वाले विनियमों एवं विश्वविद्यालयों की सूची) निरस्त कर दिए गए हैं, फिर भी उन निरस्त विनियमों के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों द्वारा लिए गए सभी निर्णय, किए गए विनियमन, उत्पन्न एवं समाप्त किए गए अधिकार तथा देयताएँ, नव अधिनियमित 'अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के अंतर्गत वैध मानी जाएँगी।

यह **अनुपालन पत्र** आपको आपके आगे की कार्रवाई हेतु जारी किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि प्रस्तावित समय-सीमा के अनुसार निम्नलिखित शर्तों का पालन करें।

a. निरस्त विनियमों के अंतर्गत लागू परिनियमों, अध्यादेशों, विनियमों तथा अन्य प्रावधानों में संशोधन कर उन्हें नए अधिनियमित 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाए, और यह कार्य इस नए विनियमन के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरा किया जाए।

b. अनुसूची-I में उल्लिखित निरस्त विनियम के अंतर्गत जिस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया गया है, उसके अनुसार भूमि एवं अवसंरचनाओं की आवश्यकताओं का अनुपालन करें। यह कार्य इस नए विनियमन के प्रारंभ की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर पूरा किया जाना आवश्यक है।

आपको आगे निर्देशित किया जाता है कि अनुपालन पत्र जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के भीतर सरकार को एक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस प्रतिवेदन के साथ एक शपथपत्र तथा आवश्यक दस्तावेज संलग्न किए जाएँ, जिनसे यह प्रमाणित हो कि उपर्युक्त शर्तें आपके द्वारा पूरी कर दी गई हैं। ताकि संघ राज्यक्षेत्र सरकार आपके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सत्यापन कर सके और इस संबंध में आगे की कार्रवाई कर सके।

भवदीय

(नाम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)

अनुलग्नक-6

विद्यमान निजी विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदन पत्र

पत्र संख्या: ....

उच्च शिक्षा विभाग
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय

श्री विजयपुरम, दिनांक .... , 2026

सेवा में ,

....

....

विषय: अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में विद्यमान निजी विश्वविद्यालय के लिए अनुमोदन पत्र के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

हमें यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट, शपथपत्र तथा दस्तावेज़, जो अनुपालन पत्र की शर्तों अर्थात् 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' की धारा-55(3) एवं 55(5) में उल्लिखित शर्तो से संबंधित हैं, तथा जिनके अंतर्गत संबंधित निरस्त विनियम (निरस्त विनियम का नाम एवं विवरण) के तहत लागू परिनियमों, अध्यादेशों एवं विनियमों में संशोधन कर उन्हें 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रावधानों के अनुरूप बनाया जाना है, उनका अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा सत्यापन कर लिया गया है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है।

यह अनुमोदन पत्र आपको इस प्रमाण के रूप में जारी किया जा रहा है कि आपने 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' की धारा-55(3) एवं 55(5) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

कृपया ध्यान दें कि सरकार समय-समय पर ऐसी दिशा-निर्देश जारी कर सकती है, जो 'अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह निजी विश्वविद्यालय विनियम, 2026' के प्रावधानों के विपरीत न हों, और जिन्हें वह आवश्यक समझे। ऐसे दिशा-निर्देशों का अनुपालन निजी विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(नाम)

निदेशक (उच्च शिक्षा)